بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

कुरआन नंबर

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

अंक
51-52

मूल्य
600 रुपए

साप्ताहिक   क़ादियान

बदर

The Weekly
BADAR Qadian
HINDI

वर्ष
8
संपादक
शेख़ मुजाहिद अहमद

उप संपादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद

14-7 जमादिउल सानी 1445 हिज्री कम्री . 21-28 फ़तह 1402 हिज्री शम्सी . 21-28 दिसम्बर 2023 ई.   Postal Reg. No. GDP/45 /2023-25

अल्लाह तआला का आदेश

اِنَّ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنَ یَہۡدِیۡ لِلَّتِیۡ ہِیَ اَقۡوَمُ وَیُبَشِّرُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ

یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَہُمۡ اَجۡرًا کَبِیۡرًا ۙ﴿۱۰﴾ (बनी-इस्राईल आयत : 10)

यह क़ुरआन निश्चित रूप से उस (मार्ग की) ओर मार्गदर्शन करता है जो सबसे सही है और मौमिनो को, जो अच्छे कर्म करते हैं, शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा प्रतिफल निश्चित है।

नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का उपदेश

عَنۡ عُثۡمَانَ بۡنِ عَفَّانَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ قَالَ

قَالَ رَسُوۡلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَسَلَّمَ خَیۡرُکُمۡ مَنۡ تَعَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَ وَعَلَّمَہٗ

हज़रत उस्मान बिन अफ्फ़ान (रज़ियल्लाहु अन्हो) बताते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : तुम में से बेहतर वह है जो पवित्र क़ुरआन सीखता और दूसरों को सिखाता है

(बुखारी, किताबुल फ़ज़ायलुल् क़ुरआन बाब खयरोकुम मन तअल्लामल् क़ुरआन)

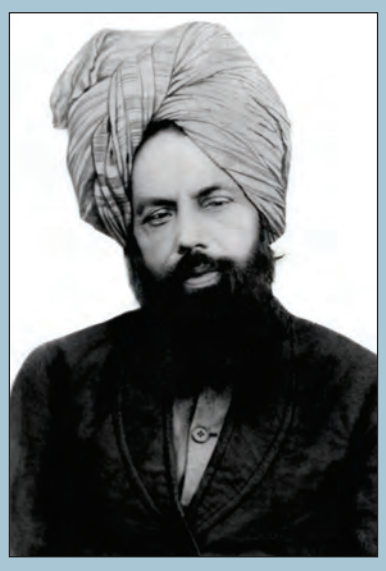

اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْاٰنِ अलख़ैरो कुल्लुहू फ़िल्-क़ुर्आन कि समस्त प्रकार की भलाइयां क़ुर्आन में हैं।

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद-ओ-मह्दी माहूद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

ख़ुदा ने मुझे संबोधित करते हुए फ़रमाया اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْاٰنِ "अलख़ैरो कुल्लुहू फ़िलक़ुर्आन" कि समस्त प्रकार की भलाइयां क़ुर्आन में हैं। यही बात सत्य है। खेद है उन लोगों पर जो किसी अन्य वस्तु को उस पर प्राथमिकता देते हैं। तुम्हारी सम्पूर्ण सफलता और मुक्ति का स्रोत क़ुर्आन में निहित है। तुम्हारी कोई भी धार्मिक आवश्यकता ऐसी नहीं जिसका समाधान क़ुर्आन में न हो। प्रलय के दिन तुम्हारे ईमान के सच्चे या झूठे होने की कसौटी क़ुर्आन है। आकाश के नीचे क़ुर्आन के अतिरिक्त और कोई पुस्तक नहीं जो किसी अन्य पर निर्भर हुए बिना तुम्हारा पथ-प्रदर्शन कर सके। ख़ुदा ने तुम पर आपार कृपा की है जो क़ुर्आन जैसी पुस्तक तुम्हें प्रदान की। मैं तुम्हें सच-सच कहता हूं कि वह पुस्तक जो तुम्हारे सम्मुख पढ़ी गई यदि ईसाइयों के सम्मुख पढ़ी जाती तो वे तबाह न होते। यह उपकार और पथ-प्रदर्शन जो तुम्हें उपलब्ध किया गया यदि (तौरात) को छोड़ कर यहूदियों को उपलब्ध कराया जाता तो उनके कुछ समूह प्रलय का इन्कार न करते। अतः इस उपकार के महत्त्व को समझो जो तुम्हारे साथ किया गया। यह अति उत्तम उपकार है यह अपार संपत्ति है।

(कश्ती-ए-नूह रुहानी ख़ज़ायन, भाग 19 पृष्ठ 26)

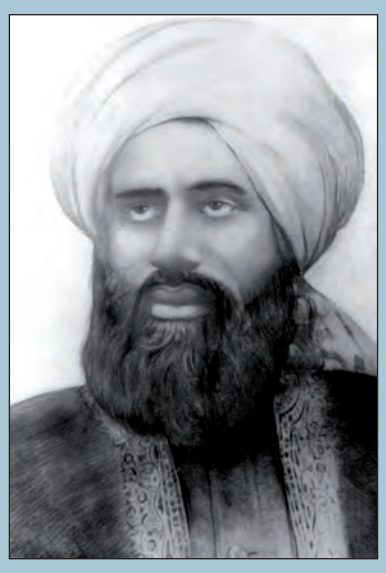

इसमें दुनिया के अंत तक होने वाली महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाओं की खबरें मौजूद हैं

सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल् मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं :

पवित्र क़ुरआन शुरू होता है اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ से। यह वह आयत है जिस से सभी धर्मों का खंडन होता है। न तो ईसाइयों कि धारणा अनुसार तीन ईश्वर रह सकते हैं, न ही किसी निर्दोष व्यक्ति को एकतरफा दया के बहाने फाँसी पर लटकाया जा सकता है, न ही आर्यों का मादह जो रूह प्रारंभ से सदैव के लिए बन सकता है, न पुनर्जन्मवादियों के पास कोई तर्क बचा है, न ही सोफस्ताइयों को आने की ताब है। और न तो ब्राह्मण को इल्हाम के मामले में असमंजस हो सकता है, न शिया साहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हो पर आपत्ति कर सकते हैं, न ही नास्तिक किसी सबूत के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को नकार सकते हैं। यह तो एक आयत के संबंध मे है, यदि सात आयतें पढ़ी जाएं तो इसमें सभी धर्मों के सत्यों का सुगंध संग्रह मिलता है तथा संसार के अंत तक होने वाली महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाओं की जानकारी भी इसमें मौजूद है। यह उन सभी झूठों और ग़लत मान्यताओं का खंडन है जो दुनिया में उत्पन्न हुए हैं या उत्पन्न हो सकते हैं।

(हकीतुल फुरकान, भाग 1, पृष्ठ 5)

क़ुरआन में जितना ज्ञान है, इसका उदाहरण कोई पुस्तक नहीं दे सकती

सय्यदना हज़रत ख़लीफ़ातुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं :

सत्य यह है कि पवित्र क़ुरआन का कोई भी भाग निरस्त नहीं, इसका एक-एक शब्द मान्य है और यह शरीयत कयामत तक कायम रहने वाली है। मैंने एक बार स्वप्न में देखा कि मैं किसी को बता रहा था कि पवित्र क़ुरआन के प्रत्येक शब्द और प्रत्येक ज़बर और प्रत्येक ज़ेर अपने अंदर अर्थ रकती है और पवित्र क़ुरआन में छोटे अंतर के साथ इसका अर्थ बदल जाता है और इसमें जितनी हिकमते है कोई पुस्तक उनका उदाहरण नहीं दे सकती, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सारा ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के सामने प्रकट हो जाए। हाँ, हर युग में, पवित्र क़ुरआन के कुछ नए अर्थ सामने आते हैं और उनके साथ कुछ अतिरिक्त अर्थ भी होते हैं जो सर्वशक्तिमान खुदा ने भविष्य वालों के लिए रखे होते हैं और यह सिलसिला क़यामत के दिन आने तक इसी तरह जारी रहेगा।

(तफ़सीर-ए-कबीर, भाग 2, पृष्ठ 98)

सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हो पर क़ुरआन-ए-क़रीम का वह प्रभाव हुआ कि वे धरती से उठे और आकाश के चमकते सितारे बन गए

पवित्र क़ुरआन के भेद, इसकी गहराईयाँ केवल पवित्र लोगों के लिए ही प्रकट होती हैं और इसके लिए पवित्र लोगों की संगति से लाभान्वित होने की भी आवश्यकता है

इस युग में यह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही हैं जो अल्लाह तआला के दिए हुए ज्ञान से लाभान्वित होने के बाद जो आप अलैहिस्सलाम ने वर्णन फ़रमाया उसको हमें देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए

मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तआला समस्त पाठकों को पवित्र क़ुरआन पढ़ने, इसके अर्थ समझने और इसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने की क्षमता प्रदान करे। आमीन

सय्यदन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहिब ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का विशेष संदेश साप्ताहिक बदर क़ादियान के प्रिय पाठको के लिए

इस्लामाबाद, यू.के
MA 28-10-2023

साप्ताहिक बदर क़ादियान के प्रिय पाठको
अस्सलामो अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातहू

अल्हम्दोलिल्लाह कि अख़बार बदर को "क़ुरआन-ए-क़रीम नंबर" प्रकाशित करने का अवसर मिल रहा है। अल्लाह तआला इसके प्रकाशन को हर प्रकार से लाभदायक बनाए। आमीन। इस अवसर पर मुझ से एक संदेश भेजने का अनुरोध किया गया है। मेरा संदेश यह है कि इस युग में, सर्वशक्तिमान अल्लाह ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सच्चे गुलाम को क़ुरआन के प्रकशन के लिए और इसकी रक्षा के लिए भेजा है। आप अलैहिस्सलाम को वे गूढ़ रहस्यमय शिक्षाएं दी हैं जो लोगों से छिपी हुई थीं। आपके माध्यम से पवित्र क़ुरआन के फ़ैज़ का एक स्रोत जारी किया गया है। पवित्र क़ुरआन की वाग्मिता के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया :

"यह पवित्र क़ुरआन का चमत्कार है कि इसमें सभी शब्द मोतियों की तरह जड़े हुए हैं और अपने-अपने स्थान पर रखे गए हैं कि उनमें से किसी को भी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर नहीं रखा जा सकता है और उनमें से किसी को भी किसी से बदला नहीं जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद गद्य की नियमावली,अलंकारिता और वाग्मिता के सभी आवश्यक गुण इसमें मौजूद हैं।" (मल्फ़ूज़ात, खंड 10, पृष्ठ 173)

इस बात को वर्णन फ़रमाते हुए कि पवित्र क़ुरआन दुनिया के देशों को एकजुट करने के लिए आया है, आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"अल्लाह तआला ने पहले प्रत्येक उम्मत को अलग-अलग नियमावली भेजीं, और फिर चाहा कि जैसे कि ख़ुदा एक है वे भी एक हो जाएं तब सबको इकट्ठा करने के लिए क़ुरआन को भेजा और सूचना दी कि एक युग आने वाला है कि ख़ुदा सभी कौमों को एक कौम बना देगा और सभी देशों को एक देश बनाएगा और सभी भाषाओं को एक भाषा बना देगा।"

(नसीम-ए-दावत, रूहानी खज़ायन, भाग 19, पृष्ठ 428)

लोग कहते हैं कि अलग-अलग धर्म क्यों आए? इसलिए कि उस समय तक उनकी बुद्धि और चेतना तथा उनके पास जो संसाधन थे वे इतने थे कि अपने युग में सीमित रहें। पहले युग में अलग-अलग भेजे। अब एक युग ऐसा आ गया है कि जब सभी लोग एक साथ आ सकते हैं, इसलिए पवित्र क़ुरआन के रूप में एक सम्पूर्ण शरीयत हमारे पास भेजी गई और फ़रमाया कि यह सभी देशों को एक देश बना देगा और सभी भाषाओं को एक भाषा बना देगा। आज कल विश्व में ग्लोबल विलेज के लिए (Term) का प्रयोग किया जाता है कि विश्व एक बन चुका है और एक शहर का दर्जा रखता है। हालाँकि, पवित्र क़ुरआन वह पुस्तक है, जो इसके बावजूद कि दुनिया में अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले भी हैं और भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन दुनिया में जहां भी मुसलमान हैं। जिस देश के भी मुसलमान हैं, वे इसे अरबी भाषा में पढ़ते हैं, और इस प्रकार पाँच नमाज़ो में भी इसका उपयोग किया जाता है।

याद रखना चाहिए कि पवित्र क़ुरआन के भेद, इसकी गहराईयाँ केवल पवित्र लोगों के लिए ही प्रकट होती हैं और इसके लिए पवित्र लोगों की संगति से लाभान्वित होने की भी आवश्यकता है और इस युग में यह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही हैं जो अल्लाह तआला के दिए हुए ज्ञान से लाभान्वित होने के बाद जो आप अलैहिस्सलाम ने वर्णन फ़रमाया उसको हमें देखना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और वही व्याख्याएं हैं वे आगे आपके ज्ञान के अनुसार अहमदिया जमाअत का जो साहित्य है उसमे वर्णन होती हैं। बहुत सारे माता-पिता भी प्रश्न करते हैं कि बच्चे स्कूलों में जो सीखते हैं उसका कैसे उत्तर दें? हम यदि ध्यान दे कर पढ़ें, तफ़सीर पढ़ें, जमाअत का लिट्रेचर पढ़ें जो क़ुरआन-ए-क़रीम के आदेशों की रोशीनी में ही है तो फिर बच्चों के उत्तर भी माता पिता दे सकते हैं।

क़ुरआन की शिक्षा का सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हो पर प्रभाव का उल्लेख करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि :

"जब आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की पवित्र संगति और पवित्र क़ुरआन के आकर्षक प्रभाव से उनको महसूस हो गया कि जिस स्थिति में हमने जीवन व्यतीत किया है वह एक बर्बर जीवन है और पूर्णतः बुरे कामों से भरा हुआ है, तो उन्होंने रूहुल्-कुदुस से ताकत पा कर नेक आमाल की ओर हरकत की है जैसा कि सर्वशक्तिमान अल्लाह उनके पक्ष में फ़रमाता है : وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ (अल् -मुजादला : 23) अर्थात ख़ुदा ने एक पाक रूह के साथ उनका समर्थन किया।

(चश्मा मारफ़त, रुहानी खज़ायन, भाग 23, पृष्ठ 424-425)

अतः यह उन पर पवित्र क़ुरआन का प्रभाव था कि वे धरती से उठे और आकाश के चमकते सितारे बन गए, जिनके बारे में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि उनमें से प्रत्येक आपके लिए मार्गदर्शक है।

(अल्-मिश्कत अल्-मसाबीह, खंड 3, पृष्ठ 1696)

मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तआला समस्त पाठकों को पवित्र क़ुरआन पढ़ने, इसके अर्थ समझने और इसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करने की क्षमता प्रदान करे। आमीन

वस्सलाम,विनीत

मिर्ज़ा मसरूर अहमद
ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस

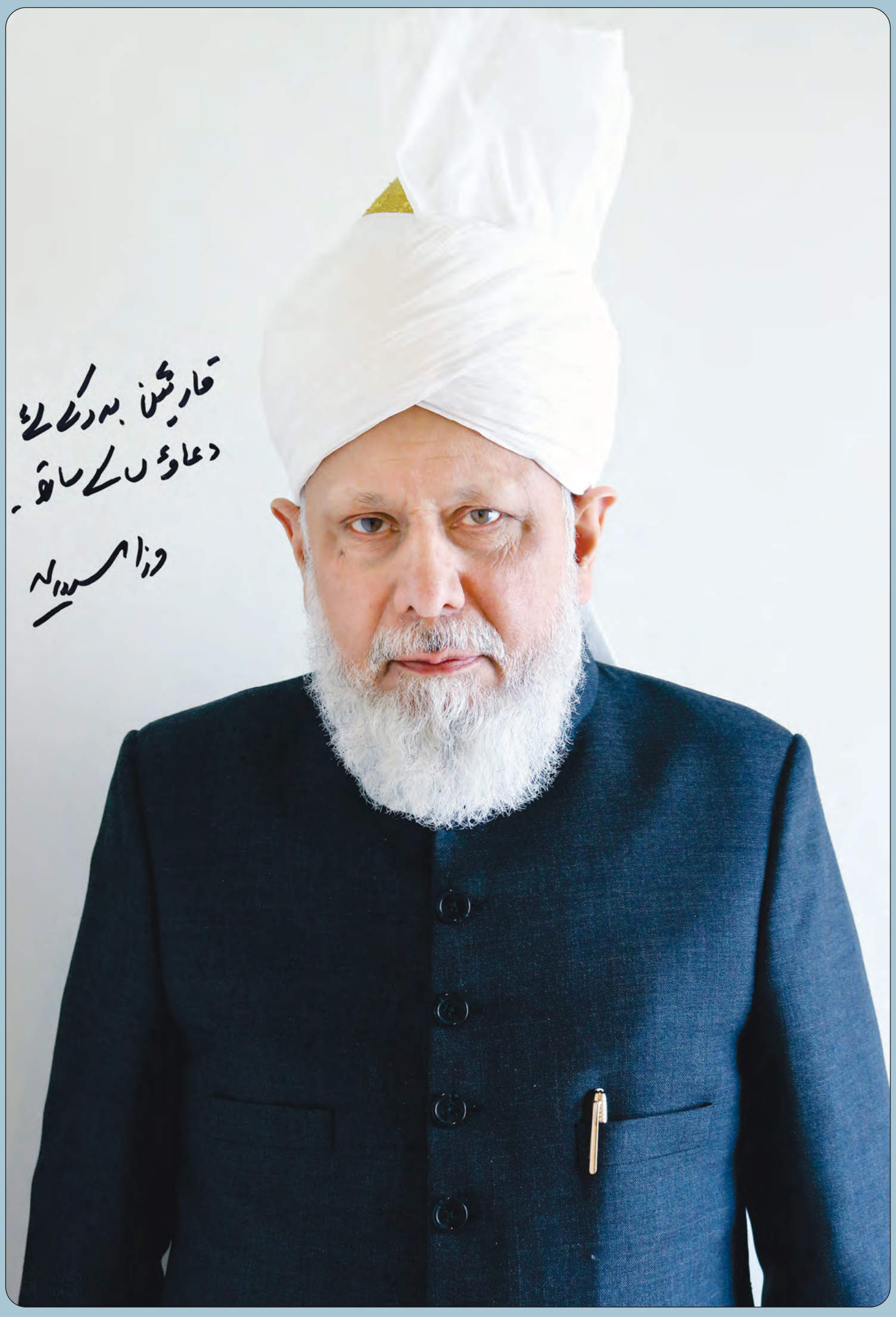

Hazrat Mirza Masroor Ahmad aba

The Fifth Khalifa After The Promised Messiah.

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

एकेश्वरवाद की आस्था की अहमियत और अज़मत और क़ुरआन-ए-क़रीम में इसकी शिक्षा

इस्लाम की सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा एकेश्वरवाद अर्थात " لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه। जिसका अर्थ है कि अल्लाह तआला के सिवाए कोई इबादत के लायक़ नहीं। इन्सान के लिए कदापि जायज़ नहीं कि वह अपने जैसे किसी इन्सान की इबादत करे, या किसी अन्य मख़लूक़ की इबादत करे या नदी नालों पहाड़ पर्वतों या वृक्षों और पत्थरों की इबादत करे। पूरी कायनात का केवल एक ही रब है, एक ही ख़ुदा है, एक ही स्रष्टा और मालिक है। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हर चीज़ का अंत है लेकिन उस का अंत नहीं। क़ुरआन-ए-मजीद दुनिया की वह वाहिद पुस्तक है जो एकेश्वरवाद की शिक्षा से परिपूर्ण है। अल्लाह तआला ने दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम भेजने का जो सिल्सिला जारी किया, वह ईसीलिए जारी किया ताकि वह लोगों को एकेश्वरवाद पर क़ायम करें और शिर्क का अंत करें। अल्लाह तआला को अपनी एकेश्वरवाद की बहुत ग़ैरत है। पूरी कायनात की संरचना उसने मानव जाति के लिए की और इस की रुहानी और जस्मानी प्रगति का पूरा-पूरा ख़्याल रखा तो फिर इन्सान के लिए कब जायज़ है कि वह उसको छोड़कर किसी और की इबादत करे। किस क़दर ज़ुल्म की बात है कि इन्सान सूरज चांद और सितारों की उपासना करे लेकिन उसके पैदा करने वाले को भूल जाए। कितनी बेवक़ूफ़ी की बात है कि इन्सान चाय का उपकार माने और उसके पिलाने वाले को भूल जाए, उपकार करने वाले को भूल जाए और उसकी तरफ़ से दी हुई वस्तु को याद रखे।

माँ बाप के आज्ञा पालन और फ़रमांबरदारी की अल्लाह तआला ने क़ुरआन-ए-क़रीम में बहुत ताकीद फ़रमाई है लेकिन शिर्क के विषय में उनकी फ़रमांबर्दारी से रोक दिया है। इसलिए अल्लाह तआला फ़रमाता है।

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾

(लुक़्मान : 16)

अनुवाद : और अगर वे दोनों तुझ से बेहस करें कि तू किसी को मेरा भागीदार निर्धारित कर जिसका तुझे कोई इल्म नहीं तू उन दोनों की बात मत मान। हाँ दुनयावी मामलों में उनके साथ नेक ताल्लुक़ात क़ायम रख और उस शख़्स के पीछे चलो जो मेरी तरफ़ झुकता है और तुम सब का लौटना मेरी तरफ़ ही होगा। उस वक़्त मैं तुमको तुम्हारे कर्मों से ख़बरदार करूँगा।

फिर सूरः अल् अंकबूत में भी अल्लाह तआला ने ऐसी ही शिक्षा दी, फ़रमाता है :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

(अल् अंकबूत : 8)

अनुवाद : हमने इन्सान को अपने माता पिता से अच्छा सुलूक करने का हुक्म दिया है और (कहा है कि) अगर वे दोनों तुझ से इस बात में बेहस करें कि तू किसी को मेरा भागीदार क़रार दे हालाँकि उसका तुझे कोई इल्म नहीं, तू इन दोनों की फ़रमांबर्दारी न कर क्योंकि तुम सबने मेरी तरफ़ ही लौट कर आना है और मैं तुम्हारे कर्मों (की नेकी बदी) से तुमको अवगत करूँगा।

क़ुरआन नंबर

क्रम	विषय सूची	पृष्ठ
1	एकेश्वरवाद की आस्था की अहमियत और अज़मत और क़ुरआन-ए-क़रीम में इसकी शिक्षा	1
2	क़ुरआन-ए-मजीद का उत्कृष्ट स्थान और श्रेणी (क़ुरआन-ए-क़रीम की दृष्टि से)	2
3	क़ुरआन-ए-मजीद का उत्कृष्ट स्थान और श्रेणी (हदीस-ए नब्वी स.अ.व. की दृष्टि से)	2
4	क़ुरआन-ए-क़रीम की दूसरी पुस्तकों पर प्रधानता सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद-ओ-महदी माहूद अलैहिस्सलाम के पवित्र शब्दों की रोशनी में	3
5	क़ुरआन-ए-क़रीम का महान् स्थान और मर्तबा ख़ुल्फ़ा कराम के उपदेशों की रोशनी में	4
6	अख़बार बदर के विशेष अंक "क़ुरआन नंबर" के सम्बन्ध से सय्यदना हज़रत अमीरूल मोमेनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का ख़ुत्बा जुमा फ़र्मूदा 16 दिसंबर 2011 ई .	5
7	क़ुरआन-ए-मजीद और महिलाओं के अधिकार	9
8	आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जीवनी क़ुरआन-ए-क़रीम की दृष्टि से	13
9	क़ुरआन-ए-क़रीम की ग़ैर मुस्लिमों से सहिष्णुता और हुस्न-ए-सुलूक की शिक्षाएं	18
10	क़ुरआन-ए-मजीद में विश्व शांति की शिक्षा (विशेषतः न्याय की शिक्षा)	22

अल्लाह तआला ने शिर्क को सबसे बड़ा ज़ुल्म क़रार दिया है और यह वह ज़ुल्म है जो क्षमा के योग्य नहीं। इसके सिवाए जो भी गुनाह हों और जिस क़दर हों अल्लाह तआला माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क का गुनाह वह माफ़ नहीं करेगा क्योंकि जो शख़्स पूरी ज़िंदगी अल्लाह के अतिरिक्त किसी और से मांगता रहा अब वह अल्लाह से क्योंकर माँगेगा और अगर माँगेगा तो उसे क्योंकर दिया जाएगा। शिर्क के ज़ुल्म अज़ीम होने के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

(लुक़्मान : 14)

अनुवाद : और याद करो जब लुक़्मान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा : हे मेरे बेटे अल्लाह का भागीदार किसी को मत क़रार दे शिर्क अवश्य बहुत बड़ा ज़ुल्म है।

और शिर्क के गुनाह की क्षमा न किए जाने का ऐलान अल्लाह तआला ने सूरः निसा में दो स्थानों पर फ़रमाया है :

अल्लाह तआला फ़रमाता है :

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا ﴿٤٩﴾

(अल् निसा : 49)

अनुवाद : अल्लाह (इस बात को) कदापि माफ़ नहीं करेगा कि (किसी को) उसका भागीदार क़रार दिया जाए और जो (गुनाह) उससे छोटा हो उसे जिसके हक़ में चाहेगा माफ़ कर देगा और जिस ने अल्लाह के साथ (किसी को) भागीदार क़रार दिया हो तो (समझो कि) उसने (बहुत) बड़ी

शेष पृष्ठ 25 पर

क़ुरआन-ए-मजीद का उत्कृष्ट स्थान और श्रेणी

क़ुरआन-ए-क़रीम की दृष्टि से

क़ुरआन-ए-क़रीम अद्वितीय किताब

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا ﴿۸۹﴾

(बनी इस्राईल : 89)

अनुवाद : तू कह दे कि यदि जिन्न और मनुष्य सभी इकट्ठे हो जाएँ कि इस क़ुरआन के अनुरूप (ग्रंथ) ले आएँ तो वे इस के अनुरूप नहीं ला सकेंगे चाहे उनमें से कुछ, कुछ के सहायक हों। 17 : 89।

क़ुरआन-ए-मजीद बेहतरीन हिदायत देने वाली पुस्तक है

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا ﴿۱۰﴾

(बनी इस्राईल : 10)

अनुवाद : निःसन्देह यह क़ुरआन उस (मार्ग) की ओर हिदायत देता है जो सबसे अधिक दृढ़ रहने वाला है। और उन मौमिनों को जो नेक काम करते हैं शुभ-समाचार देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल (निश्चित) है। 17 : 10।

क़ुरआन-ए-मजीद मौमिनीन के लिए शिफ़ा-ए-रहमत है

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴿۸۳﴾

(बनी इस्राईल : 83)

अनुवाद : और हम क़ुरआन में से उसे उतारते हैं जो आरोग्य प्रदानकारी और मौमिनों के लिए रहमत है। और वह अत्याचारियों को घाटे के सिवा किसी और चीज़ में नहीं बढ़ाता। 17 : 83।

तिलावत क़ुरआन से पहले इस्ति'आज़ा (अ' ऊज़ुबिल्लाह पढ़ना)

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۹۹﴾

(अन्-नहल् : 99)

अनुवाद : अतः जब तू क़ुरआन पढ़े तो धुत्कारे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह मांग। 16:99 ।

क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत ख़ामोशी से सुननी चाहिए

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

(अल् आ'राफ़ : 205)

अनुवाद : और जब क़ुरआन पढ़ा जाए तो उसे ग़ौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। 07:205।

बा-वुज़ू हो कर क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलवात करनी चाहिए

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿۷۸﴾ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿۷۹﴾ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿۸۰﴾

(अल् वाकिआ : 78 से 80)

निसंदेह यह एक सम्मान वाला क़ुरआन है। एक छुपी हुई पुस्तक में सुरक्षित है कोई उसे छू नहीं सकता सिवाए पवित्र किए हुए लोगों के। 56: 80।

★ हज़रत ख़लीफ़तुल-मसीह अल् राबे रहमहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं क़ुरआन-ए-क़रीम खुली हुई पुस्तक भी है और छुपी हुई भी। ज़ाहिर तौर पर तो इसकी तिलावत प्रत्येक नेक-ओ-बद कर सकता है लेकिन इस के उच्च दर्जा के मख़फ़ी असरार केवल उन पर ज़ाहिर किए जाते हैं जो अल्लाह तआला की तरफ़ से पाक किए गए हों।

★ ★ ★

हदीस-ए नब्वी स.अ.व. की दृष्टि से

क़ुरआन-ए-क़रीम सीखने और सिखाने की फ़ज़ीलत

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ۔

(बुख़ारी किताबुल् फ़ज़ायल क़ुरआन बाब خیرکم من تعلم القرآن)

हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुम में से बेहतर वह है जो क़ुरआन-ए-क़रीम सीखता और दूसरों को सिखाता है।

क़ुरआन-ए-क़रीम के माध्यम से जन्नत में दर्जात की बुलंदी

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْاٰنِ اِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اِقْرَأْ وَاصْعَدْ فَيَقْرَاُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ اٰيَةٍ دَرَجَةً حَتّٰى يَقْرَاَ اٰخِرَ شَيْءٍ مَعَهٗ۔

(सुंन इब्ने माजा किताबुल् अदब बाब सवाब अल-क़ुरआन)

अनुवाद : हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब हाफ़िज़-ए-क़ुरआन जन्नत में दाख़िल होगा तो उस से कहा जाएगा कि तुम क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत करते जाओ और बुलंद दर्जात हासिल करते जाओ अतः वह क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत करता जाएगा और दर्जात में बुलंदी की मंज़िले तय करता जाएगा यहाँ तक कि आख़िरी आयत की तिलावत तक जो उसे याद होगी वह बुलंदी दर्जात हासिल करता चला जाएगा।

क़ुरआन-ए-क़रीम बेनज़ीर किताब

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ الَّذِيْ لَيْسَ فِيْ جَوْفِهٖ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ

(तिरमज़ी फ़ज़ायलुल् क़ुरआन बाब मन कराअन्-हरफ़न)

हज़रत इब्न-ए-अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैंकि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जिसको क़ुरआन-ए-क़रीम का कुछ हिस्सा भी याद नहीं वह खंडर घर की तरह है।

क़ुरआन-ए-क़रीम की बहुत अधिकत तिलावत करने वाला ईर्ष्याजन्य है।

لَا حَسَدَ اِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَتْلُوْهُ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهٗ اٰنَاءَ اللَّيْلِ وَاٰنَاءَ النَّهَارِ

(बुख़ारी पुस्तक अल्तोहीद, बाब क़ौलुन्नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْاٰنَ فَهُوَ يَقُوْمُ بِهٖ)

अनुवाद : दो व्यक्ति रशक के योग्य हैं एक वह जिसको अल्लाह तआला ने क़ुरआन-ए-क़रीम की नेअमत प्रदान फ़रमाई हो और वह रात और दिन की अलग-अलग घड़ियों में इसकी तिलावत करता है और दूसरा वह जिसको अल्लाह तआला ने माली फ़राख़ी प्रदान की हो और वह इस से रात-दिन अल्लाह की राह में ख़र्च करता है।

★ ★ ★

क़ुरआन-ए-क़रीम की दूसरी पुस्तकों पर प्रधानता
सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद-ओ-मह्दी माहूद अलैहिस्सलाम के पवित्र शब्दों की रोशनी में

★ क़ुर्आन शरीफ़ में तुम्हारे लिए अति पवित्र उपदेशों का उल्लेख है जिनमें से एक यह है कि तुम अनेकेश्वरवाद की पूर्णतया अवहेलना करो कि अनेकेश्वरवादी मनुष्य मुक्ति के स्रोत से बहुत दूर है। तुम झूठ मत बोलो कि झूठ भी अनेकेश्वरवाद का ही एक भाग है। क़ुर्आन तुम्हें इंजील की भांति यह नहीं कहता कि केवल बुरी दृष्टि और कामवासना के विचार से स्त्रियों की ओर देखना अवैध है, इसके अतिरिक्त शेष सब वैध है बल्कि वह कहता है कि कदापि न देखो न बुरी दृष्टि से न अच्छी दृष्टि से, कि इन सबसे तुम ठोकर खाओगे। तुझे चाहिए कि पराई स्त्री के सम्मुख आ जाने पर तेरी दृष्टि नीचे रहे, तुझे उसकी सूरत का कुछ ज्ञान न हो परन्तु उतना ही जैसे एक धुंधली दृष्टि से वर्षा शुरू होते समय कोई किसी को देख पाए। क़ुर्आन तुम्हें इंजील की भांति यह नहीं कहता कि इतनी शराब मत पियो कि मस्त हो जाओ बल्कि वह कहता है कि कदापि न पी अन्यथा तुझे ख़ुदा का मार्ग प्राप्त न होगा, ख़ुदा तुझ से वार्तालाप नहीं करेगा और न गंदगियों से पवित्र करेगा और वह कहता है कि यह शैतान का आविष्कार है तुम इससे बचो। क़ुर्आन तुम्हें इंजील की भांति मात्र यह नहीं कहता कि अपने भाई पर अकारण क्रोधित मत हो बल्कि वह कहता है कि न केवल अपने क्रोध को वश में रख बल्कि-تَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ-"तवासव बिल मरहम" (अलबलद-18)" पर कर्म भी करो और दूसरों को भी कह कि ऐसा करें। न केवल स्वयं दया कर बल्कि दया करने हेतु अपने समस्त भाइयों को वसीयत भी कर और क़ुर्आन तुम्हें इंजील की भांति यह नहीं कहता कि अपनी स्त्री के बलात्कार करने के अतिरिक्त प्रत्येक अपवित्रता पर सब्र करो और तलाक़-मत दो बल्कि कहता है

اَلطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ

"अत्तय्यिबातो लित्तय्यिबीन" (अन्नूर - 27)

क़ुर्आन का सिद्धांत यह है कि अपवित्र पवित्र का साथी नहीं रह सकता। अतः यदि तेरी स्त्री बलात्कार तो नहीं करती परन्तु अन्य लोगों को कामुक दृष्टि से देखती है और उनसे मेल-जोल रखती है और बलात्कार की प्रेरणा देती है यद्यपि कि अभी अन्तिम सीमा तक नहीं पहुँची, अन्य लोगों को अपना नंगापन दिखाती है और अनेकेश्वरवादी है और तू जिस पवित्र ख़ुदा पर ईमान रखता है उस से वह विमुख है और यदि वह इन कृत्यों से न रुके तो तू उसे तलाक़ दे सकता है क्योंकि वह अपने कर्मों में तुझ से अलग हो गई, अब तेरे शरीर का अंग नहीं रही। अतः तेरे लिए वैध नहीं है कि तू बेहयाई से उसके साथ रहे क्योंकि अब वह तेरे शरीर का अंग नहीं एक अपवित्र और बदबूदार अंग है जो काटने योग्य है। ऐसा न हो कि वह शेष अंगों को भी अपवित्र और गन्दा कर दे और तू मर जाए और क़ुर्आन तुम्हें इंजील की भांति यह नहीं कहता कि सौगन्ध कदापि न खा बल्कि व्यर्थ सौगन्ध खाने से रोकता है क्योंकि कुछ परिस्थितियों में निर्णय हेतु सौगन्ध एक माध्यम है और ख़ुदा किसी प्रमाण के माध्यम को नष्ट करना नहीं चाहता क्योंकि इससे उसका दर्शन व्यर्थ होता है। यह स्वाभाविक बात है कि जब कोई मनुष्य एक परस्पर झगड़े वाले मामले में साक्ष्य न दे तब निर्णय हेतु ख़ुदा की साक्ष्य की आवश्यकता है और सौगन्ध ख़ुदा को साक्षी बनाने का नाम है। क़ुर्आन तुम्हें इंजील की भांति यह नहीं कहता कि प्रत्येक-स्थान पर अत्याचारी का मुकाबला न करना बल्कि वह कहता है

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

"फ़अजरूहू अलल्लाह जज़ाओ सय्यिअतिन सय्यिअतुन मिस्लुहा फ़मन अफ़ा व असलहा" (अश्शूरा-41)

अर्थात् बुराई का बदला उतनी ही बुराई है जो की गई, जो मनुष्य क्षमा कर दे और गुनाह को माफ़ कर दे और इस माफ़ी और क्षमा से कोई सुधार होता हो न कोई ख़राबी, तो ख़ुदा उससे प्रसन्न है और उसे वह उसका प्रतिफल प्रदान करेगा। अतः क़ुर्आन के अनुसार न प्रत्येक स्थान पर प्रतिशोध अच्छा है और न प्रत्येक स्थान पर क्षमा ही सराहनीय है, अपितु स्थान व अवसर के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए और चाहिए कि प्रतिशोध और क्षमा का आचरण सदा स्थान व अवसर के अनुकूल हो न कि प्रतिकूल, क़ुर्आन का यही उद्देश्य है और क़ुर्आन इंजील की भांति यह नहीं कहता कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो बल्कि वह कहता है कि चाहिए कि इन्सान होने के नाते तेरा कोई भी शत्रु न हो। तेरी सहानुभूति सामान्य रूप से सबके लिए हो, पर जो तेरे ख़ुदा का शत्रु, तेरे रसूल का शत्रु, ख़ुदा की पुस्तक का शत्रु है वही तेरा शत्रु होगा। अतः तू ऐसे लोगों को भी ख़ुदा की ओर बुलाने से और अपनी प्रार्थना से वंचित न रख। अनिवार्य है कि तू उनके कर्मों से शत्रुता रखे न कि उनके अस्तित्व से। तू कोशिश करे कि वे-सुधर जाएं। इस सन्दर्भ में क़ुर्आन कहता है

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى

"इन्नल्लाहा यामुरो बिल अदले वल इह्साने व ईताएज़िल क़ुरबा" (अन्नहल-91)

अर्थात् ख़ुदा तुम से चाहता है कि समस्त मानव समाज से न्याय का व्यवहार करो, फिर इससे बढ़कर यह है कि उनसे भी भलाई करो जिन्होंने तुम्हारे साथ कोई भी भलाई नहीं की, फिर इससे भी बढ़कर यह कि तुम प्रजा से इस प्रकार सहानुभूति और उदारतापूर्ण व्यवहार करो जैसे तुम उनके वास्तविक संबंधी हो जिस प्रकार माताएं अपने शिशुओं से सहानुभूति और उदारतापूर्ण व्यवहार करती हैं; क्योंकि उपकार में अपने आपको प्रदर्शित करने का तत्व भी निहित होता है और उपकार करने वाला कभी अपने उपकार को जता भी देता है परन्तु वह जो मां की भांति अपने स्वाभाविक आवेग से भलाई करता है वह कभी अपने आपको प्रदर्शित नहीं कर सकता। अतः भलाई करने का अन्तिम दर्जा स्वाभाविक आवेग है जो मां की भांति हो और यह आयत न केवल प्रजा से संबंधित है बल्कि ख़ुदा के संबंध में भी है। ख़ुदा से न्याय का अभिप्राय यह है कि उसके उपकारों को स्मरण करके उसकी आज्ञा का पालन करना और ख़ुदा से उपकार यह है कि उसके अस्तित्व पर ऐसा विश्वास करना जैसे वह ख़ुदा को देख रहा है और ख़ुदा से ईताएज़िल क़ुरबा यह है कि उसकी उपासना न तो स्वर्ग की लालसा से हो न ही नर्क के भय से बल्कि यदि कल्पना की जाए कि न तो स्वर्ग है न ही नर्क, तब भी प्रेमावेग और आज्ञापालन में कोई अन्तर न आए। इंजील में लिखा गया है कि जो लोग तुम्हें अभिशाप दें उनके लिए वरदान चाहो। परन्तु क़ुर्आन कहता है कि तुम स्वयं से कुछ भी न करो। तुम अपने हृदय, जो ख़ुदा के अलौकिक प्रकाशों का घर है से परामर्श लो कि ऐसे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। यदि ख़ुदा तुम्हारे हृदय में डाले कि यह अभिशाप देने वाला दया योग्य है और आकाश में वह अभिशाप योग्य नहीं, तो तुम भी अभिशाप न दो ताकि ख़ुदा के विरोधी न ठहराए जाओ। परन्तु यदि तुम्हारा कान्शंस (अन्तर्आत्मा) उसको असमर्थ नहीं ठहराता और तुम्हारे हृदय में डाला गया कि आकाश पर यह अभिशापी है तो तुम उसके लिए वरदान न चाहो जैसा कि शैतान के लिए किसी नबी ने वरदान नहीं चाहा। किसी भी नबी ने उसे अभिशाप से स्वतंत्र नहीं किया। पर किसी के लिए भी अभिशाप में जल्दी न करो क्योंकि बुरे विचार मिथ्या हैं और बहुत से अभिशाप अपने ही ऊपर पड़ जाते हैं। संभलकर पग उठाओ, प्रत्येक कार्य पूर्ण सतर्कता से करो और ख़ुदा से ही सहायता मांगो क्योंकि तुम अंधे हो। ऐसा न हो कि तुम न्यायप्रिय को अत्याचारी ठहराओ और सत्यवादी को झूठा। इस प्रकार तुम अपने ख़ुदा को रुष्ट कर दो और तुम्हारे सब पुण्य कर्म व्यर्थ हो जाएं।

(कशती-ए-नूह रुहानी ख़ज़ायन, भाग 19 पृष्ठ 26 से 28)

★ ★ ★

क़ुरआन-ए-क़रीम का महान् स्थान और मर्तबा खुल्फ़ा कराम के उपदेशों की रोशनी में

क़ुरआन शरीफ़ को जितनी बार पढ़ो उसी क़दर आनंद और बढ़ता जाएगा
हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह प्रथम रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं :

★ मैंने दुनिया की बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और बहुत ही पढ़ी हैं परंतु ऐसी पुस्तक दुनिया की दिल रुबा राहत बख़श लज़्ज़त देने वाली जिसका नतीजा दुख न हो नहीं देखी जिसको बार-बार पढ़ते हुए, अध्यन करते हुए और इस पर फ़िक्र करने से दिल न उक्ताए, तबीयत न भर जाए , और या बदख़ूओ के दिल उक्ता जाए और उसे छोड़ न देना पड़ा हो। मैं फिर तुमको यक़ीन दिलाता हूँ कि मेरी आयु, मेरी अध्यन पसंद तबीयत, किताबों का शौक़ इस बात को एक बसीरत और काफ़ी अनुभव के आधार पर कहने के लिए जुर्रत दिलाते हैं कि कदापि कदापि कोई पुस्तक ऐसी मौजूद नहीं है, अगर है तो वह एक ही पुस्तक है, वह कौन सी किताब? ذَالِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ فِيْهِ कैसा प्यारा नाम है। मैं सच्च कहता हूँ कि क़ुरआन शरीफ़ के सिवाए कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि उसको जितनी बार पढ़ो, जिस क़दर पढ़ो और जितना उस पर ग़ौर करो उसी क़दर लुतफ़ और राहत बड़ती जाएगी। तबीयत उक्ताने के बजाय चाहेगी कि और समय इस पर खर्च करो। अनुकरण करने के लिए कम से कम जोश पैदा होता है और दिल में ईमान यक़ीन और इर्फ़ान की लहरें उठती हैं।

(हक़ायकुल् फ़ुरकान, भाग प्रथम पृष्ठ 34)

क़ुरआन-ए-क़रीम की एक आयत मंसूख़ नहीं
हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं :

★ क़ुरआन-ए-क़रीम सब का सबअनुकरण योग्य है। इसलिए अपनी वफ़ात के दिन तक आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम क़ुरआन-ए-क़रीम के समस्त अहकाम के आमिल रहे और इस पर अमल करवाते रहे। और क़ुरआन-ए-क़रीम भी खुले शब्दों में अपने महफ़ूज़ होने की शहादत दे रहा है जैसा कि आयत اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ से ज़ाहिर है। अतः इन वाक़ियात की मौजूदगी में यह ख़्याल भी नहीं किया जा सकता कि क़ुरआन-ए-क़रीम की बाअज़ आयात मंसूख़ हों। इस समय जो क़ुरआन-ए-क़रीम दुनिया में मौजूद है इस में से एक आयत भी मंसूख़ नहीं। और इस में कदापि कोई मतभेद नहीं जिसके मिटाने के लिए अनुमान लगाते हुए हमें किसी नस्ख़ के जायज़ होने का फ़त्वा देना पड़े। वह अपनी मौजूदा सूरत में कामिल और बिना दोष के है और इस्लाम के समस्त मुख़ालेफ़ीन मिल कर भी अगर इस में कोई मतभेद साबित करना चाहें तो नहीं कर सकते और हम अल्लाह तआला के फ़ज़ल से दावे से कहते हैं कि अगर कोई ऐसा शख़्स जो इल्मी हैसियत रखता हो या कोई मुख़ालिफ़-ए-जमाअत, क़ुरआन-ए-क़रीम में मतभेद साबित करना चाहे तो हम क़ुरआन-ए-क़रीम से ही उसका खंडन कर सकते हैं।

(तफ़सीर-ए-कबीर भाग 2 पृष्ठ : 101)

समस्त आसमानी किताबों की सदाक़तें क़ुरआन में आ गई हैं
हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह फ़रमाते हैं :

★ अल्लाहु तआला सूरः आले इमरान में फ़रमाते है وَهٰذَا كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ यह क़ुरआन एक ऐसी पुस्तक है और एक ऐसी शरीयत है जो मुबारक है। समस्त आसमानी किताबों की खूबियां और उनकी बुनियादी सदाक़तें मानो बह कर उसके अंदर आ गई हैं। अब तुम इस किताब-ए-मुबारक की कामिल पैरवी करो। (اتَّبِعُوْهُ।)इस से तुम्हें दो फ़ायदे पहुँचेंगे। एक तो यह कि तुम ख़ुदा की पनाह में आ जाओगे। ख़ुदा तुम्हारी ढाल बन जाएगा और वे समस्त शैतानी संदेहों से तुम्हें बचाएगा क्योंकि इस पवित्र पुस्तक के अनुसरण के बग़ैर तक़्वा की सही राहों का इर्फ़ान भी हासिल नहीं होता और उन पर चल कर अल्लाह तआला की कामिल हिफ़ाज़त के अंदर भी इन्सान नहीं आ सकता और दूसरा नतीजा इसका यह निकलेगा कि تُرْحَمُوْنَ अल्लाह तआला के रहम के तुम मुस्तहिक़ ठहरोगे और इसके असीमित इनामों के नतीजा में जस्मानी और रुहानी संतुष्टि हासिल होगी।

(ख़ुत्बा फ़र्मूदा 5 मई 1967)

शुरू से आख़िर तक हिदायत के समस्त सिद्धांत सिखाने वाली किताब
हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह फ़रमाते हैं :

★ क़ुरआन-ए-क़रीम हिदायत की एक ऐसी पुस्तक है जो प्रत्येक उस इन्सान को जो इस से हिदायत चाहता है पहले क़दम से लेकर उसके अंत तक हिदायत के समस्त सिद्धांत सिखाती चली जाती है। और प्रत्येक क़दम पर साथ देती है यह एक ऐसी मार्गदर्शक पुस्तक है जो मंज़िले के समस्त ख़तरात से अवगत है और प्रत्येक क़दम पर जिस किस्म के इबतेला यात्री को या अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले को पेश आ सकते हैं उनसे पूर्णतः अवगत है और प्रत्येक उस मुसाफ़िर को जो राह-ए-हिदायत का मुसाफ़िर है और क़ुरआन-ए-क़रीम से राहनुमाई चाहता है प्रत्येक ख़तरा से समय पर अवगत करती चली जाती है। और इस से बचने के तरीक़ सिखलाती चली जाती है नए हौसले प्रदान करती चली जाती है। उद्देश्य यह कि एक क्षण के लिए भी अल्लाह के मार्ग पर चलने वाले का साथ नहीं छोड़ती। जब हम इस पहलू से क़ुरआन-ए-क़रीम पर ग़ौर करते हैं तो हस حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ अर्थात ख़ूब समझ आता है। हक़ीक़त यह है कि यह पुस्तक उनके लिए जो इससे रहनुमाई हासिल करते हैं पूरे ख़ुलूस, तक़्वा और अज़म के साथ कि हम उसकी बताई हुई राहों पर चलेंगे ऐसे مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ लोगों के लिए यह प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है। और इस के बाद किसी और चीज़ की हाजत नहीं रहती। (ख़ुत्बात-ए-ताहेर भाग 2 पृष्ठ 579)

क़ुरआन समस्त किस्म की शिक्षाों और ज़ाबित-ए-हयात का मजमूआ है
हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम अय्यदहुल्लाहो तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं :

★ क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा तो समस्त किस्म की शिक्षाों और ज़ाबित-ए-हयात का मजमूआ है। रूहानियत के उच्च मयारों की यह शिक्षा देती है। अख़लाक़ के उच्च मयारों की शिक्षा देती है। हर मामूली अक़्ल रखने वाले और उच्च फ़हम-ओ-इदराक रखने वाले के लिए इस में वर्णन है। अतः इस में एक यह भी बात है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो एतराज़ करने की बजाय अपनी अक़्लों पर रोओ, न कि क़ुरआन पर एतराज़ करो। क़ुरआन की शिक्षा तो इन्सानी फ़ित्रत के ऐन अनुसार है लेकिन इसको समझने के लिए पाक-दिल होना ज़रूरी है और एक पवित्र करने वाले की ज़रूरत है। आज जमाअत अहमदिया है जो इसका फ़हम-ओ-इदराक इस पवित्र करने वाले नबी से हासिल करके आगे पहुंचाती है। आओ इस से यह फ़हम-ओ-इदराक हासिल करो अल्लाह तआला उन लोगों को अक़्ल दे और इस अंजाम से महफ़ूज़ रखे जिस से ख़ुदा तआला ने सचेत किया है। (ख़ुत्बात-ए-मसरूर, भाग 6 पृष्ठ 96)

हर नई दरयाफ़त क़ुरआन में पहले मौजूद है

★ यह है इस पुस्तक की ख़ूबसूरती की प्रत्येक नई दरयाफ़त जो आज का शिक्षा याफ़ता इन्सान करता है ख़ुदा तआला की इस आख़िरी पुस्तक में पहले से इसका तसव्वुर मौजूद है बल्कि वज़ाहत मौजूद है। अब यह इन्सान की बनाई हुई किताबें उसका मुक़ाबला क्या कर सकती हैं। अल्लाह तआला का यह चैलेंज है कि न तो तुम इस जैसी पुस्तक ला सकते हो,न उस जैसी एक आयत बना सकते हो। अतः यह वे आख़िरी पुस्तक है जो इस महान रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर उतरी जिसका ज़माना क़ियामत तक है। (ख़ुत्बात-ए-मसरूर, भाग 6, पृष्ठ : 35)

★ ★ ★

माताओं और पिताओं को क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म करवाने के बाद इस बात की निगरानी करनी चाहिए
और चिंता करनी चाहिए कि बच्चे फिर नियमित क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत करने की आदत डालें

बच्चों में क़ुरआन-ए-क़रीम की मुहब्बत उस समय होगी
जब माता पिता क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत और इस पर ग़ौर और चिंतन की आदत भी डालने वाले होंगे

क़ुरआन-ए-क़रीम की वास्तविक इज़्ज़त और उसकी मुहब्बत है
कि उसके आदेशों पर अमल करने की भरपूर कोशिश की जाए, उसके वे कार्य जिनके करने का आदेश दिया गया है और
वे कार्य जिनके करने से मना किया गया है को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए

क़ुरआन-ए-क़रीम का क़ानून भी उस समय लाभदायक है और निजात दिलाने वाला है जब इस पर अनुकरण किया जाए
अगर इस पर अनुकरण नहीं होगा तो यह निजात दिलाने का माध्यम नहीं बन सकता, सिर्फ़ पढ़ लेने और अमल न करने से
निजात नहीं हो सकती

हमें क़ुरआन-ए-क़रीम समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए
तभी हमारे अपने घर भी जन्नत जैसे बनेंगे और अपने समाज और माहौल में भी हम तब्लीग़ का हक़ अदा करने वाले बन
सकेंगे

क़ुरआन-ए-क़रीम में वर्णन हुई समस्त किस्म की नेकियों को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें

अख़बार बदर के विशेष अंक "क़ुरआन नंबर" की मुनासबत से सय्यदना हज़रत अमीरूल मोमेनीन ख़लीफ़-तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ का ख़ुत्बा जुम्अः फ़र्मूदा 16 दिसंबर 2011 ई.

हमारे बच्चे साधारणतः मा शा अल्लाह (अल्लाह के फ़ज़ल से) बड़ी छोटी उम्र में क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म कर लेते हैं। जिनकी माताओं को ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हमारी औलाद शीघ्र क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म करें वे उन पर बड़ी मेहनत करती हैं। यहां भी और विभिन्न मुल्कों में जब मैं जाता हूँ तो वहां भी बच्चों और माता पिता को शौक़ होता है कि मेरे सामने बच्चों से क़ुरआन-ए-क़रीम पढ़वा कर उन की आमीन की तक़रीब करवाएं। लेकिन मैं ने देखा है कि एक मर्तबा क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म करवाने के बाद फिर उन की दुहराई और बच्चे को मुस्तक़िल क़ुरआन-ए-क़रीम पढ़ने की आदत डालने के लिए साधारणतः उतनी निरन्तरता और कोशिश नहीं होती जितनी एक मर्तबा क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म करवाने के लिए की जाती है क्योंकि मैं जब पूछता हूँ कि तिलावत बाक़ायदा करते हो या नहीं (काइयों के पढ़ने के अंदाज़ से पता चल है) तो साधारणतः तिलावत में बाक़ायदगी का सकारात्मक उत्तर नहीं होता। हालाँकि माताओं और पिताओं को क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म करवाने के बाद भी इस बात की निगरानी करनी चाहिए और फ़िक्र करनी चाहिए कि बच्चे फिर बाक़ायदा क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत करने की आदत डालें। अतः अपनी फ़िक्रें केवल एक बार क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म करवाने तक ही सीमित न रखें बल्कि बाद में भी मुस्तक़िल मिज़ाजी से इस की निगरानी की ज़रूरत है। निसन्देह पहली बार क़ुरआन-ए-क़रीम पढ़ाना और ख़त्म करवाना एक बहुत अहम काम है। कुछ माएं चार पाँच वर्ष के बच्चों को क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म करवा देती हैं और निसन्देह यह बड़ा मेहनत वाला काम है। लेकिन जैसा कि मैं ने कहा कि मुस्तक़िल मिज़ाजी से उसे जारी रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले दिनों एक महिला का मुझे ख़त मिला जिस में मेरी माता का वर्णन था और लिखा कि एक बात जो उन्होंने मुझे कही और आज तक मैं इस पर उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि एक बार मैं अपनी बच्ची या बच्चे को लेकर गई जिसने क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म किया था तो मैं ने बड़े फ़ख़र से उन्हें बताया कि इस बच्चे ने छः वर्ष की उम्र में क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म कर लिया है। इस पर उन्होंने कहा कि छः वर्ष या पाँच वर्ष में क़ुरआन-ए-क़रीम ख़त्म करना तो इतने कमाल की बात नहीं है। मुझे तुम यह बताओ कि तुमने बच्चे के दिल में क़ुरआन-ए-क़रीम की मुहब्बत कितनी पैदा की है? तो हक़ीक़त यही है कि क़ुरआन-ए-क़रीम पढ़ाने के साथ ही क़ुरआन-ए-क़रीम की मुहब्बत पैदा करनी भी ज़रूरी है। और तभी बच्चे को ख़ुद पढ़ने का शौक़ भी होगा। और जिस ज़माने और दौर से हम गुज़र रहे हैं जहां बच्चों के लिए विभिन्न दिलचस्पियाँ हैं। टीवी है, इंटरनैट है, दूसरी किताबें हैं। इन दिलचस्पियों में बच्चे का ख़ुद सुबह बाक़ायदा तिलावत करना और पढ़ना उसे क़ुरआन-ए-क़रीम की एहमीयत का एहसास दिलाएगा।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इस तरफ़ ध्यान दिलाया है कि इस ज़माने में जब विभिन्न किस्म की दिलचस्पियों के सामान हैं, विभिन्न किस्म की दिलचस्पी की किताबें मौजूद हैं, विभिन्न किस्म के उलूम ज़ाहिर हो रहे हैं, इस दौर में क़ुरआन-ए-क़रीम पढ़ने की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है और हमें इस तरफ़ ध्यान करना चाहिए। अतः उसको पढ़ने की तरफ़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों में क़ुरआन-ए-क़रीम की मुहब्बत उस समय पैदा होगी जब माता पिता क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत और इस पर ग़ौर और चिंतन की आदत भी डालने वाले होंगे। इसके पढ़ने की तरफ़ ज़्यादा ध्यान देंगे। जब प्रत्येक घर से सुबह की नमाज़ के बाद या आजकल क्योंकि सर्दीयों में नमाज़ लेट होती है, अगर किसी ने काम पर जल्दी निकलना है तो नमाज़ से पहले तिलावत नियमित

होगी तो वह घर क़ुरआन-ए-क़रीम की वजह से बरकतों से भर जाएगा और बच्चों को भी इस तरफ़ ध्यान रहेगा। बच्चे भी इन नेकियों पर चलने वाले होंगे जो एक मौमिन में होनी चाहिऐं और जैसे जैसे बड़े होते जाऐंगे क़ुरआन-ए-क़रीम की अज़मत और मुहब्बत भी दिलों में बढ़ती जाएगी। और फिर हम में से प्रत्येक देखेगा कि अगर हम ग़ौर करते हुए बाक़ायदा क़ुरआन-ए-क़रीम पढ़ रहे होंगे तो जहां घरों में पति पत्नी में ख़ुदा तआला के लिए मुहब्बत और प्यार के नज़्ज़ारे नज़र आ रहे होंगे, वहां बच्चे भी जमाअत का एक मुफ़ीद व्यक्तित्व बन रहे होंगे। उन की तर्बीयत भी उच्च रंग में हो रही होगी। और यही चीज़ है जो एक अहमदी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए पूरी ध्यान और कोशिश से करनी चाहिए।

इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस बात को हम में ज़िंदा करने ने के लिए बहुत कोशिश फ़रमाई है और आप अलैहिस्सलाम के आने का उद्देश्य भी यही था कि क़ुरआन-ए-क़रीम को दुनिया में प्रत्येक चीज़ से उच्च मुक़ाम देने वाले बनें और उसे वह इज़्ज़त दें जिसके मुक़ाबले में कोई और चीज़ न हो। क़ुरआन-ए-क़रीम की इज़्ज़त को हम केवल इस हद तक ही न रखें जो साधारणतः ग़ैर अहमदी करते हैं कि ख़ूबसूरत कपड़ों में रख लिया, ख़ूबसूरत शैलफ़ में रख लिया, ख़ूबसूरत डिब्बों में रख लिया। क़ुरआन-ए-क़रीम की वास्तविक इज़्ज़त यह है और उसकी मुहब्बत यह है कि उसके आदेशों पर अनुकरण करने की भरपूर कोशिश की जाए। इस के वे आदेश जिस कर करने का आदेश है और वह आदेश जिस के नहीं करने का आदेश है को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए। जिन चीज़ों से ख़ुदा तआला ने रोका है उनसे इन्सान रुक जाए और जिनके करने का हुक्म है उनको अंजाम देने के लिए अपनी समस्त ताकतों और सामर्थ्यों को प्रयोग करे। अल्लाह तआला का ख़ौफ़ दिल में रखते हुए उसकी तिलावत की जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बेशुमार जगह अपनी पुस्तकों में, अपनी मज्लिसों में, मल्फ़ूज़ात में क़ुरआन-ए-क़रीम की अहमियत वर्णन फ़रमाई है और उन बातों का वर्णन फ़रमाया है। इन आशाओं का वर्णन फ़रमाया है जो एक अहमदी से और एक बैअत करने वाले से आपको हैं। अतः हमें अपने घरों को तिलावत-ए-क़ुरआन-ए-क़रीम से भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस बात की ज़रूरत है कि तिलावत के साथ उसका अनुवाद भी पढ़ें ताकि इस के आदेश समझ में आएं। घरों में बच्चों के सामने क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत के साथ उसके समझने और उसके अनुवाद के तज़करे और कोशिश भी हो। केवल तिलावत की आदत न डाली जाए बल्कि ऐसी मज्लिसें हों जहां क़ुरआन-ए-क़रीम से छोटी-छोटी बातें निकाल कर बच्चों के सामने वर्णन की जाएं ताकि उन में भी शौक़ पैदा हो। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने नमाज़ और क़ुरआन के अनुवाद को समझना और पढ़ना बड़ा ज़रूरी क़रार दिया है।

लेकिन केवल अनुवाद पढ़ना और वास्तविक अरबी मूल या इबारत न पढ़ना इसकी इजाज़त नहीं है। आपने फ़रमाया कि "हम कदापि फ़त्वा नहीं देते कि क़ुरआन का केवल अनुवाद पढ़ा जाए। इस से क़ुरआन का एजाज़ बातिल होता है। जो शख़्स यह कहता है कि केवल अनुवाद पढ़ना काफ़ी है वह चाहता है कि क़ुरआन दुनिया में न रहे।"

(मल्फ़ूज़ात, भाग 3, पृष्ठ 265 संस्करण 2003 प्रकाशन रब्वाह)

अतः यही क़ुरआन-ए-क़रीम का चमत्कार है और यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि अब तक अपनी असली हालत में है और अल्लाह तआला का यह ऐलान है कि إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (अल्-हिजर : 10) कि निसन्देह हमने ही यह वर्णन उतारा है और निसन्देह हम उसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं।"

और यह चमत्कार जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यह असली अरबी इबारत में आज तक चला आ रहा है और शदीद से शदीद मोतरेज़ीन और मुख़ालेफ़ीन-ए-इस्लाम जो हैं वे भी एतराफ़ किए बग़ैर नहीं रहते कि क़ुरआन-ए-क़रीम अपनी असली शक्ल में अपनी असली हालत में आज तक महफ़ूज़ है। अगर केवल अनुवादों पर इन्हिसार शुरू हो जाए तो अनुवाद तो हम देखते हैं कि एक दूसरे से बहुत विभिन्न हो रहे हैं। बल्कि जब हम अपना अनुवाद दुनिया के सामने रखते हैं तो वे स्वीकार करते हैं कि यह अनुवाद बिल्कुल विभिन्न है क्योंकि ग़ैरों ने सही अनुवाद नहीं किए हुए। इस्लाम पर एतराज़ करने वाले एक बहुत बड़े पादरी ने अमरीका में क़ुरआन-ए-क़रीम के कुछ अनुवादों पर (केवल अनुवादों लिए थे, अरबी टेक्स्ट नहीं लिया था, मतन नहीं लिया था एतराज़ कर दिया कि इस्लाम यह कहता है, इस्लाम यह कहता है और क़ुरआन यह कहता है। इस को जब हमने अपनी तफ़सीर भिजवाई तो इसका जवाब भी उसने दिया और बड़ा पीछा करने के बाद यही जवाब था कि मैंने जो अनुवाद किए हैं वह भी मुस्लमानों के लिखे हुए हैं। बहर-ए-हाल यह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ही हैं जिन्होंने हमें अनुवाद में भी अरबी मूल के क़रीब-तर कर दिया और उसके सही अर्थ और मआरिफ़ सिखाय हैं। यहां साथ यह भी बता दूं कि पिछले दिनों अहमदियत पर किसी एतराज़ करने वाले का एतराज़ नज़र से गुज़रा जिसमें उसने कहा था कि अगर मिर्ज़ा साहिब नबी थे तो फिर उन्होंने अपनी जमाअत को यह क्यों कहा है कि इमाम अब्बू हनीफा की पैरवी करो। तो उसका जवाब तो आपकी तहरीर की दृष्टि से बहुत जगह आया हुआ है। यह कभी कहीं नहीं कहा गया कि पैरवी करो। लेकिन क़ुरआन-ए-क़रीम के हवाले से बात करता हूँ। यह एक हवाला है। किसी ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मज्लिस में वर्णन किया कि हनफ़ी धर्म में केवल अनुवाद पढ़ना काफ़ी समझा गया है। इस पर आपने फ़रमाया "अगर यह इमाम-ए-आज़म का धर्म है तो फिर उनकी ग़लती है।"

(मल्फ़ूज़ात, भाग 3, पृष्ठ 265 संस्करण 2003 प्रकाशन रब्वाह)

उनकी वह बात ग़लत थी। बेशक वह इमाम हैं उन्होंने इस्लाम की बड़ी ख़िदमत की है, बहुत सारे मसायल इकट्ठे किए हैं लेकिन अगर उन्होंने यह कहा है कि केवल अनुवाद पढ़ना काफ़ी है तो यह ग़लत है।

बहर हाल उस ज़माने में अल्लाह तआला ने क़ुरआन-ए-क़रीम की वास्तविक हिफ़ाज़त करने का माध्यम बना कर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है। आपने अपनी जमाअत को क़ुरआन-ए-क़रीम समझने और उससे मुहब्बत करने की असंख्य स्थानों पर नसीहत फ़रमाई है। आप एक जगह आप फ़रमाते हैं कि "क़ुरआन-ए-क़रीम कानून-ए-आसमानी और निजात का माध्यम है।"

(मल्फ़ूज़ात, भाग 4, पृष्ठ 130 संस्करण 2003 ई. प्रकाशन रब्वाह)

जबक उस फ़िक़रा के संदर्भ में एक बेहस का वर्णन चल रहा है जो आप हज़रत-ए-ईसा अलैहिस्सलाम की क़ुरआन-ए-क़रीम से वफ़ात साबित करने के लिए वर्णन फ़र्मा रहे हैं लेकिन यह उमूमी उसूल भी है कि क़ुरआन-ए-क़रीम कानून-ए-आसमानी है और इस लिहाज़ से निजात का माध्यम है। हम अगर देखें तो दुनियावी क़ानून भी केवल क़ानून बन जाने से फ़ायदा नहीं देता जब तक कि उसे लागू न किया जाए, उस पर अमल-दरआमद न करवाया जाए। इसी तरह क़ुरआन-ए-क़रीम का क़ानून भी इस समय फ़ायदामंद है और निजात दिलाने वाला है जब इस पर अनुकरण किया जाए। अगर इस पर अनुकरण नहीं होगा तो यह निजात दिलाने का माध्यम नहीं बन सकता। केवल पढ़ लेने और अनुकरण न करने से निजात नहीं हो सकती। ख़ुदा तआला की रज़ा हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह तआला की नेअमतों और इनामों के हम वारिस नहीं बन सकते। अतः क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा को समझना और इस पर अनुकरण करना अत्यधिक आवश्यक है।

आप अलैहिस्सलाम एक जगह फ़रमाते हैं कि "याद रखो क़ुरआन-ए-

क़रीम हक़ीक़ी बरकतों का स्रोत है और निजात का माध्यम है। यह उन लोगों की अपनी ग़लती है जो क़ुरआन-ए-क़रीम पर अनुकरण नहीं करते। कर्म न करने वालों में से एक गिरोह तो वह है जिसको इस पर एतेक़ाद ही नहीं और वह उस को ख़ुदा तआला का कलाम ही नहीं समझते। ये लोग तो बहुत दूर पड़े हुए हैं। लेकिन वे लोग जो ईमान लाते हैं कि वे अल्लाह तआला का कलाम है और निजात का शिफ़ा देने वाला नुस्ख़ा है अगर वह इस पर अनुकरण न करें तो किस क़दर ताज्जुब और अफ़सोस की बात है। उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जिन्हों ने सारी उम्र में कभी उसे पढ़ा ही नहीं। अतः ऐसे आदमी जो ख़ुदा तआला के कलाम से ऐसे ग़ाफ़िल और लापरवा हैं, उनकी ऐसी मिसाल है कि एक शख़्स को मालूम है कि अमुक चशमा निहायत ही पवित्र और मीठा और ठंडा है और इसका पानी बहुत सारे रोगों के लिए अकसीर और शिफ़ा है। यह इल्म उस को यक़ीनी है लेकिन बावजूद इस इल्म के और बावजूद प्यासा होने और बहुत सी अमराज़ में मुबतला होने के वह उसके पास नहीं जाता तो यह उसकी कैसी बदक़िस्मती और जहालत है। उसे तो चाहिए था कि वह इस चशमा पर मुहँ रख देता और तृप्त हो कर उसके लुतफ़ और शिफ़ा बख़श पानी से आनंद उठाता। परंतु वे बावजूद इल्म के इस से वैसा ही दूर है जैसा एक बे-ख़बर।

(मल्फ़ूज़ात, भाग 4, प्रष्ठ 140 संस्करण 2003 ई. प्रकाशन रब्वाह)

अल्लाह तआला हमें इस पैग़ाम को, इन दर्द से भरे अल्फ़ाज़ को समझते हुए क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा पर अनुकरण करने की तौफ़ीक़ प्रदान फ़रमाए। उसे समझने की तौफ़ीक़ प्रदान फ़रमाए। हमारी बैअत का हक़ीक़ी हक़ उसी सूरत में अदा होगा जब हम क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा को अपने ऊपर लागू करेंगे और क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा यह है, जैसा कि पहले वर्णन हुआ, कि क़ुरआन-ए-क़रीम में वर्णन हुई हुई प्रत्येक बुराई से रुकना और इस में वर्णन प्रत्येक नेकी को धारण करना और उस को धारण करने की भरपूर कोशिश करना।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि "क़ुरआन-ए-क़रीम केवल इतना ही नहीं चाहता कि इन्सान तर्क-ए-शर करके समझ ले कि बस अब मैं साहब-ए-कमाल हो गया, बल्कि वह तो इन्सान को उच्च दर्जा के कमालात और अख़लाक़-ए-फाज़िला से मुत्तसिफ़ करना चाहता है कि इस से ऐसे आमाल-ओ-अफ़आल सरज़द हूँ जो मानव जाति की भलाई और हमदर्दी पर मुश्तमिल हों और उनका नतीजा यह कि अल्लाह तआला उस से राज़ी हो जाए।"

(मल्फ़ूज़ात,भाग 4, पृष्ठ 208 संस्करण 2003प्रकाशन रब्वाह)

अतः अगर एक मौमिन को क़ुरआन-ए-क़रीम से हक़ीक़ी मुहब्बत है तो वह इस स्तर पर ख़ुद भी पहुंचने की कोशिश करेगा और करता है और अपने बच्चों को भी वहां तक ले जाने की कोशिश करेगा। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया। शर और बुराई से रुकना कोई कमाल नहीं। किसी बुरी हरकत से रुकना, किसी शर से रुकना यह तो कोई कमाल नहीं है। यह हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि हमें अपने टार्गेट बड़े रखने चाहिऐं और उसके हुसूल की कोशिश करनी चाहिए कि क़ुरआन-ए-क़रीम में वर्णन हुई समस्त किस्म की नेकियों को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करें। जब यह कोशिश प्रत्येक मर्द, औरत और बच्चे से हो रही होगी तो एक पाक समाज की स्थापना हो रही होगा। इस समाज का क़ियाम होगा जिसको इस्लाम क़ायम करना चाहता है। आए दिन जो इस्लाम और क़ुरआन-ए-क़रीम पर एतराज़ करने वाले हैं उन के मुँह भी बंद होंगे।

यहां दो औरतों की आजकल बड़ी प्रसिद्ध है जो इस्लामी क़वानीन पर एतराज़ में हद से बढ़ी हुई हैं। विभिन्न जगहों पर वे लैक्चर इत्यादि देती रहती हैं। पिछले दिनों ख़ुद्दामुल अहमदिया यू.के (UK) की कोशिश से यू सी ईल (UCL) में एक मुबाहिसा हुआ। उनके साथ एक डीबीट (De-bate) की शक्ल पैदा हुई जो यूनीवर्सिटी की इंतेज़ामिया ने आर्गेनाईज़ की थी। जिसमें इन दो ख़वातीन ने, जो उनका तरीका-ए-कार है अपनी तरफ़ से इस्लाम पर एतराज़ात की बड़ी भरमार की। लेकिन हमारे ख़ुद्दाम जिनमें से एक पाकिस्तानी ऑरिजन (Origion) के हैं और यहां हमारे यूके (UK) के जामिआ में पढ़ते हैं, जामिआ के छात्र हैं, और दूसरे एक अंग्रेज़ नए अहमदी। इन दोनों ने इन को ऐसे ठोस और मुदल्लिल जवाब क़ुरआन-ए-क़रीम से और क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा की दृष्टि से दिए। इस्लाम की हक़ीक़ी शिक्षा की दृष्टि से दिए कि वे उस समय ग़ुस्सा से पेच-ओ-ताब खाती रहें बल्कि उनके हिमायतियों ने भी उनकी इस हालत पर जिस तरह वह एतराज़ कर रही थीं बढ़ बढ़ के अफ़सोस का इज़हार किया। और यूं अल्लाह तआला के फ़ज़ल से अहमदी नौजवानों के द्वारा इस्लाम की शिक्षा की फ़तह हुई।

अतः हमें क़ुरआन-ए-क़रीम समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, इस पर अनुकरण करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारे अपने घर भी जन्नत नज़ीर बनेंगे और अपने समाज और माहौल में भी हम तब्लीग़ का हक़ अदा करने वाले बन सकेंगे

क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत करने का तरीक़ सिखाते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि "क़ुरआन-ए-क़रीम चिंतन-ओ-तफ़क्कुर-ओ-ग़ौर से पढ़ना चाहिए। हदीस शरीफ़ में आया है رُبَّ قَارٍ يَلْعَنُهُ الْقُرْاٰن۔ अर्थात बहुत से ऐसे क़ुरआन-ए-क़रीम के क़ारी होते हैं जिन पर क़ुरआन-ए-क़रीम लानत भेजता है। जो शख़्स क़ुरआन पढ़ता और उस पर अनुकरण नहीं करता इस पर क़ुरआन-ए-मजीद लानत भेजता है। तिलावत करते समय जब क़ुरआन-ए-क़रीम की आयत रहमत पर गुज़र हो तो वहां ख़ुदा तआला से रहमत तलब की जाए और जहां किसी क़ौम के अज़ाब का वर्णन हो तो वहां ख़ुदा तआला के अज़ाब से ख़ुदा तआला के आगे पनाह की दरख़ास्त की जाए और चिंतन-ओ-ग़ौर से पढ़ना चाहिए और इस पर अनुकरण किया जाए।"

(मल्फ़ूज़ात, भाग पंजुम, पृष्ठ 157, संस्करण 2003 ई. मतबूआ रब्वाह)

यह सूरत उसी समय हो सकती है जब उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो, इस से ख़ास ताल्लुक़ हो। अतः यह अहमियत और ख़ास ताल्लुक़ हमने अपने दिलों में क़ुरआन-ए-क़रीम के लिए पैदा करना है। कुछ लोगों के इस बहाने और यह कहने पर कि क़ुरआन-ए-क़रीम समझना बहुत मुश्किल है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि "कुछ नादान लोग कहा करते हैं कि हम क़ुरआन-ए-क़रीम को नहीं समझ सकते।" इसलिए "इस की तरफ़ ध्यान नहीं करनी चाहिए कि यह बहुत मुश्किल है। यह उन की ग़लती है। क़ुरआन-ए-क़रीम ने एतिक़ादी मसायल को ऐसी फ़साहत के साथ समझाया है जो बेमिसल और अद्वितीय है और उसके दलायल दिलों पर-असर डालते हैं। यह क़ुरआन ऐसा बलीग़ और फ़सीह है कि अरब के देहातियों को जो बिल्कुल अनपढ़ थे समझा दिया था तो फिर अब क्योंकर उस को नहीं समझ सकते।"

(मल्फ़ूज़ात, भाग 5, पृष्ठ 177 संस्करण 2003 ई. प्रकाशन रब्वाह)

इस ज़माने में तो हम पर अल्लाह तआला का यह बड़ा उपकार है और अल्लाह तआला ने हम पर उपकार करते हुए इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा है जिन्हों ने हमें ज़ाहिरी आदेश ही नहीं बताए बल्कि क़ुरआन-ए-क़रीम के गहरे हक़ायक़-ओ-मआरिफ़ हमें खोल कर वर्णन कर दिए। وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ (अल् जुमा : 4) का फ़ैज़ हमें पहुंचाया है। अतः इस खज़ाने से हमें जवाहरात जमा करने की कोशिश करनी चाहिए जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें दिए। और यह उस समय तक नहीं हो सकता जब तक हम इस से हक़ीक़ी मुहब्बत करने वाले नहीं बनेंगे। जमाअत से बाहर मुस्लमानों

में, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी किरात बड़ी अच्छी है, इनामों हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी रिकार्डिंग की कैसेटस उनकी दुनिया में चलती हैं। लेकिन इस के बावजूद अच्छी किरात करने वालों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको क़ुरआन-ए-क़रीम के अर्थ और मतालिब का नहीं पता। बल्कि बड़े बड़े उल्मा को नहीं पता लगता तभी तो इस्लाम में बहुत अरसा आयतों के नासिख़-ओ-मंसूख़ का एक मसला चलता रहा है और फिर अभी भी बाअज़ आयतों की उनको समझ नहीं आती जिसमें एक हज़रत-ए-ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का मसला भी है। बहरहाल यह उनके मआनी-ओ-मुतालिब से अज्ञात हैं। इस बारे में बड़े इंज़ार करने वाली एक हदीस है जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो बिन अब्दुल मुतलिब रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत रसूल-ए-करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को यह फ़रमाते हुए सुना कि वह ज़माना आने वाला है कि क़ुरआन-ए-क़रीम की तिलावत करने वाले ऐसे लोग पैदा हो जाऐंगे जो डींगें मारेंगे कि हम से बड़ा क़ारी कौन है? हमसे बड़ा आलिम कौन है? फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो से पूछा कि क्या तुम्हें ऐसे लोगों में कोई भलाई वाली बात दिखाई देती है? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हो ने किया : कदापि नहीं। इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया। ये लोग तुम में से और इसी उम्मत में से ही होंगे लेकिन वे दोज़ख़ की आग का ईंधन होंगे।

(मजमा अल्ज़वायद मंबा अल्फ़वायद पुस्तक العلم باب كراهية الدعوى हदीस 876- भाग नंबर 1 पृष्ठ 251-252 दारुल पुस्तकों इल्मिया बेरूत 2001 ई., मस्नद इलब्ज़ार, मस्नद अल् अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब, भाग 2 पृष्ठ 218)

अतः अल्लाह तआला के फ़ज़्लों का वारिस बनाने वाली और अल्लाह तआला का क़ुरब दिलाने वाली और दोज़ख़ की आग से बचाने वाली वास्तविक चीज़ विनम्रता से क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा को समझ कर इस पर कर्म करना है। इस को व्यवसाय बनाना नहीं है बल्कि इस से मुहब्बत करना है। और आज हम में से प्रत्येक अहमदी का यह फ़र्ज़ है कि इस पर ध्यान दे। इस के हुसूल की कोशिश करे।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम "कश्ती -ए-नूह" में एक जगह फ़रमाते हैं कि "अतः तुम सावधान रहो। ख़ुदा की शिक्षा और क़ुर्आन के पथ-प्रदर्शन के विपरीत एक पग भी न उठाओ। मैं तुम्हें सच-सच कहता हूं कि जो मनुष्य क़ुर्आन के सात सौ आदेशों में से एक छोटे से आदेश को भी टालता है वह मुक्ति द्वार को स्वयं अपने लिए बंद करता है। वास्तविक और पूर्ण मुक्ति के मार्ग क़ुर्आन ने प्रदर्शित किए, शेष सभी उसकी तुलना में छाया मात्र थे। अतः तुम क़ुर्आन का पूरी सतर्कता से अध्ययन करो और उससे अत्यधिक प्रेम करो, ऐसा प्रेम जो तुम ने किसी से न किया हो। क्योंकि जैसा ख़ुदा ने मुझे संबोधित करते हुए फ़रमाया-

اَلْخَيْرُ كُلُّهٗ فِي الْقُرْاٰنِ

"अलख़ैरो कुल्लुहू फ़िलक़ुर्आन"

कि समस्त प्रकार की भलाइयां क़ुर्आन में हैं। यही बात सत्य है। खेद है उन लोगों पर जो किसी अन्य वस्तु को उस पर प्राथमिकता देते हैं। तुम्हारी सम्पूर्ण सफलता और मुक्ति का स्रोत क़ुर्आन में निहित है। तुम्हारी कोई भी धार्मिक आवश्यकता ऐसी नहीं जिसका समाधान क़ुर्आन में न हो। प्रलय के दिन तुम्हारे ईमान के सच्चे या झूठे होने की कसौटी क़ुर्आन है। आकाश के नीचे क़ुर्आन के अतिरिक्त और कोई पुस्तक नहीं जो किसी अन्य पर निर्भर हुए बिना तुम्हारा पथ-प्रदर्शन कर सके। ख़ुदा ने तुम पर आपार कृपा की है जो क़ुर्आन जैसी पुस्तक तुम्हें प्रदान की। मैं तुम्हें सच-सच कहता हूं कि वह पुस्तक जो तुम्हारे सम्मुख पढ़ी गई यदि ईसाइयों के सम्मुख पढ़ी जाती तो वे तबाह न होते। यह उपकार और पथ-प्रदर्शन जो तुम्हें उपलब्ध किया गया यदि (तौरात) को छोड़ कर यहूदियों को उपलब्ध कराया जाता तो उनके कुछ समूह प्रलय का इन्कार न करते। अतः इस उपकार के महत्त्व को समझो जो तुम्हारे साथ किया गया। यह अति उत्तम उपकार है यह अपार संपत्ति है। यदि क़ुर्आन न आता तो समस्त संसार एक अपवित्र और तुच्छ लोथड़े की भांति था। क़ुर्आन वह पुस्तक है जिसके समक्ष सभी पथ-प्रदर्शन तुच्छ हैं।"

(कश्ती-ए-नूह, रुहानी ख़ज़ायन भाग 19 पृष्ठ 26-27)

फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं : " तुम्हारे लिए एक अनिवार्य शिक्षा यह है कि क़ुर्आन शरीफ़ को अलग-थलग न डाल दो कि उसी में तुम्हारा जीवन निहित है। जो लोग क़ुर्आन को सम्मान देंगे वे आकाश पर सम्मानित किए जाएंगे। जो लोग हर हदीस और हर वाणी पर क़ुर्आन को प्राथमिकता देंगे उनको आकाश पर प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। समस्त मानव जाति के लिए सम्पूर्ण धरती पर अब क़ुर्आन के अतिरिक्त कोई पुस्तक नहीं और न ही हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सिवा कोई रसूल और सिफ़ारिश करने वाला। अतः तुम प्रयास करो कि सच्चा प्रेम इस प्रभुत्वशाली नबी के साथ हो। उस पर किसी अन्य को किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता न दो, ताकि आकाश पर तुम्हारा नाम मुक्ति प्राप्त लोगों में लिखा जाए। स्मरण रहे कि मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मरणोपरांत प्रकट होगी अपितु वास्तविक मुक्ति वह है जो इसी संसार में अपना प्रकाश दिखलाती है। मुक्ति प्राप्त मनुष्य कौन है? वह जो विश्वास रखता है कि ख़ुदा एक वास्तविक सत्य है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम उसके और उसकी प्रजा के मध्य सिफ़ारिश करने वाले हैं। आकाश के नीचे उनके समान न कोई अन्य रसूल है और न क़ुर्आन के समान कोई अन्य पुस्तक है। ख़ुदा ने किसी के लिए न चाहा कि वह सदा जीवित रहे परन्तु यह ख़ुदा की ओर से आया हुआ नबी सदा के लिए जीवित है, और ख़ुदा ने उसके सदा जीवित रहने की नींव इस प्रकार रखी है कि उसकी शरीअत और आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्रलय तक जारी रखा और अन्ततः उसकी आध्यात्मिक उपलब्धियों से इस मसीह मौऊद को संसार में भेजा, जिसका आना इस्लामी इमारत को पूर्ण करने के लिए आवश्यक था। अनिवार्य था कि यह संसार उस समय तक समाप्त न हो जब तक कि मुहम्मदी धारा के लिए एक मसीह आध्यात्मिक रूप में न दिया जाता, जैसा कि मूसा की धारा के लिए दिया गया था। यह आयत इसी ओर संकेत करती है कि-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

"इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीमा-सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम"

(अल फ़ातिहा 6-7)

(कुश्ती नूह, रुहानी ख़ज़ाएन, भाग 19 पृष्ठ 13-14)

अल्लाह करे कि हम और हमारी औलादें और भविष्य में क़ियामत जो भी आने वाली नसलें हों, जिन्होंने मसीह मुहम्मदी को माना है, वे क़ुरआन-ए-क़रीम से हक़ीक़ी रंग में मुहब्बत रखते हुए उसकी शिक्षा को अपने ऊपर लागू करने वाले हों, और इस की बरकात से प्रत्येक क्षण फ़ैज़ पाते चले जाने वाले हों।*

★ ★ ★

क़ुरआन-ए-मजीद और महिलाओं के अधिकार

(मुहम्मद शरीफ़ कौसर साहिब मुरब्बी सिल्सिला)

अल्लाह तआला मानव जाति की हिदायत के लिए अपने अंबिया को इस दुनिया में अवतरित फ़रमाता है, जिनका काम समस्त मानव जाति को अल्लाह-तआला के आदेशों पर अनुकरण करवाना होता है। हज़रत नबी करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर अल्लाह तआला ने क़ुरआन-ए-क़रीम नाज़िल फ़रमाया था ताकि समस्त इन्सानों के लिए यह पुस्तक हिदायत का मूजिब बने। और अल्लाह-तआला का यह समस्त मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार है कि उसने अपने प्यारे नबी सल्लल्ला-हो अलैहि व सल्लम को क़ुरआन-ए-क़रीम जैसी अज़ीम पुस्तक प्रदान फ़रमाईता आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम इस के माध्यम समस्त मानव जाति को हिदायत का सामान पहुंचाते रहे। क़ुरआन-ए-क़रीम का उपकार पुरुषों और महिलाओं पर एक समान है। और एक दूसरे पहलू से देखा जाए तो औरतों पर उपकार बहुत ज़्यादा है। इस्लाम ने उसे इस दलदल से निकाला जिस में वे बेवजह फंसती जा रही थी।

क़ुरआन-ए-मजीद में औरत की अहमियत और स्थान के बारे में कई आयात मौजूद हैं। औरत चाहे माँ हो या बहन हो, पत्नी हो या बेटी इस्लाम ने उनमें से प्रत्येक के हुक़ूक़ और फ़रायज़ को तफ़सील के साथ वर्णन कर दिया है। माँ के साथ हुस्न-ए-सुलूक करना, उस के साथ नेकी से पेश आना और ख़िदमत करना अत्याधिक महत्वपूर्ण अधिकारों में से है। हुस्न-ए-सुलूक और अच्छे अख़लाक़ से पेश आने के सिलसिले में माँ का हक़ बाप से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे के जन्म और तर्बीयत के सिलसिले में माँ को ज़्यादा तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है। और इस्लाम ने इन समस्त तकालीफ़ को सामने रखते हुए माँ को ज़्यादा हुस्न-ए-सुलूक का अधिकारी क़रार दिया, जो इस्लाम का औरत पर बहुत बड़ा उपकार है। अल्लाह-तआला ने क़ुरआन-ए-मजीद में फ़रमाया :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

(अल् अहक़ाफ़ : 16)

अनुवाद : और हमने इन्सान को ताकीदी नसीहत की कि अपने माता पिता से उपकार करे। उसे उसकी माँ ने तकलीफ़ के साथ उठाए रखा और तकलीफ़ ही के साथ उसे जन्म दिया। और इसके गर्भ में दूध छुड़ाने का ज़माना तीस महीने है।

क़ुरआन-ए-क़रीम के नुज़ूल के साथ औरत की ज़िंदगी एक नए मरहला में दाख़िल हुई जो उसके नुज़ूल से पहले के ज़माना से बहुत विभिन्न थी। इतिहास गवाह है कि एक अरसा-ए-दराज़ से औरत मज़लूम चली आ रही थी। क़ुरआन-ए-क़रीम के नुज़ूल से पहले अरब क़बायल में ये बेहस होती थी कि औरत का शुमार इन्सानों में होना चाहिए या हैवानों में। इसके अंदर इन्सान की रूह है या शैतान की। अल् -ग़र्ज़ यूनान, मिस्र, इराक़, हिंद, चीन हर कौम में हर क्षेत्र में कोई ऐसी जगह नहीं थी, जहां औरतों पर ज़ुल्म के पहाड़ न टूटे हों। लोग उसे अपनेभोग विलास के ग़रज़ से ख़रीद-ओ-फ़रोख़्त करते उनके साथ हैवानों से भी बुरा सुलूक किया जाता था। यहाँ तक कि अहल-ए-अरब औरत के वजूद को नीचता की वस्तु समझते थे और लड़कियों को ज़िंदा दफ़न कर देते थे। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ۝ يَتَوٰرٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ۭ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰي هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ۭ اَلَا سَاۗءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝

(अल् नहल : 59-60)

अनुवाद : और जब उनमें से किसी को लड़की की ख़ुशख़बरी दी जाए तो इसका चेहरा दुख से काला पड़ जाता है और वह (उसे) छुपाने की कोशिश कर रहा होता है। वे लोगों से छुपता फिरता है इस (ख़बर) की तकलीफ़ की वजह से जिसकी ख़ुशख़बरी उसे दी गई। क्या वह रुस्वाई के बावजूद (अल्लाह के) उस (उपकार) को रोक रखे या उसे मिट्टी में गाड़ दे? ख़बरदार बहुत ही बुरी है जो वे फ़ैसला करते हैं :

क़ुरआन-ए-मजीद की शिक्षा के अनुसार औरत बेटी,बहन, पत्नी, माँ हर रूप में सम्मान के योग्य है। बेटियों को आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत क़रार दिया, माँ के क़दमों के नीचे जन्नत रख दी है और पत्नियों से हुस्न-ए-सुलूक करने वाले को बेहतरीन इंसान होने की अच्छी ख़बर सुनाई। आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने महिलाओं के वर्ग को उच्च मुक़ाम प्रदान फ़रमाया। औरत-ज़ात को महबूबियत का मुक़ाम दिया। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया :

إِنَّ اللهَ يُوْصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، إِنَّ اللهَ يُوْصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ

(रवाह अल् बानी, فى السلسلة الصحيحة، عن المقدام بن معد يكرب الكندى، الصفحة أو الرقم: 2871 सनादा सही)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि अल्लाह तुम्हें ताकीदी वसीयत करता है कि औरतों के साथ हुस्न-ए-सुलूक करो। अल्लाह तुम्हें ताकीद करता है कि औरतों के साथ हुस्न-ए-सुलूक करो। निसन्देह वे तुम्हारी माएं हैं, तुम्हारी बेटियां हैं और तुम्हारी ख़ालाएं हैं।

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلى من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عينى فى الصلاة

"मुझे तुम्हारी दुनिया की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हैं उनमें प्रथम नंबर पर महिलाएं हैं। फिर अच्छी ख़ुशबू मुझे महबूब है परंतु मेरी आँखों की ठंडक नमाज़ और मुहब्बत-ए-इलाही में ही है।"

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (उख़रजा मुस्लिम हदीस रकम1467)"दुनिया राहत-ओ-आराम के सामानों से भरी पड़ी है लेकिन सबसे बेहतर समान नेक औरत है।"

इन्सानी, अख़लाक़ी और मज़हबी लिहाज़ से मर्द, औरत के हुक़ूक़ बराबर हैं।

मर्द और औरत को एक ही जान से पैदा किया गया है। इरशाद बारी तआला है :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

(अल् रूम : 22) और इसके निशानात में से (ये भी) है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनकी तरफ़ संतुष्टि (हासिल करने) के लिए जाओ और उसने तुम्हारे मध्य मुहब्बत और रहमत पैदा कर दी। निसन्देह इस में ऐसी क़ौम के लिए जो ग़ौरो फ़िक्र करते हैं बहुत से निशानात हैं :

फिर अल्लाह तआला सूरः नहल में फ़रमाता है :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

(अल् नहल : 73) और अल्लाह वह है जिसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स में से ही जोड़े पैदा किए और तुम्हें तुम्हारे जोड़ों में से ही बेटे और पोते प्रदान किए और तुम्हें पाकीज़ा चीज़ों में से रिज़्क़ दिया। तो फिर क्या

वे बातिल पर तो ईमान लाएँगे और अल्लाह की नेअमतों का इंकार कर देंगे।

इन आयात में अल्लाह तआला ने वाज़िह तौर पर वर्णन फ़र्माया है कि :

पुरुष और महिलाओं के अधिकार समाज में समान हैं और एक दूसरे के साथ रह कर ही इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाया जा सकता है अल्लाह तआला की यह बुहत बड़ा उपकार है कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से संतुष्टि पाते हैं। और इस लिहाज़ से इस्लाम ने एक विशेष स्थान और अधिकार दिए हैं।

ख़ुदा तआला का सानिध्य पाने के रास्ते दोनों के लिए बराबर हैं :

दुनिया में इन्सान के जन्म का उद्देश्य यह है कि वह अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह तआला से अपना ताल्लुक़ पैदा करे। किसी का मर्द होना वजह फ़ज़ीलत नहीं है। अल्लाह तआला का क़ुरब पाने का जो इन्सानी उद्देश्य है वह दोनों मर्द और औरत के लिए खुला है। अल्लाह तआला के नज़दीक इज़्ज़त हासिल करने का मयार तक़्वा (संयम) है।

لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

(अल् हिजरात : 14) निसन्देह अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा पवित्र वह है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। निसन्देह अल्लाह दाइमी इल्म रखने वाला (और) हमेशा बा-ख़बर है।

और तक़्वा हासिल करने की राहें दोनों के लिए बराबर खुली हैं।अल्लाह तआला का इरशाद है : اَنِّیْ لَاۤ اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی(आल-ए-इमरान :196) मैं तुम में से किसी अनुकरण करने वाले का अनुकरण कदापि ज़ाए नहीं करूँगा चाहे वह मर्द हो या औरत।

तथा फ़रमाया : اِنَّ الْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِیْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِیْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِیْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِیْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآىِٕمِیْنَ وَالصّٰٓىِٕمٰتِ وَالْحٰفِظِیْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِیْنَ اللّٰهَ كَثِیْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِیْمًا

(अह्ज़ाब : 36)

निसन्देह कामिल मुस्लमान मर्द और कामिल मुस्लमान औरतें और कामिल मौमिन मर्द और कामिल मौमिन औरतें और कामिल फ़रमांबर्दार मर्द और कामिल फ़रमांबर्दार औरतें और कामिल रास्त-गो मर्द और कामिल रास्त-गो औरतें और कामिल सब्र करने वाले मर्द और कामिल सब्र करने वाली औरतें और कामिल विनम्रता दिखाने वाले मर्द और कामिल विनम्रता दिखाने वाली औरतें और कामिल सदक़ा करने वाले मर्द और कामिल सदक़ा करने वाली औरतें और कामिल रोज़ा रखने वाले मर्द और कामिल रोज़ा रखने वाली औरतें और पूरी तरह अपनी गुप्त अंगों की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और पूरी तरह अपनी गुप्त अंगों की हिफ़ाज़त करने वाली औरतें और अल्लाह का बहुत वर्णन करने वाले मर्द और अल्लाह का बहुत वर्णन करने वाली औरतें इन सबके लिए अल्लाह ने बख़शिश का सामान और बड़ा इनाम तैयार कर रखा है।

निकाह पर आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की चयनित की गई आयात ज़ोजेन् के हुक़ूक़-ओ-फ़रायज़ का सिद्धांत हैं

क़ुरआन-ए-क़रीम फ़रमाता है :

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیْبًا

(सूरत अल् निसा : 2) हे लोगो अपने रब का तक़्वा धारण करो जिसने तुम्हें एक (ही) जान से पैदा किया। और इस (की जिन्स) से (ही) इसका जोड़ा पैदा किया। और इन दोनों में से बहुत से मर्द और औरतें (पैदा करके दुनिया में) फैलाए और अल्लाह का तक़्वा (इसलिए भी) ख़तेयार करो कि इस के माध्यम से तुम आपस में सवाल करते हो। और विशेषता रिश्तेदारियों (के मुआमला) में (तक़्वा से) काम लो अल्लाह तुम पर निसन्देह निगरान है।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِیْدًا ۙ○ یُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ یُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیْمًا ○

(अल् अह्ज़ाब : 71-72)

हे मौमिनो अल्लाह का तक़्वा धारण करो और वे बात कहो जो पेचदार न हो (बल्कि सच्ची)हो, (अगर तुम ऐसा करोगे) तो अल्लाह तुम्हारे आमाल को दरुस्त कर देगा। और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और जो शख़्स अल्लाह और उस के रसूल की आज्ञाकारिता करे वह बड़ी कामयाबी हासिल करता है।

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

(अल् हशर : 19) हे मौमिनो अल्लाह का तक़्वा धारण करो और चाहिए कि हर जान इस बात पर नज़र रखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है और तुम सब अल्लाह का तक़्वा धारण करो। अल्लाह तुम्हारे आमाल से ख़ूब बाख़बर है।

हे वे लोगो जो ईमान लाए हो का मुख़ातब मर्द और औरतें दोनों हैं। ख़ालिक़-ए-कायनात ने एक जान अर्थात एक जिन्स से मर्द और औरत को एक सी दिमाग़ी सलाहियतें, एहसासात और जज़बात रखने वाले इन्सान बनाया। फिर एक दूसरे का ख़्याल रखने और रिश्तेदारों से हुस्न-ए-सुलूक का इरशाद फ़रमाया और तक़्वा धारण करने और अल्लाह तआला से डर के रहने का हुक्म है

हर अहमदी मर्द औरत यह आदेश समक्ष रखे और ख़ुदा की ख़ुशनुदी के लिए जो क़दम ज़िंदगी में उठाए वह इस सोच के साथ उठाए कि मैं अल्लाह तआला के एक हुक्म पर अनुकरण करने वाला हो और उसका उद्देश्य अल्लाह तआला की प्रसन्नता प्राप्त करना है तो दूसरे की हक़तलफ़ी करने या ज़्यादती करने का ख़्याल नहीं आता एक दूसरे के जज़बात-ओ-एहसासात का ख़्याल रखने से जो पुर सुकून समाज बनता है इस से भविष्य में नेक नसलें जन्म लेती हैं।

मर्द औरत एक दूसरे का लिबास हैं :

क़ुरआन मजीद फ़रमाता है : هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (अल् बकरः : 188) अर्थात वह तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। लिबास ऐब छुपाता है। ज़ीनत का माध्यम बनता है और सर्दी गर्मी से बचाता है।

निकाह के मुआहिदे के बाद मर्द औरत एक बंधन में बंध जाते हैं जिसको क़ायम रखना दोनों की ज़िम्मेदारी है। यह रिश्ता आपस में एतेमाद से क़ायम रहता है। न मर्द, औरत के एतेमाद को ठेस पहुंचाए और न औरत, मर्द के एतेमाद को ठेस पहुंचाए। इस से घरेलू ज़िंदगी ख़ुशगवार रहेगी अमानत और दयानत का तक़ाज़ा है कि एक दूसरे के राज़दार हों।और उच्च अख़लाक़ का मुज़ाहरा करें, ऐसा करने से समाज में अच्छा मुक़ाम बना रहता है। किसी को एतराज़ करने की साहस नहीं होती। एक दूसरे को बर्दाश्त करना एक दूसरे की पर्दापोशी करना, ऐब छिपा कर एक

CHANDIGARH DIAGNOSTIC LABORATORY
थाने वाला चौक, ठीकरीवाल रोड, नज़दीक केनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक क़ादियान
सभी प्रकार के शारीरिक टैस्ट (खून, मल,बलग़म इत्यादि) कंप्यूटरराइज्ड तरीके से उपलब्ध हैं।
हमारे सहभागी :- SRL (SUPER RANBAXY LABORATORIES), THYROCARE MUMBAI.
चौधरी खिज़र बाजवा दरवेश क़ादियान, लुकमान अहमद बाजवा
और जानकारी के लिए संपर्क करें :- इमरान अहमद बाजवा, रिज़वान अहमद बाजवा
फ़ोन नंबर :-+91-9646561639,+91-8557901648

दूसरे की सुंदरता का सामान बनना क़ुरआन की शिक्षा है। इसके लिए तहम्मुल, मुआमलाफहमी और ग़ुस्से को क़ाबू में रखना अनिवार्य है। बेकाबू होने की सूरत में इल्ज़ाम तराशी और एक दूसरे पर गंद उछालने की बदनुमा सूरत पैदा होती है। जो अल्लाह तआला को पसंद नहीं है।

हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْاَمَانَةِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى اِلٰى اِمْرَاَتِهٖ وَتُفْضِى اِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا "क़ियामत के रोज़ अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे बड़ी ख़ियानत यह शुमार होगी कि एक आदमी अपनी पत्नी से ताल्लुक़ात क़ायम करे। फिर वह पत्नी के पोशीदा राज़ लोगों में वर्णन करता फिरे।"

(सुंन अबी दाऊद, किताबुल अदब ,बाब फ़ी नकल व हदीस)

औरतों का भी फ़र्ज़ है कि आपस की बातें दूसरों को बताने से गुरेज़ करें। कई दफ़ा माँ बाप को तजस्सुस की आदत होती है कुरेद कुरेद कर बातें पूछते हैं। और उनकी दख़ल अंदाज़ी से मामलों मज़ीद बिगाड़ जाते हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों का फ़र्ज़ है कि आपसी घरेलू बातें दूसरों को न बताएं और न दूसरों को पूछनी और सुननी चाहिऐं। लिबास फट जाए तो बदनुमा हो जाता है।

क़ुरआन-ए-मजीद मर्द की तरह औरत को भी ज़िंदा रहने का हक देता है

इस्लाम से पहले बेटी पैदा होना इतना बुरा समझा जाता कि बसा औक़ात उसे ज़िंदा ही दफ़न कर दिया जाता। अख़राजात और ज़िम्मेदारियों में बढ़ोतरी के ख़ौफ़ से भी बेटी का वजूद बोझ लगता। अल्लाह तआला ने औलाद के क़तल से मना फ़रमाया। औलाद को अल्लाह की रहमत और जन्नत की खुशखबरी क़रार दिया। क़ुरआन का इरशाद है।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

(बनी-इस्राइल : 32)

और तुम गरीबी के ख़ौफ़ से अपनी औलाद को क़तल मत करो उन्हें (भी) हम ही रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी (हम ही देते हैं) उन्हें क़तल करना निसन्देह (बहुत) बड़ी गलती है।

हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने लड़कियों के जन्म को ज़हमत की बजाय रहमत क़रार दिया फ़रमाते हैं

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا وُلِدَ لرَجُل ابنة بعث اللہ عز وجل ملائكة يقولون السلام عليكم أهل البيت يكسونها بأجنحتهم ويمسحون بأيديهم على رأسها ويقولون ضعيفة خرجت من ضعيفة القيم عليها معان إلى يوم القيامة.(رواہ الطبرانی فی الصغیر)

"जब किसी के हाँ लड़की पैदा होती है तो ख़ुदा उसके हाँ फ़रिश्ते भेजता है जो आकर कहते हैं हे घर वालो तुम पर सलामती हो वह लड़की को अपने परों के साय में ले लेते हैं और इस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं यह कमज़ोर जान है जो एक कमज़ोर जान से पैदा हुई है। जो इस बच्ची की निगरानी और परवरिश करेगा क़ियामत तक ख़ुदा की मदद उसके शामिल-ए-हाल रहेगी।

लड़की का हक़ है कि उसकी अहसन रंग में शिक्षा और तर्बियत की जाए।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने शिक्षा हासिल करना मुस्लमान मर्द और मुस्लमान औरत पर फ़र्ज़ क़रार दिया। लड़कियों को शिक्षा देना सवाब का माध्यम बताया और शिक्षा देने वाले को जन्नत की बशारत दी। क़ुरआन-ए-मजीद ने मर्द और औरतों को यह दुआ सिखाई رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (ताहा : 115) हे मेरे रब मुझे इल्म में बढ़ा दे।

एक हदीस में वर्णन है कि عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيْهِ فَوَعَظَهُنَّ وَاَمَرَهُنَّ (सही अल् बुख़ारी) इस हदीस से इल्म होता कि आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने महिलाओं की शिक्षा-ओ-तर्बीयत के लिए एक दिन निर्धारित किया हुआ था जिस में उनको नसीहत फ़रमाते और उनके प्रश्नों के उत्तर देते थे।

مَنْ وُلِدَتْ لَهُ اِبْنَةٌ فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى الذَّكَرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ

हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : "जिसके यहां लड़की पैदा हुई और उसने उसे क़तल नहीं किया हो और न ही उसके साथ बुरा सुलूक किया और अपने लड़के पर तर्जीह नहीं दी हो तो अल्लाह उस (लड़की) के माध्यम से जन्नत में दाख़िल कर देगा।

क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के उस्वा से इल्म होता है कि बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाना और अच्छी तर्बीयत करना और हर लिहाज़ से उसका ख़्याल रखना प्रत्येक मुस्लमान पर फ़र्ज़ है।

औरत का हक़ है कि उस के जज़बात का ख़्याल रखा जाए।

दुनिया के बहुत से मुआशरों में औरत के साथ ऐसा बदतर सुलूक किया जाता है जिसके कोई एहसासात और जज़बात न हों। मानो वह कोई मुफ़्त का माल हो जिसे बेचा और ख़रीदा जा सकता था, तरका में बाँटा जा सकता था। औरत को इन्सान नहीं समझा जाता था बल्कि उनके नज़दीक वह एक ऐसी चीज़ थी जिसकी मिल्कियत तबदील होती रहती थी परंतु उसका नसीब तबदील नहीं होता था

क़ुरआन-ए-क़रीम ने औरतों के हुक़ूक़ निर्धारित किए। और औरत को इज़्ज़त का मुक़ाम आंहुज़ूर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने औरतों के लिए क़वारीर अर्थात आबगीने का लफ़्ज़ इस्तिमाल फ़रमाया जिससे औरत की नज़ाकत, कमज़ोरी और ज़ूद हिस्सी की तरफ़ इशारा है। इसके साथ एहतेयात से बरताव करने और हुस्न-ए-सुलूक करने का इरशाद फ़रमाया। एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो नमाज़ मुख़्तसर कर दी ताकि माँ को तकलीफ़ न हो।

(बुख़ारी, पुस्तक बुल् अज़ान)

जब आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ऐसे सफ़र पर जाते जिसमें औरतें भी साथ होतीं तो हमेशा आहिस्तगी से चलने का हुक्म देते। एक दफ़ा ऐसे ही अवसर पर जबकि सिपाहियों ने अपने घोड़ों की बागें और ऊंटों की नकेलें उठा ली आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : رِفْقًا بِالْقَوَارِيْرَ आराम से औरतें भी साथ हैं। अगर तुम इस तरह ऊंट दौड़ाऊ गे तो शीशे चकना-चूर हो जाऐंगे।

(बुख़ारी किताबुल अदब)

इस्लाम ने मर्दों की तरह औरतों को भी ख़ुशी की तक़ारीब में शिरकत का हक़ दिया।

क़ुरआन-ए-क़रीम ने मज़बूती के साथ औरत के हुक़ूक़ और उस के मुक़ाम को समाज में क़ायम किया और समाज के प्रोग्रामों में उसे शामिल करने की ताकीद फ़रमाई है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने ईदैन के अवसर पर समस्त औरतों और बच्चियों को इस्लामी तक़ारीब में भागीदार करने की हिदायत की और फ़रमाया कि अगर किसी लड़की के पास पर्दा के लिए चादर न हो तो वह किसी से उधार ले-ले और वे औरतें भी जिन्हों ने नमाज़ नहीं पढ़नी इजतेमा ईद में शामिल हो कर दुआ में ज़रूर भागीदार हो जाएं। (बुख़ारी, किताबुल ई-देन)

क़ुरआन-ए-मजीद के औरतों के हुक़ूक़ के बारे में ताकीदी इरशादात

क़ुरआन-ए-क़रीम में इरशाद ख़ुदावंदी है : हे वो लोगो जो ईमान लाए हो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम ज़बरदस्ती करते हुए औरतों का विरसा लो। और उन्हें इस ग़रज़ से तंग न करो कि तुम जो कुछ उन्हें दे बैठे हो उस में से कुछ (फिर) ले भागो, सिवाए उस के कि वह खुली खुली बे-हयाई की

मुर्तक़िब हुई हों। और उनसे नेक सुलूक के साथ ज़िंदगी बसर करो। और अगर तुम उन्हें नापसंद करो तो ऐन-मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह इस में बहुत भलाई रख दे। (अल् निसा : 20)

क़ुरआन की शिक्षा के अनुसार माँ को औलाद के तर्के में से हिस्सा का हक़दार क़रार दिया इसी तरह पत्नी को पति का बेटी को बाप और बाअज़ सूरतों में बहन को भाई का वारिस क़रार दिया।

औरत का हक़ है कि उनसे मश्वरा लिया जाए

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि कुछ अहम उमूर में औरतों से मश्वरा भी ले लेना चाहिए। और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ख़ुद भी मश्वरा लेते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो के दौर के बाअज़ वाक़ियात से पता चलता है कि इजतेमाई मामलों में इस्लाम ने औरत को इज़हार राय का हक़ दिया हुआ था।

हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हो ने फ़रमाया : "ख़ुदा की क़सम हम जाहिलियत में औरत को कुछ अहमियत नहीं देते थे यहां तक कि अल्लाह तआला ने उनके हुक़ूक़ के बारे में क़ुरआन शरीफ़ में अहकाम नाज़िल फ़रमाए और विरासत में भी उनको हक़दार बना दिया।"

(बुख़ारी, पुस्तक अल् तफ़सीर सूरः अल् तहरीम)

औरत का हक़ है कि उस से नरमी की जाए इस्लाम पर एतराज़ किया जाता है कि औरत को सज़ा देने की इजाज़त है। जबकि यह इजाज़त भी घरों का शांति क़ायम रखने के लिए थी जो कुछ शरायत के साथ दी गई थी, परंतु इस ख़्याल से कि इस रुख़स्त का ग़लत इस्तिमाल न हो इस से भी मना फ़रमाया :

لَا تَضْرِبُوْا اِمَاءَاللّٰہِ औरतें तो अल्लाह तआला की लौंडियां हैं, उन पर दस्त दराज़ी न किया करो।

औरतों पर सख़्ती करने वालों के बारे में फ़रमाया لَيْسَ اُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ(सुंन अबी दाऊद पुस्तक अल् निकाह बाब फ़ी ज़रब अल् निसा) अर्थात ये लोग तुम्हारे अच्छे लोगों में से नहीं हैं।

हज़रत मुआविया बिन हिंद से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से पूछा हे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पत्नी का हक़ हम पर क्या है आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया जो ख़ुदा तुम्हें खाने को दे वे उसे खिलाओ और जो ख़ुदा तुम्हें पहनने को दे वे उसे पहनाओ और इस को थप्पड़ न मॉरो और गालियां न दो और उसे घर से न निकालो। (अबू दाऊद)

क़ुरआन-ए-क़रीम दुनिया की एक वाहिद शरीयत है जिसने औरतों के हर किस्म के हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त की है और उनके साथ नरमी और हुस्न-ए-सुलूक से पेश आने का हुक्म दिया है। क़ुरआन-ए-क़रीम फ़रमाता है : وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ(अल् निसा : 20) और उनसे नेक सुलूक के साथ ज़िंदगी बसर करो।

उन्हें शिक्षा के पेश-ए-नज़र हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम फ़रमाते हैं :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي(सुंन अल् तिरमज़ी, पुस्तक अल् मिनाकब, बाब फ़ज़ल अज़्वाज नबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) अर्थात सबसे बेहतरीन वे है जो अपने अहल-ओ-अयाल के लिए अच्छा है। और घरवालों से बेहतरीन सुलूक में मेरा उदाहरण सबसे बेहतर है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया : "फ़ह्शा के सिवा बाक़ी समस्त कठोर भाषा और तल्ख़ीयां औरतों की बर्दाश्त करनी चाहिऐं .. हमें तो कमाल बेशरमी मालूम होती है कि मर्द हो कर औरत से जंग करें हम को ख़ुदा ने मर्द बनाया है और दरहक़ीक़त यह हम पर इत्माम-ए-नेअमत है। इसका शुक्रिया है कि हम औरतों से लुतफ़ और नरमी का बरताव करें।

एक दफ़ा एक दोस्त की दुरुश्त मिज़ाजी और बदज़बानी का वर्णन हुआ और शिकायत हुई कि वह अपनी पत्नी से सख़्ती से पेश आता है। हुज़ूर उस बात से बहुत दुखी हुए, और फ़रमाया हमारे अहबाब को ऐसा नहीं होना चाहिए .. मेरा यह हाल है कि एक दफ़ा मैंने अपनी पत्नी पर ऊंची आवाज़ा से बोला था और मैं महसूस करता था कि वह बाँग बुलंद दिल के रंज से मिली हुई है और जबकि मैं ने कोई दिल-आज़ार और दुरुश्त कलिमा मुँह से नहीं निका लाथा। इस के बाद मैं बहुत देर तक अस्तग़फ़ार करता रहा और बड़े ख़ुशू व ख़ज़ू से नफ़िलें पढ़ें और कुछ सदक़ा भी दिया कि यह दुरुश्ती ज़ौजा पर किसी पिन्हानी मासियत-ए-इलाही का नतीजा है।"

(मल्फ़ूज़ात प्रथम पृष्ठ 307 संस्करण 1988 ई.)

"चाहिए कि बीवियों से ख़ावंद का ऐसा ताल्लुक़ हो जैसे दो सच्चे और हक़ीक़ी दोस्तों का होता है। इन्सान के अख़लाक़-ए-फाज़िला और ख़ुदा तआला से ताल्लुक़ की पहली गवाह तो यही औरतें होती हैं। अगर उन्ही से इस के ताल्लुक़ात अच्छे नहीं हैं तो फिर किस तरह मुम्किन है कि ख़ुदा तआला से सुलह हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ तुम में से अच्छा वह है जो अपने अहल के लिए अच्छा है।"

(मल् फ़ूज़ात, भाग 3 पृष्ठ 300 संस्करण 2003 ई.)

औरत का हक़ है कि निकाह, शादी, तलाक़, खुला के बारे में उसे धारण दिया जाए

इस्लाम की शिक्षा के अनुसार माता पिता लड़की के वली की हैसियत से लड़कियों के लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करने के ज़िम्मा दार हैं मगर फ़ैसला में लड़की की रजामंदी ज़रूरी क़रार दी है।

इस्लाम ने ज़ालिम, नाकारा, न पसंदीदा शौहर के मुक़ाबले में औरत को खुला और फ़स्खे निकाह के वसीअ इख़्तयारात दिए हैं। बेवा और मुतल्लक़ा औरत को निकाह का हक़ दिया और फ़रमाया कि वह अपनी ज़ात के बारे में फ़ैसला के बारे में वली से ज़्यादा हक़ रखती है।

(बुख़ारी, पुस्तक अल् निकाह)

फिर महर का हक़ भी इस्लाम ने औरत को दिया। इस्लाम ने 1400 वर्ष क़बल यह हक़ औरत को दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने किसी औरत से शादी के लिए महर मुक़र्रर किया और नीयत की कि वह उसे नहीं देगा तो वह ज़ानी है और जिस किसी ने क़र्ज़ इस नीयत से लिया कि अदा नहीं करेगा तो मैं उसे चोर शुमार करता हूँ। (मज्मा-अल् ज़वायद, भाग 4 पृष्ठ 131)

औरतों के हुक़ूक़ खत्म करने वालों को चेतावनी

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं "अल्लाह तआला फ़रमाता है कि हे हुक़ूक़ अदा न करने वालो, या ज़ुल्म से हक़ मारने वालो! हमेशा याद रखो कि एक ग़ालिब, अज़ीज़ ख़ुदा तुम्हारे ऊपर है और उसके हुक्मों पर अनुकरण न करके वह अहकाम जो हिक्मत से परिपूर्ण अहकाम हैं उन पर अनुकरण न करके तुम फिर अमन, सलामती और प्यार क़ायम करने वाले समाज के क़ियाम में रोक डालने वाले बन रहे हो। और यह चीज़ उस ग़ालिब ख़ुदा को किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं है। अतः ध्यान करो, हिक्मत धारण करो, हुक़ूक़ की अदायगी की तरफ़ ध्यान दो ताकि वे अज़ीज़ ख़ुदा जो अज़ीज़-ओ-रहीम भी है तुम पर रहम करते हुए सिफ़त अज़ीज़ के नज़्ज़ारे तुम्हें तुम्हारे हक़ में दिखाए।"

(ख़ुत्बा जुमा फ़र्मूदा 16 नवंबर 2007 प्रकाशन अल्फ़ज़ल इंटरनैशनल 9 नवंबर 2007 ई.)

★ ★ ★

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जीवनी क़ुरआन-ए-क़रीम की दृष्टि से

(लईक अहमद नायक मुरब्बी सिल्सिला)

सीरत-ए-नब्वी का जो भी पहलू देखा जाए वह बे-इंतिहा सौंदर्य और दिल-कशियों से परिपूर्ण है। हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की महान् शख़्सियत के ताल्लुक़ से अल्लाह तआला ने आकाश से यह ऐलान फ़रमाया कि لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (अल् अहज़ाब : 22) कि तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़ात और जीवनी उत्तम उदाहरण है

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की बाबरकत शख़्सियत जुमला इंसानी वशेषताओं व कमालात का मजमूआ और हर लिहाज़ से अद्वितीय और अकेली है। आपकी जीवनी के बारे में क़ुरआन शरीफ़ की महान् गवाही है कि وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ अर्थात आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम महान् अख़लाक़ पर फ़ायज़ थे। (सूरः क़लम : 5) आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के अख़लाक़ फाज़िला और जीवनी कामला की तस्वीर कशी इस आसमानी शहादत से बेहतर किसी इन्सान के लिए मुम्किन नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पत्नी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की भी यही शहादत है कि अल्लाह की रज़ा के अधीन आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सब काम होते थे और जिस काम से ख़ुदा नाराज़ हो, आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम उससे दूर थे।

(نوادر الاصول فی احادیث الرسول حکیم ترمذی, भाग 4 पृष्ठ 215 दारुल जलील बेरूत)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की चशमदीद शहादत का ख़ुलासा यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ क़ुरआन थे। जिस का यह अर्थ है कि :

प्रथम क़ुरआन शरीफ़ में वर्णन फ़र्मूदा समस्त अख़लाक़ और मौमिनों की जुमला सिफ़ात की आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ज़ात थी। इसलिए क़ुरआन की अख़लाक़ी शिक्षा पर कर्म कर के आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने ऐसा हसीन व्यवहारिक उदाहरण पेश किया जिसे क़ुरआन-ए-क़रीम ने उस्वाह -ए-हस्ना क़रार दिया है।

द्वितीय क़ुरआन ने जो हुक्म दिए वे सब आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने पूरे कर दिखाए। मानो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम चलते फिरते पूर्ण इंसान थे।

हज़रत रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जीवनी के विभिन्न पहलूओं का क़ुरआन शरीफ़ के कई स्थानों पर बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन मिलता है जिनमें आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के शमायल मुबारका, पाक आदात-ओ-अत्वार और हुस्न मुआशरत इत्यादि के बे शुमार पहलू वर्णन हुए हैं, चाहे वे आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हुक़ूकुल-ईबाद की नाज़ुक ज़िम्मेदारियाँ हों, आपकी प्रतिदिन की व्यस्ततः या मसरुफ़ियात हों, इबादात हों या तब्लीग़ी ज़िम्मेदारियों की सरअंजाम देही हो या आपके पाकीज़ा अख़लाक़ हों। उद्देश्य जीवनी के कई सुंदर पहलूओं को इजमाली या तफ़सीली तौर पर क़ुरआन-ए-क़रीम ने स्पष्ट कर दिया और उम्मत-ए-मुहम्मदया को एक कामिल जीवनी प्रदान फ़रमाई।

इन्सान की जीवनी दो हिस्सों में बटी है एक हुक़ूकुल्लाह की अदायगी और दूसरा हुक़ूकुल-ईबाद है। ये दोनों ज़िम्मेदारियाँ जिस हुस्न-ओ-जमाल के साथ अदा हों उसी के अनुसार इन्सान की जीवनी भी मुकम्मल और फ़ायजुल् मराम साबित होती है। आइए क़ुरआन-ए-क़रीम की दृष्टि से सय्यदुल् अंबिया हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जीवनी पाक पर नज़र डालते हैं। अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-क़रीम में फ़रमाता है :

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (अल् तौबा : 128) निसन्देह तुम्हारे पास तुम्हें में से एक रसूल आया। उसे बहुत सख़्त शाक़ गुज़रता है जो तुम तकलीफ़ उठाते हो (और) वह तुम पर (भलाई) चाहते हुए हरीस (रहता) है। मौमिनों के लिए बेहद मेहरबान (और) बार-बार रहम करने वाला है।

जैसा कि हम जानते हैं अल्लाह तआला अपनी हस्ती को अपनी सिफ़ात से हम पर ज़ाहिर फ़रमाता है और मौमिन बंदों को भी अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मेरा रंग पकड़ो, मेरे रंग में रंगीन हो। मेरी सिफ़ात धारण करो, तभी तुम मेरे हक़ीक़ी बंदे कहला सकते हो। अल्लाह तआला के इस इरशाद की उच्च तरीन मिसाल कोई शक नहीं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के इलावा किसी और फ़र्द में नहीं पाई जा सकती। क्योंकि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ही अल्लाह तआला के वह प्यारे हैं जिसके नूर से एक दुनिया ने फ़ैज़ पाया, फ़ैज़ पा रही है और इन शा अल्लाह फ़ैज़ पाती चली जाएगी ताकि अपने पैदा करने वाले की पहचान कर सकें। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ज़ात बाबरकात का नक़्शा इस तरह खींचा है। आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"वो इन्सान जिसने अपनी ज़ात से, अपनी सिफ़ात से, अपने अफ़आल से, अपने आमाल से और अपने रुहानी और पाक क़ुवा के पुरज़ोर दरिया से कमाल ताम का नमूना ज्ञान से कर्म सच्चाई से और मज़बूती से दिखलाया और इन्सान कामिल कहलाया .. वह इन्सान जो सब से ज़्यादा कामिल और इन्सान कामिल था और कामिल नबी था और कामिल बरकतों के साथ आया जिस से रुहानी बाअस और हश्र की वजह से दुनिया की पहली क़ियामत ज़ाहिर हुई और एक आलम का आलम मरा हुआ उसके आने से ज़िंदा हो गया"। वह क़ियामत क्या थी। मर्दों को ज़िंदा करने वाली थी। "वह मुबारक नबी हज़रत ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम, ईमामुल असफ़िया ख़ातमुन मुरसेलीन सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हैं। हे ख़ुदा! इस प्यारे नबी पर वे रहमत और दुरूद भेज जो इब्तिदा-ए-दुनिया से तूने किसी पर नहीं भेजा हो। اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ"

(अतमामुल हुज्जा, रुहानी ख़ज़ायन, भाग 8 पृष्ठ 308)

फिर आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं : शिक्षा क़ुरआन हमें यही सबक़ देती है कि नेकों और अबरार अख़यार से मुहब्बत करो और फ़ासिक़ों और काफ़िरों पर शफ़क़त करो। अल्लाह तआला फ़रमाता है عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ (अल् तौबा : 128) अर्थात हे काफिरो ये नबी ऐसा मुशफ़िक़ है जो तुम्हारे रंज को देख नहीं सकता और निहायत दर्जा ख़ाहिशमंद है कि तुम इन बलाओं से निजात पाओ।"

(नूरूल क़ुरआन नंबर 2 रुहानी ख़ज़ायन, भाग 9 पृष्ठ 433)

हुक़ूकुल्लाह की अदायगी

अगर आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की रुहानी ज़िंदगी पर नज़र डालें तो इस ज़ावीया से आपका वजूद बेमिसाल नज़र आता है। विशेषता अगर हुक़ूकुल्लाह के फ़रीज़ा की अदायगी का तज़किरा करें तो क़ुरआन-ए-क़रीम ने इस नुक़्ता-ए-नज़र से आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हयात मुबारका का नक़्शा आपकी अपनी ज़बान से कितने ख़ूबसूरत अंदाज़ में खींचा है : اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ तू कह दे कि मेरी इबादत और मेरी क़ुर्बानियां और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो समस्त जहानों का रब है।

एक और मुक़ाम पर फ़रमाया : اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ (अल् मुज़म्मिल : 21) हे मुहम्मद सल्लल्लाहो

अलैहि व सल्लम तुम्हारा रब जानता है कि तुम रात को तक़रीबन दो तिहाई हिस्से तक और कभी निस्फ़ रात और कभी एक तिहाई हिस्से तक नमाज़ में खड़े रहते हो।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो दीबाचा तफ़सीरूल क़ुरआन में तहरीर फ़रमाते हैं :

"रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सारी ज़िंदगी इश्क़-ए-इलाही में डूबी हुई नज़र आती है। बावजूद बहुत बड़ी जमाअती ज़िम्मेदारी के दिन और रात आप इबादत में मशग़ूल रहते थे। आधी रात गुज़रने पर आप ख़ुदा तआला की इबादत के लिए खड़े हो जाते और सुबह तक इबादत करते रहते यहां तक कि बाअज़ दफ़ा आपके पांव सूज जाते थे और आपके देखने वालों को आपकी हालत पर रहम आता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक दफ़ा मैंने ऐसे ही अवसर पर कहा हे रसूलुल्लाह! आप तो ख़ुदा तआला के पहले ही मुक़र्रब हैं आप अपने नफ़्स को इतनी तकलीफ़ क्यों देते हैं? आप ने फ़रमाया हे आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा! أَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا जब यह बात सच्ची है कि ख़ुदा तआला का मैं मुक़र्रब हूँ और ख़ुदा तआला ने अपना फ़ज़्ल करके अपना क़ुरब प्रदान फ़रमाया है तो क्या मेरा यह फ़र्ज़ नहीं कि जितना हो सके मैं भी इसका शुक्रिया अदा करूँ। क्योंकि आख़िर शुक्र उपकार के मुक़ाबिल पर ही हुआ करता है।"

(दीबाचा तफ़सीरूल क़ुरआन, अनवारूल उलूम, भाग 20 पृष्ठ 382)

मुहब्बत-ए-इलाही

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ज़िंदगी का लम्हा लम्हा इशक़ इलाही से भर पूर मिलती है। आपकी इस मुहब्बत को अल्लाह तआला ने यह शरफ़-ए-क़बूलियत बख़्शा कि इस की पैरवी आइन्दा अल्लाह की मुहब्बत पाने का माध्यम करार पाई।

जैसा कि फ़रमाया : قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (आले इमरान : 33) तू कह दे अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो (तो) वह (भी) तुमसे मुहब्बत करेगा।

आज्ञाकारिता-ए-रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के तरीक़ पर चलने वालों को क़ुरआन करीम में नबियों, सिद्दीक़ों, शुहदा और सालेहीन के हम रुतबा होने की बशारत दी गई और कुछ को हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम में अंबिया बनी-इस्राइल जैसा और मुजद्दिद और मसीह-ओ-महदी का नाम दिया गया। इसलिए आज्ञाकारिता-ए-रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के तरीक़ पर चल कर उम्मती नबी का नाम पाने वाले आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ग़ुलाम और आशिक़ सादिक़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने आज इश्क़-ए-इलाही की इस शम्मा को फिर लो दी है। और ख़ुदा से मुहब्बत के इस चलन को यूं आम करना चाहा है कि फ़रमाया :

"यह दौलत लेने के लायक़ है जबकि जान देने से मिले और यह लाल ख़रीदने के लायक़ है अगरचे समस्त वजूद खोने से हासिल हो।"

(कुश्ती नूह, रुहानी ख़ज़ायन, भाग 19 पृष्ठ 21)

बहैसीयत दाई-लाल्लाह

अनबया की अहम ज़िम्मेदारियों में से एक दावत इलाल्लाह और एकेश्वरवाद के क़ियाम की ज़िम्मेदारी है। जिस क़दर दुनिया में अनबया आए इन सबने इन्सानों को ख़ुदाए वाहिद की तरफ़ ही बुलाया और फ़रमाया कि इसकी इबादत करो और उसकी समस्त सिफ़ात पर ईमान लाओ।

क़ारईन-ए-किराम हमारे आक़ा-ओ-मौला सय्यदना हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने जिस अहसन तरीक़ पर दावत इलाल्लाह का काम किया वह लामिसाल और ला-सानी था। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की बेअसत से पूर्व जो दुनिया के हालात थे वह क़ुरआन-ए-क़रीम के अनुसार ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ का नक़्शा था। जहां लोगों में बेशुमार बुराईयां पाई जाती थीं वहां सबसे बड़ी ख़राबी यह थी कि वह सैंकड़ों माबूदाने बातिला के पुजारी थे। ऐसे हालात को देख कर क़ुरआन-ए-मजीद के अनुसार وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (अल् अज़हा) वह दर्दमंद दिल जो अपनी क़ौम की मुहब्बत से सरशार था वह तड़पा और ख़ुदा ने उसे क़ौम के लिए मुस्लेह बनाया।

क़ारेईन हज़रात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की दावत-ए-हक़ में दरपेश आलाम-ओ-मसायब की दास्तान किसी पर मख़फ़ी नहीं। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम जूँ-जूँ इरशाद-ए-रब्बानी के अधीन अपनी तब्लीग़ी सरगर्मीयों को तेज़ फ़रमाते जाते मुख़ालेफ़त की आग और भड़क उठती। जिस के नतीजा में आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और आपके समस्त ख़ानदान को तीन वर्ष तक शाब अबी तालिब में मेहसूर रहना पड़ा। एक तवील अर्से के बाद सन् 10 नब्वी में जब महसूरियत का अल-मनाक दौर ख़त्म हुआ तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मक्का से बाहर तब्लीग़ की ग़रज़ से तायफ की जानिब सफ़र किया। तायफ में रसूले ख़ुदा आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के साथ होने वाले शर्मनाक सुलूक से कौन मुस्लमान वाक़िफ़ नहीं परंतु यह सुलूक भी आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को पाया इस्तिक़लाल से हटा न सका।

उद्देश्य कुफ़्फ़ार-ए-मक्का ने अपना एड़ी चोटी का ज़ोर लगा के देख लिया कि किसी तौर पर इस्लाम को या आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ज़ात को नुक़्सान पहुंचा सकें परंतु मशिय्यत-ए-एज़दी उनकी हर चाल नाकाम कर रही थी और इस्लामी चशमा के जिस बहाव को रोकने के लिए वह सिर तोड़ कोशिश कर रहे थे उसका मुँह यसरिब की जानिब बह निकला और यूं शौकत-ए-इस्लाम का नया बाब रक़म हुआ। सबसे बड़े मुबल्लिग़ ने 13 साल मक्का में पूरी तनदही के साथ तौहीद-ए-हक़ की मुनादी की और जब आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने चाहा कि यसरब में अमन-ओ-सुकून से दीन के पैग़ाम को लोगों तक पहुंचाएं तो यह बात भी दुश्मनों को गवारा न हुई। हिज्रत मदीना से लेकर सुलह हुदैबिया तक बार बार आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को जंगों और ग़ज़वात में से गुज़रना पड़ा और हर मुम्किन कोशिश की कि वाहेद और यागाना के परसितारों को सफ़ा-ए-हस्ती से मिटा डालें परंतु उन्ही के गर्म किए हुए मैदान-ए-कार-ज़ार को ख़ुदा ने एकेश्वरवाद और एकेश्वरवाद के अलंबरदारों के लिए अज़मत का निशान बना दिया लेकिन इस सब के बावजूद आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के क़लब-ए-अतहर की कैफ़ीयत क़ुरआन-ए-क़रीम के अनुसार यह थी कि عَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (अल्-शोरा - : 4) क्या तू अपनी जान को इसलिए हलाक कर देगा कि वह मौमिन नहीं होते। अर्थात तेरा पाकीज़ा दिल काफ़िरों के सच्चाई के इंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ख़ाहिश करता है कि वह भी हिदायत पा जाएं।

क़ुरआन-ए-क़रीम से प्रेम

क़ुरआन-ए-क़रीम आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के बारे फ़रमाता है कि رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (अल् बयय्ना : 3)अर्थात अल्लाह का रसूल मुतह्हर सहीफ़े पढ़ता था।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तिलावत की अज़मत और शान के बारे में क़ुरआन यूं गवाही देता है।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ (अल् बकर: 122) अर्थात जिनको हमने पुस्तक दी है वह उसकी इस तरह तिलावत करते हैं जैसे तिलावत का हक़ है।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम हकम-ए-इलाही के अनुसार ख़ूबसूरत लहन और तरतील के साथ ऐसी तिलावत करते थे कि तिलावत

का हक़ अदा हो जाता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हो से पूछा गया कि रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तिलावत कैसी होती थी? उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम लंबी तिलावत करते थे। फिर उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ कर सुनाई। उसे लंबा किया फिर अल् रहमान को लंबा करके पढ़ा फिर अल्रहीम को।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो वर्णन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह तआला किसी चीज़ को कान लगा कर ध्यान से नहीं सुनता जितना नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की तिलावत क़ुरआन को सुनता है, जब वह ख़ूबसूरत लहन और गुना के साथ बाआवाज़ बुलंद उसकी तिलावत करते हैं। दिन-भर गाहे-बा-गाहे और विशेषता नमाज़ों में नाज़िल होने वाली ताज़ा क़ुरआन वह्यी के तकरार और दुहराई का एहतेमाम तो होता ही था। उमूमन रात को भी ज़बान पर क़ुरआन ही होता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वर्णन करती हैं : कभी रात को अचानक आँख खुल जाती तो ज़बान पर अल्लाह तआला की अज़मत की यह आयात जारी होतीं हैं: وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ (सुआद : 66-67) अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं परंतु अल्लाह जो वाहिद (और) साहिब जबरूत है। आसमानों और ज़मीन का रब और उसका जो उनके मध्य है। कामिल ग़लबा वाला (और) बहुत बख़शने वाला है।

अह्द-ओ-पैमान की पाबंदी

क़ुरआन-ए-मजीद में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है : يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (अल् मायदा : 2) कि हे ईमानदारो अपने अह्द-ओ-पैमान को और अपने इक़रारों को पूरा किया करो।

फिर फ़रमाया : وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا (बनी इस्राईल : 35) कि हमेशा अपने अह्द-ओ-पैमान और वादों को पूरा करो और याद रखो कि क़ियामत के रोज़ अहदो पैमान के बारह में बाज़पुर्स की जाएगी।

आएं हम वाक़ियात की दुनिया में उतर कर मुशाहिदा करें कि हमारे प्यारे आका-ओ-मुहम्मद अरबी आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अह्द-ओ-पैमान की पाबंदी और ईफ़ा-ए-अहद के बाब में क्या बेमिसाल नमूना पेश फ़रमाया है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ज़िंदगी में अहदो पैमान की पाबंदी का जो हुसैन नक़्शा नज़र आता है वह मकान-ओ-ज़मान की क़ैद से बहुत बाला और हर पहलू से दिलरुबा है। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सारी ज़िंदगी एक पुस्तक मफ़तूह की तरह हमारे सामने है इसका एक-एक बाब बल्कि एक एक सफ़ा अख़लाक़-ए-फाज़िला से जगमगाता नज़र आता है। ईफ़ा-ए-अहद के बाब में उसकी दिलकश झलकियाँ हमें इस दौर में भी नज़र आती हैं जब आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जवानी की हदूद में क़दम रखा। इस दौर में आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को "अमीन और" सादिक़ के ख़िताब से याद किया जाता था। यह दोनों ख़ताबात ऐसे हैं जिनका ईफ़ा-ए-अहद से बहुत गहरा और बुनियादी ताल्लुक़ है। "सादिक़" और "सदूक वह होता है जिसकी ज़िंदगी के किसी भी हिस्सा में बातिल का शायबा तक न हो। और अमीन वह होता है जिसका हर क़ौल-ओ-फ़ेअल सदाक़त और दियानत के ख़मीर से गूँधा गया हो। इन दोनों सिफ़ात का अह्द-ओ-पैमान की पाबंदी के साथ चोली दामन का साथ है। अतः दावा-ए-नुबूव्वत से बहुत पहले से अहल-ए-मक्का की तरफ़ से आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को इन अलफ़ाज़ से याद किया जाना यह साबित करता है कि अल्लाह तआला ने ईफ़ा-ए-अहद की सिफ़त आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की रूह में कुछ इस तरह वदीअत फ़रमाई थी कि वह आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के वजूद का एक भाग لا ينفك था और इस के हसीन जल्वे सारी हयात तय्यबा में जगह जगह नज़र आते हैं।

आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जवानी के ज़माने का घटना है कि मक्का के बाअज़ शरीफ़ उल-नफ़स नौजवानों ने एक मज्लिस क़ायम की जिसके सब शुरका ने यह वादा किया कि वह हमेशा ज़ालिम को रोकेंगे और मज़लूम की मदद करेंगे। जब यह ख़बर मक्का के अमीन और सिद्दीक नौजवान मुहम्मद-ए-अरबी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम बड़े शौक़ से इस मज्लिस में शामिल हो गए। ख़ुदा ही जानता है कि इस अनुबंध में भागीदार किसी और शख़्स को यह अह्द पूरा करने की तौफ़ीक़ मिली या न मिली लेकिन हामरे हादिय कामिल आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम जिनकी सारी ज़िंदगी सिदक़-ओ-सदाद से इबारत थी, जो हमेशा अपने क़ौल के पक्के और वादे के सच्चे थे, ख़ुदा तआला की हिकमत-ए-बालिग़ा ने आपको यह अहद भी पूरा करने की तौफ़ीक़ प्रदान फ़रमाई। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जवानी में भी इस अह्द की हिफ़ाज़त की और बाक़ी सबसे बढ़कर की और फिर यह मुक़द्दस अह्द सारी ज़िंदगी याद रखा और जब भी इस के ईफ़ा का मौक़ा आया आप बड़ी जुर्रत और दिलेरी से मज़लूम की हिमायत में उठ खड़े होते।

ख़ुश अख़्लाक़ी और उदारता

अल्लाह तआला का अपने मौमिन बंदों को इरशाद है कि उन्हें ख़ुदा तआला के फ़ज़्लों और रहमतों को याद करते हुए हमेशा ख़ुश रहना चाहिए। फ़रमाया : قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا (यूनुस : 59)तू कह दे कि (यह) महिज़ अल्लाह के फ़ज़्ल और उसकी रहमत से है। अतः इस पर चाहिए कि वे बहुत ख़ुश हों।

हमारे रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम फ़रमाया करते थे कि मौमिन का हाल भी अजीब है कि जब उसे कोई मुसीबत आए तो वह बख़ुशी सब्र करता और ख़ुदा से अज्र पाता है। और जब उसे इनाम मिले तो शुक्र करता और इसका भी अज्र पाता है। मानो मौमिन हर हाल में ख़ुश और राज़ी होता है। अतः सच्ची ख़ुशी और ख़ुशतबई न सिर्फ इन्सान के सेहत मंद जिस्म-ओ-ज़हन और उच्च ज़र्फ़ वज़ूक की अलामत है बल्कि

इस्लाम और जमाअत अहमदिय्या के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें

नूरुल इस्लाम नं. (टोल फ्री सेवा) :

1800 3010 2131

(शुक्रवार को छोड़ कर सभी दिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक)

Web.www.alislam.org

www.ahmadiyyamuslimjamaat.in

उसके ईमान की निशानी भी बन जाती है। वास्तविक घटना भी यह है कि ख़ुश रहना न सिर्फ ख़ुद एक इन्सान के लिए बल्कि पूरे माहौल के लिए सेहत अफ़्ज़ा इक़दाम है। नफ़सियाती जायज़े के अनुसार एक मुस्कुराने वाला जितने लोगों से मिलता है वह उनमें ख़ुशी की एक लहर फैला कर सारे समाज में मुस्कुराहटें बिखेर कर तमानियत पैदा करने वाला बन जाता है जो एक सेहत मंद समाज की अलामत है।

हमारे नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से बढ़कर कौन है जिसे नफ़स-ए-मुतमइन्ना और मुक़ाम-ए-रज़ा नसीब हुआ हो। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम अत्यधिक ख़ुश-तबा थे, हमेशा मुस्कुराना आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की आदत थी। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम आपने सहाबा को भी नसीहत फ़रमाते थे कि किसी नेकी को हक़ीर मत समझो ख़ाह अपने भाई से खुले दिल से और मुस्कुराहट से पेश आने की नेकी हो। (मुस्लिम, पुस्तक बाब : 12)

हुक़ूकुल ईबाद की अदायगी और ख़िदमत-ए-ख़लक़

अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-क़रीम में ख़लकुल्लाह के समस्त तबक़ों की ख़िदमत, उनकी हाजत रवाई और उन से हमदर्दी और हुस्न-ए-सुलूक की शिक्षा देते हुए फ़रमाता है :

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

(अल् निसा : 37) और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी को भागीदार न करो और माँ बाप, रिश्तेदारों और यतीमों और बेकसों और क़राबतदार पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों और पास बैठने वाले रफ़ीक़ों और बीबियों और मुसाफ़िरों और ग़ुलाम बांदियों और जानवरों के साथ जो तुम्हारे क़बज़ा में हों नेक सुलूक करो। बे-शक अल्लाह उनको दोस्त नहीं रखता जो इतराते और बड़ाई मारते फिरते हैं।

क़ुरआन-ए-क़रीम की इस शिक्षा पर रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वाला वसल्लम ने पूर्णता कर्म फ़रमाया और अपने मानने वालों को भी इस की नसीहत फ़रमाई। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पहली वही रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के अख़लाक़ पर जो गवाही दी वह आपकी हमदर्दी ख़लक़ से इबारत है। उन्होंने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को तसल्ली देते हुए आपकी ख़िदमत में अर्ज़ किया कि ख़ुदा की क़सम अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं और सादिक़ अलकोल हैं, लोगों के बोझ बटाते हैं और मादूम अख़लाक़ अपने अंदर जमा किए हुए हैं आप मेहमान-नवाज़ी करते हैं और समस्त हवादिस में हक़ और सदाक़त का साथ देते हैं। (सही बुख़ारी, पुस्तक बदा उल वह्यी, बाब कैफ़ काना बदा उल वह्यी)

सहाबा से करुणा और प्रेम

सहाबा किराम के लिए रसूल-ए-पाक सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की मुहब्बत-ओ-शफ़क़त अजीब-ओ-ग़रीब अंदाज़ में अपने जल्वे दिखाती हुस्न-ए-सुलूक और प्यार करना एक बात है और अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज़ करते हुए अपने सहाबा की ज़रूरियात और आराम को मुक़द्दम करना बिल्कुल और बात है जिसका ईमान अफ़रोज़ नज़ारा उस्वा मुहम्मदी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम में नज़र आता है। وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (सूरः अल् हश्र आयत : 10) का मेराज आपकी ज़ात बाबरकात में दिखाई देता है।

एक अवसर पर अल्लाह तआला ने गवाही दी कि فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ (आले इमरान : 160) कि अल्लाह तआला की रहमत-ए-कामला ने हबीब-ए-ख़ुदा को मुजस्सम रहमत बनाया है। अगर ऐसा न होता तो ये लोग कदापि तेरे गर्द परवाना-सिफ़त इकट्ठे न होते।

परिवार वालों की तर्बीयत का ख़्याल

क़ुरआन-ए-क़रीम में अल्लाह तआला फ़रमाता है कि

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(अल् तहरीम : 7) हे लोगो जो ईमान लाए हो अपने आपको और अपने अहल-ओ-अयाल को आग से बचाओ जिसका ईंधन इन्सान और पत्थर हैं।

इस ज़िम्मेदारी को आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने बहुत ही प्यारे अंदाज़ में और बड़ी ख़ुश-उस्लूबी के साथ अदा किया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वालही वसल्लम छः माह तक फ़ज्र की नमाज़ के लिए जाते हुए हज़रत फ़ातमह रज़ियल्लाहु अन्हा के दरवाज़े के पास से यह फ़र्मा कर गुज़रते रहे कि हे अहल-ए-बैत नमाज़ का वक़्त हो गया है। और फिर यह आयत तिलावत फ़रमाया करते थे कि اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا (अल् अहज़ाब : 34) कि हे अहल-ए-बैत अल्लाह तुम से हर किस्म की गंदगी दूर करना चाहता है और तुमको अच्छी तरह पाक करना चाहता है।

अल्लाह पर पूर्ण विश्वास

अल्लाह तआला से इशक़-ओ-मुहब्बत की दास्तान तो निराली थी ही लेकिन अल्लाह तआला की ज़ात पर कामिल तवक्कुल की उच्च तरीन उदाहरण भी हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने ही रक़म फ़रमाई हैं। इस ताल्लुक़ से कसरत के साथ वाक़ियात मौजूद हैं उनमें से एक घटना पाठकों को भेंट करना मुनासिब समझता हूँ। इस सिल्सिला में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अल् ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं :

हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो की रिवायत है कि सफ़र हिज्रत के दौरान जब सुराक़ा घोड़े पर सवार तआक़ुब करते हुए हमारे क़रीब पहुंच गया तो मैं ने अर्ज़ किया हे रसूलुल्लाह ! अब तो पकड़ने वाले बिल्कुल सिर

Tahir Ahmad Zaheer
M.Sc. (Chemistry) B.Ed.
DIRECTOR
طالب دعا
Tahir Ahmad Zaheer
Director oxford N.T.T.College
Jaipur (Rajasthan)
TEACHER TRAINING
OXFORD N.T.T. COLLEGE
(Teacher Training)
(A unit of Oxford Group of Education)
Affialiated by A.I.I.C.C.E. New Delhi 110001
0141-2615111- 7357615111
oxfordnttcollege@gmail.com
Add. Fateh Tiba Adarsh Nagar, Jaipur-04
Reg. No. AllCCE-0289/Raj.

इर्शाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन

"अपनी इबादतों को भी विशेष करें और दुनिया को भी इस्लाम की वास्तविक शिक्षा से अवगत कराएं।"

(ख़ुत्बा जुम्अः 17 मई 2019)

तालिबे दुआ

KHALEEL AHMAD

S/O LATE HAJI BASHEER AHMAD SB AND FAMILY, JAMAAT AHMADIYYA BIJUPURA, SAHARANPUR (U.P)

पर आ पहुंचे और मैं अपने लिए नहीं बल्कि आपकी ख़ातिर फ़िक्रमंद हूँ। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया! لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا कि ग़म न करो अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए उसी वक़्त आपकी दुआ से सुराक़ा का घोड़ा ज़मीन में धँस गया और वह आपकी ख़िदमत में अमान का तालिब हुआ। उस वक़्त आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सुराक़ा के हक़ में यह महान् भविष्यवाणी फ़रमाई कि सुराक़ा उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाऐंगे। और यह भविष्यवाणी भी बड़ी शान से बाद में हुई।

फिर वह शान भी देखें जब आप दुश्मन से सिर्फ एक फुट के फ़ासिला पर थे और निहत्ते थे और दुश्मन तलवार ताने खड़ा था लेकिन कोई ख़ौफ़ नहीं। कैसा ईमान, कैसा यक़ीन और कैसा तवक्कुल है ख़ुदा की ज़ात पर।

(ख़ुत्बा जुमा फ़र्मूदा 15 अगस्त 2003 ई. उद्धारित अल्-इस्लाम वेबसाइट)

ग़रज़ हज़रत-ए-अक़्दस मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की जीवनी का हर पहलू क़ुरआन-ए-क़रीम की शिक्षा का मज़हर है। आपकी ज़िंदगी हर जिहत से मिसाली और काबले तक़लीद है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का वजूद ही अल्लाह तआला की मुहब्बत के हुसूल का माध्यम है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की जीवनी के हुस्न, फ़ज़ीलत और उसके अर्फ़ा मुक़ाम चंद सफ़हात में वर्णन करना कठिन कार्य है। इसलिए आख़िर पर हमद-ओ-दुरूद के साथ इकटेफ़ा करते हुए अपने इस मज़मून को ख़त्म करता हूँ।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَكْثَرَ مِمَّا صَلَّيْتَ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْ اَنْبِيَآئِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

★ ★ ★

पृष्ठ 24 का शेष

कार्य किया जा रहा है तो वह कदापि किसी ऐसी शिक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता जो ख़ुदा तआला के किसी भी नबी ने दी हो। इलाक़ाई और विशव्यापी सतह पर शांति स्थापित करने के लिए यह एक बुनियादी उसूल है। अगर कोई समाज, गिरोह या हुकूमत आज आपके मज़हबी फ़रायज़ की अदायगी में रोक है और कल को हालात आपके हक़ में तबदील हो जाते हैं तो इस्लाम हमें यह शिक्षा देता है कि कभी भी अपने दिल में उनके लिए कोई द्वेष या नफ़रत न रखें। आपको कभी बदले का ख़्याल नहीं आना चाहिए बल्कि आपका फ़र्ज़ अदल-ओ-इन्साफ़ का क़ियाम है।"

(तारीख़ी ख़िताब बर्तानवी पार्लीमैंट के आफ़ कामनज़ तिथि 22 अक्तूबर 2008 ई., उद्धारित पुस्तक आलमी बोहरान और शांति की राह पृष्ठ नंबर : 14)

क़ुरआन शरीफ़ ने विश्वव्यापी शांति के क़ियाम के लिए वेशविक अदल और इन्साफ़ का यह असूल वर्णन फ़रमाया :

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

(अल् हिजरात : 10)

अनुवाद : और अगर मौमिनों में से दो जमाअतें आपस में लड़ पढ़ें तो उनके मध्य सुलह करवाओ। अतः अगर उनमें से एक दूसरी के ख़िलाफ़ सरकशी करे तो जो ज़्यादती कर रही है उससे लड़ो यहां तक कि वह अल्लाह के फ़ैसला की तरफ़ लौट आए। अतः अगर वह लौट आए तो इन दोनों के मध्य अदल से सुलह करवाओ और इन्साफ़ करो। निसन्देह अल्लाह इन्साफ़ करने वालों से मुहब्बत करता है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ इस आयत के बारे में फ़रमाते हैं :

"जबकि यह शिक्षा मुस्लमानों के बारे में है लेकिन इस उसूल को धारण कर के विश्वव्यापी शांति की बुनियाद रखी जा सकती है। आरंभ में ही यह बात वज़ाहत से वर्णन हो चुकी है कि शांति स्थापित करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अदल का क़ियाम है। और असूल अदल की पाबंदी के बावजूद अगर क़ियाम शांति की कोशिशें नाकाम साबित हों तो मिलकर उस फ़रीक़ के ख़िलाफ़ जंग करो जो ज़ुल्म का कर रहा है। यह जंग उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक कि ज़ालिम फ़रीक़ शांति क़ायम करने के लिए तैयार न हो जाए लेकिन जब ज़ालिम अपने ज़ुल्म से बाज़ आजाए तो फिर इंसाफ की मांग है कि इंतेक़ाम के बहाने न तलाश करो। तरह तरह की पाबंदियां मत लगाओ। ज़ालिम पर हर तरह से नज़र रखो लेकिन साथ ही उस के हालात भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। इस बदअमनी को ख़त्म करने के लिए जो आज दुनिया के बाअज़ देशों में मौजूद है और बदकिस्मती से उनमें बाअज़ मुस्लमान देश नुमायां हैं इन कौमो को जिन्हें वीटो का हक़ हासिल है विशेषता इस बात का तजज़िया करना चाहिए कि क्या सही अर्थों में अदल किया जा रहा है? मदद की ज़रूरत पड़ने पर ताकतवर कौमों को ही मदद के लिए पुकारा जाता है।"

(तारीख़ी ख़िताब बर्तानवी पार्लीमैंट के हाउज़ आफ़ कामनज़ मे तिथि 22 अक्तूबर 2008 ई., उद्धारित पुस्तक आलमी बोहरान और शांति की राह पृष्ठ नंबर : 17)

अंतरराष्ट्रीय शांति और इन्साफ़

सय्यदना हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो ने इस अहम बुनियादी उसूल की मज़ीद वज़ाहत करते हुए फ़रमाया :

"इस आयत में अंतरराष्ट्रीय सुलह के क़ियाम के लिए निम्नलिखित सुंदर गुण बताए हैं। सबसे प्रथम जब दो क़ौमों में लड़ाई और फ़साद के निशान हों यानि दूसरी कौमें बजाय एक या दूसरी की तरफ़-दारी करने के इन दोनों को नोटिस दें कि वे क़ौमों की पंचायत से एक झगड़े का फ़ैसला कराएं। अगर वे मंज़ूर कर लें तो झगड़ा मिट जाएगा। लेकिन अगर उनमें से एक न माने और लड़ाई पर तैयार हो जाएगी तो दूसरा क़दम यह उठाया जाए कि बाक़ी सब क़ौमें उसके साथ मिल कर लड़ें। और यह ज़ाहिर है कि सब क़ौमों का मुक़ाबला एक क़ौम नहीं कर सकती। ज़रूर है कि जल्द उसको होश आ जाए और वह सुलह पर आमादा हो जाएगी। अतः जब वह सुलह के लिए तैयार होतो तीसरा क़दम यह उठाएं कि इन दोनों क़ौमों में जिनके झगड़े की वजह से जंग शुरू हुई थी सुलह करा दें। अर्थात उस वक़्त अपने आपको फ़रीक़े मुख़ालिफ़ बना कर ख़ुद इस से मुआहिदात करने न बैठें बल्कि अपने मुआहिदात तो जो पहले थे वही रहने दें। केवल उसी पहले झगड़े का फ़ैसला करें जिसके कारण से जंग हुई थी। इस जंग की वजह से नए मुतालिबात क़ायम करके हमेशा की फ़साद की बुनियाद न डालें। चौथे यह बात समक्ष रखें कि मुआहिदा इन्साफ़ पर मबनी हो यह न हो कि चूँकि एक फ़रीक़ मुख़ालिफ़त कर चुका है इसलिए उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कर दो बल्कि बावजूद जंग के अपने आप को सुलह करने वालों की ही सफ़ में रखो फ़रीक़ मुख़ालिफ़ न बन जाओ।"

(अहमदीयत अर्थात हक़ीक़ी इस्लाम, अनवारूल उलूम, भाग 8 पृष्ठ 314)

★ ★ ★

क़ुरआन-ए-क़रीम की ग़ैर मुस्लिमों से सहिष्णुता और हुस्न-ए-सुलूक की शिक्षाएं

(सलीक अहमद नायक, मुरब्बी सिल्सिला, नज़ारत उलिया कादियान)

अल्लाह तआला ने निहायत ही वाजज़ेह शब्दों में आज़ादी-ए-ज़मीर और मज़हबी आज़ादी का ऐलान फ़रमाया और इस ऐलान के माध्यम रहती दुनिया तक रवादारी की वह मिसाल क़ायम की जिसके बाद किसी भी किस्म के शक-ओ-शुबा की गुंजाइश बाक़ी नहीं रही। अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-क़रीम में फ़रमाता है :

لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (अल् फ़ुरकान : 7) तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। तथा फ़रमाया لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (अल् बक़रः : 257)

कि धर्म तुम्हारे दिल का मुआमला है, इस ताल्लुक़ से कोई जबर नहीं।

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादयानी मसीह मौऊद और मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं : मज़हबी उमूर में आज़ादी होनी चाहिए। अल्लाह तआला फ़रमाता है لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ धर्म में किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं है। इस किस्म का फ़िक़रा इंजील में कहीं भी नहीं है। लड़ाईयों की वास्तविक जड़ क्या थी ? उसके समझने में इन लोगों से ग़लती हुई है। अगर लड़ाई का ही हुक्म था तो तेराह वर्ष रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के तो फिर ज़ाए हो गए कि आपने आते ही तलवार न उठाई, सिर्फ़ लड़ने वालों के साथ लड़ाईयों का हुक्म है। इस्लाम का यह उसूल कभी नहीं हुआ कि ख़ुद इब्तदा-ए-जंग करें। लड़ाई का क्या सबब था उसे ख़ुद ख़ुदा ने बतलाया है कि اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا। ख़ुदा ने जब देखा कि ये लोग मज़लूम हैं तो अब इजाज़त देता है कि तुम भी लड़ो यह नहीं हुक्म दिया कि अब वक़्त तलवार का है तुम ज़बरदस्ती तलवार के माध्यम लोगों को मुस्लमान करो बल्कि यह कहा कि तुम मज़लूम हो , अब मुक़ाबला करो मज़लूमो को तो प्रत्येक क़ानून आज्ञा देता है कि हिफ़्ज़ जान के लिए मुकाबला करो।

(अल् बदर, भाग 2, नंबर 1 तिथि 23 और 30 जनवरी 1903 पृष्ठ 3)

इसलिए जब हम तारीख़ का अध्ययन करते हैं तो मालूम होताहै कि यह महिज़ क़ुरआन-ए-क्रीम का लफ़्ज़ी ऐलान ही नहीं था और इस्लाम ने सिर्फ शिक्षा ही नहीं पेश की बल्कि अमलन उसको हुकूमतों के लिए दाइमी दस्तूर के तौर पर शामिल किया गया। चाहे इस्लामी हुकूमतों के तहत ग़ैर मुस्लिम अक़ल्लीयतें हों या मग़लूब ग़ैर मुस्लिम, उन सबकी इज़्ज़त-ओ-आबरू की ज़मानत और उनके जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी क़रार दी गई है।

इस्लामी रियासत के समस्त बाशिंदे ख़ाह वह किसी भी धर्म के अनुयाई हों, बिलातफ़रीक अक़ीदा अपने मज़हबी मामलों में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और उन के मज़हबी मामलों के बारे में उन पर किसी किस्म का कोई जबर नहीं।

फिर मज़हबी मामलों में समस्त बाशिंदों को बग़ैर किसी मज़हब-ओ-मिल्लत की तफ़रीक़ के मुकम्मल आज़ादी फ़राहम की गई

अल्लाह तआला ने क़ुरआन-ए-क़रीम में एक और स्थान पर फ़रमाया :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

(अल् कहफ़ : 30)

और कह दे कि हक़ वही है जो तुम्हारे रब कि तरफ़ से हो अतः जो चाहे वह ईमान ले आए और जो चाहे सौ इंकार कर दे

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह तआला फ़रमाते हैं :

मज़हबी आज़ादी के बारे में इस वक़्त में सिर्फ दो आयात की तशरीह करूँगा। पहली तो सूरः कहफ़ की आयत है जिसके बारे में में मुख़्तसर बता चुका हूँ। अब मैं दूसरी आयत को लेता हूँ और दो सूरः यूनुस की ये है :

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ

(यूनुस : 109)

हे रसूल लोगों से कह दो कि तुम्हारे रब की तरफ़ से एक कामिल सदाक़त नाज़िल हो गई है। चूँकि पहले मुख़ातब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ही हैं और फिर आपके मुतबईन हैं, क़ुरआन-ए-क़रीम की हिदायत चूँकि क़ियामत तक है इसलिए यह हुक्म आपकी वसातत से आपके मुतबईन और फिर सब इन्सानों को क़ियामत तक के लिए मिला है।

फ़रमाया : قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ तुम्हारे रब की तरफ़ से एक कामिल सदाक़त नाज़िल हो गई है। فَمَنِ اهْتَدٰى अब जो शख़्स अपनी मर्ज़ी से उसकी बताई हुई हिदायत को धारण करता है فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ तो वह अपनी जान के फ़ायदा ही के लिए हिदायत को धारण करता है। मानो इन्सान को इस बात की आज़ादी है कि मर्ज़ी हो तो हिदायत को धारण करले और अगर वह धारण न करना चाहे तो इस पर ख़ुदा और उसके रसूल की तरफ़ से कोई जबर नहीं जबकि وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا जो शख़्स इस राह से भटक जाए तो उसके भटकने का वबाल उसी की जान पर है इसलिए हर इन्सान का यह फ़र्ज़ है कि वह ख़ूब सोच ले और फिर कोई फ़ैसला करे। उद्देश्य ख़ुदा तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ज़बान से यह ऐलान कर दिया कि हे लोगो तुम्हें मज़हबी तौर पर आज़ादी है। तुमने अपना फ़ैसला ख़ुद करना है कि हिदायत की राह पर चलना है या गुमराही को धारण करनी है। मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा वकील नहीं हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं।

(तफ़सीर हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अल् सालिस, पृष्ठ : 440)

फिर क़ुरआन-ए-क़रीम में अल्लाह तआला आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को मुख़ातब करके समस्त मुस्लमानों को मुतनब्बा किया है कि :

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

(यूनुस : 100)

और अगर तेरा रब चाहता तो जो भी ज़मीन में बस्ते हैं इकट्ठे सब के सब ईमान ले आते तो क्या तू लोगों को मजबूर कर सकता है यहाँ तक कि वे ईमान लाने वाले हो जाएं।

अतः क़ुरआन-ए-क़रीम ने मज़हबी जबर-ओ-इकराह और मज़हबी अत्याचार का पूर्णतः इंकार फ़रमाया और मज़हबी आज़ादी-ओ-रवादारी और हुर्रियत-ए-ज़मीर का इल्म बुलंद फ़रमाया और अपने नमूना से यह साबित किया कि हर शख़्स अपने दीन-ओ-मज़हब के मुआमला में मुकम्मल आज़ाद है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इस्लामी शरीयत के अनुसार ज़ुल्म-ओ-ज़्यादती के बदला में क्षमा को तर्जीह देने और अदल-ओ-इन्साफ़ के क़ियाम में दुश्मनी बार-ए-ख़ातिर में न लाने की शिक्षा फ़रमाई :

क़ुरआन-ए-क़रीम मज़हबी हुर्रियत और आज़ादी ज़मीर की वाशिगाफ़ अलफ़ाज़ में हिदायत फ़रमाता है और दूसरी तरफ़ हर किस्म के मज़हबी तशद्दुद और जब्रो इकराह और इस्तिबदाद को नापसंद करते हुए और नफ़ी का इज़हार करता है,जिसका व्यवहारिक रंग में हमारे सय्यद-ओ-मौला हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सबूत दिया और शरीयत इस्लामीया की शिक्षा के अनुसार हर वक़त ज़ुल्म-ओ-इकरार का जवाब क्षमा और दर गुज़र देते हुए उच्च उदाहरण क़ायम फ़रमाईं।

क़ुरआन-ए-क़रीम बार बार ज़ुल्म-ओ-ज़्यादती से इजतेनाब की नसीहत करता है। अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-क़रीम में फ़रमाता है।

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۚ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

(सूरः अल्मायदा : 3)

और तुम्हें किसी क़ौम की दुश्मनी इस वजह से कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद-ए-हराम से रोका था इस बात पर आमादा न करे कि तुम ज़्यादती करो। और नेकी और तक़्वा में एक दूसरे से तआवुन करो और गुनाह और ज़्यादती (के कामों) में तआवुन न करो। और अल्लाह से डरो। निसन्देह अल्लाह सज़ा देने में बहुत सख़्त है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल फ़रमाते हैं :

"अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-क़रीम में हुक्म देता है कि दुनिया की सलामती का दरों-मदार इन्साफ़ पर है और इन्साफ़ का मयार तुम्हारा कितना बुलंद हो इस बारे में अल्लाह फ़रमाता है :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

(सूरः अल् मायदा : 9)

कि हे वे लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की ख़ातिर मज़बूती से निगरानी करते हुए इन्साफ़ की ताईद में गवाह बन जाओ और किसी क़ौम की दुश्मनी तुम्हें कदापि इस बात पर आमादा न करे कि तुम इन्साफ़ न करो। इन्साफ़ करो यह तक़्वा के सबसे ज़्यादा क़रीब है। और अल्लाह से डरो निसन्देह अल्लाह इस से हमेशा बा-ख़बर रहता है जो तुम करते हो।"

(पोप के इस्लाम पर एतराज़ात का जवाब, पृष्ठ 47 संस्करण 2008 ई.)

क़ुरआन-ए-क़रीम ने अमन-ओ-सलामती और रवादारी की शिक्षा की ताकीद इस हद तक की है कि अल्लाह ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के माध्यम मुशरिकों को शांति से रहने का हक़ भी दिया। फ़रमाया

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ

(सूरः तौबा : 6)

और मुशरिकों में से अगर कोई तुझसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे यहां तक कि वह कलाम-ए-इलाही सुन ले फिर उसे उसकी महफ़ूज़ जगह तक पहुंचा दे। यह (रियाइत) इसलिए है कि वह एक ऐसी क़ौम हैं जो इल्म नहीं रखते।

यह भी मज़हबी रवादारी की ही वजह है कि क़ुरआन-ए-मजीद ने ग़ैर मज़ाहिब के लोगों में मौजूद ख़ूबियों को तस्लीम करते हुए फ़रमाया :

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

(सूरः आले इमरान : 76)

और अहल-ए-किताब में से वह भी है कि अगर तू ढेरों ढेर अमानत भी इस के पास रखवा दे तो वह ज़रूर तुझे वापस कर देगा। और उन में ऐसा भी है कि अगर तू उस को एक दीनार भी दे तो वह उसे तुझे वापस नहीं करेगा सिवाए उसके कि तू उस पर निगरान खड़ा रहे। यह इस वजह से है कि वे कहते हैं कि हम पर अनपढ़ के बारे में कोई (इल्ज़ाम की) राह नहीं। और वे अल्लाह पर झूठ बाँधते हैं जबकि वे (इस बात को) जानते हैं।

इसलिए हज़रत अस्मा बिंत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हो की (मुशरिक)वालिदा उदास हो कर उन्हें मिलने मदीना आएं। अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से पूछा कि क्या मुझे उनकी ख़िदमत करने और उनसे हुस्न-ए-सुलूक की इजाज़त है? आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया हाँ वह तुम्हारी माँ है। इब्ने एनिया कहते हैं इसी बारे में यह आयत है कि अल्लाह तआला तुमको उन लोगों से नहीं रोकता जिन्हों ने तुमसे दीन के बारे में जंग नहीं की। (बुख़ारी, किताबुल अदब, उद्धारित उस्वा इन्सान-ए-कामिल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम अज़ हाफ़िज़ मुज़फ्फ़र अहमद, पृष्ठ : 505)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मज़हबी रवादारी का कमाल मुज़ाहरा करते हुए मुस्लिम ग़ैर मुस्लिम की तफ़रीक़ को मिटा दिया बल्कि मुस्लमानों की निसबत ग़ैर मुस्लिमों से ज़्यादा नरमी का बरताव किया। इसलिए मुस्लमानों के ज़कात और अश्र के बजाय ग़ैर मुस्लिमों पर सिर्फ जिज़्या का मामूली टैक्स आयद फ़रमाया। इसी तरह ग़ुलामों की आज़ादी की शिक्षा देकर उसका व्यवहारिक मुज़ाहरा ग़ज़व-ए-हुनैन के अवसर पर हज़ारों ग़ैर मुस्लिम ग़ुलामों को आज़ाद कर दिखाया।

क़ुरआन-ए-क़रीम ने अहल-ए-किताब में से एक वर्ग की ख़ूबियों का वर्णन करते हुए मज़हबी रवादारी की बुनियादें इस तरह फ़रमाई कि :

لَيْسُوْا سَوَآءً ۚ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ

(सूरः आले इमरान : 114)

वे सब एक जैसे नहीं। अहल-ए-किताब में से एक जमाअत (अपने मसलक पर) क़ायम है। वे रात के औक़ात में अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं और वे सज्दे कर रहे होते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की मज़हबी रवादारी की एक और उच्च मिसाल मीसाक़-ए-मदीना है। मदीना तशरीफ़ आवरी पर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यहूद मदीना के साथ मुआहिदा-ए-अमन क़ायम किया जिसकी दृष्टि से मुस्लमान और यहूदी एक क़ौम क़रार दिए गए। और यहूद को मदीना में मुकम्मल मज़हबी आज़ादी दी और उनके फ़ैसले उनकी शरीयत के अनुसार ही आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यहूद के शैक्षणिक इदारा बैतुल-मदारिस में तशरीफ़ ले जा कर ख़िताब भी फ़रमाया। इसी तरह यहूद मदीना मस्जिद नब्वी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम में सवालात करके आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के जवाबात पाया करते थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम यहूदियों की दावत तआम को भी क़बूल फ़रमाया करते थे। इसलिए एक दफ़ा एक यहूदी की मामूली दावत क़बूल फ़रमाई जिस में उसने जो और चर्बी पेश किए। (तबक़ातुल कुबरा साद,भाग 1 पृष्ठ 407-370 उद्धारित उस्वा इन्सान-ए-कामिल)

फिर क़ुरआन-ए-क़रीम ने विभिन्न मज़ाहिब के बानीयों की इज़्ज़त-ओ-तकरीम और एहतेराम करने तथा दूसरे मज़ाहिब की सम्मान के योग्य हस्तियों की तहक़ीर से परहेज़ करने और बुरा-भला न कहने की नसीहत फ़रमाई। इसलिए क़ुरआन फ़रमाता है :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۭ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۠ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(अल् इनाम : 109)

और तुम उनको गालियां न दो जिनको वे अल्लाह के सिवा पुकारते हैं अन्यथा वह दुश्मनी करते हुए बग़ैर इल्म के अल्लाह को गालियां देंगे। इसी तरह हम ने हर क़ौम को उनके काम ख़ूबसूरत बना कर दिखाए हैं। फिर उनके रब की तरफ़ उनको लौट कर जाना है। तब वह उन्हें इस से आगाह करेगा जो वह किया करते थे।

हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम मज़हबी रवादारी की व्यवहारिक मिसाल थे और आप ने हमेशा

मज़हबी रवादारी को मद्द-ए-नज़र रखा। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि दो आदमी आपस में गाली ग्लोच करने लगे। एक मुस्लमान था और दूसरा यहूदी। मुस्लमान ने कहा उस ज़ात क़सम! जिसने मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को समस्त जहानों पर मुंतख़ब करके फ़ज़ीलत प्रदान की। उस पर यहूदी ने कहा उस ज़ात की क़सम जिसने मूसा को समस्त जहानों पर फ़ज़ीलत दी है और चुन लिया। उस पर मुस्लमान ने हाथ उठाया और यहूदी को थप्पड़ मार दिया। यहूदी शिकायत लेकर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ जिस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुस्लमान से तफ़सील पूछी और फ़रमाया : لَا تُخَيِّرُوْنِيْ عَلٰى مُوْسٰى कि मुझे मूसा पर फ़ज़ीलत न दो।

(बुख़ारी,किताब الخصومات،باب ما یذکر فی الاشخاص والخصومة بین المسلم والیهود)

हमारे प्यारे इमाम सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल मज़कूरा बाला रिवायत वर्णन करके फ़रमाते हैं कि "यह था आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का मयार आज़ादी, आज़ादी धर्म और ज़मीर, कि अपनी हुकूमत है, मदीना हिज्रत के बाद आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मदीना के क़बायल और यहूदियों से अमन-ओ-अमान की फ़िज़ा क़ायम रखने के लिए एक मुआहिदा किया था जिसकी दृष्टि से मुस्लमानों की अधिकता होने की वजह से या मुस्लमानों के साथ जो लोग मिल गए थे, वे मुस्लमान नहीं भी हुए थे उनकी वजह से हुकूमत आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के हाथ में थी। लेकिन इस हुकूमत का यह अर्थ नहीं था कि दूसरी प्रजा, प्रजा के दूसरे लोगों के, उनके जज़बात का ख़्याल न रखा जाए। क़ुरआन-ए-क़रीम की इस गवाही के बावजूद कि आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम समस्त रसूलों से अफ़ज़ल हैं, आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह गवारा न किया कि नबियों के मुक़ाबला की वजह से फ़िज़ा को मुकद्दर किया जाए। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उस यहूदी की बात सुनकर मुस्लमान की ही सरज़निश की कि तुम लोग अपनी लड़ाईयों में निबियों को न लाया करो। ठीक है तुम्हारे नज़दीक मैं समस्त रसूलों से अफ़ज़ल हूँ। अल्लाह तआला भी इस की गवाही दे रहा है लेकिन हमारी हुकूमत में एक शख़्स की दिला ज़ारी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि उस के नबी को किसी ने कुछ कहा है। इस की मैं इजाज़त नहीं दे सकता। मेरा सम्मान करने के लिए तुम्हें दूसरे अनबया का भी सम्मान करना होगा।

तो ये थे आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के इन्साफ़ और आज़ादी इज़हार के मयार जो अपनों ग़ैरों सब का ख़्याल रखने के लिए आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने क़ायम फ़रमाए थे। बल्कि बाज़-औक़ात ग़ैरों के जज़बात का ज़्यादा ख़्याल रखा जाता था।"

(ख़ुत्बा जुमा फ़र्मूदा 10 मार्च 2006 ई., प्रकाशन अल्फ़ज़ल इंटरनैशनल 31 मार्च 2006 ई., पृष्ठ 7)

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है :

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

(अल् मुताहेना : 9)

अल्लाह तुम्हें उनसे मना नहीं करता जिन्हों ने तुमसे दीन के मुआमला में क़िताल नहीं किया और न तुम्हें बेवतन किया कि तुम उन से नेकी करो और उन से इन्साफ़ के साथ पेश आओ। निसन्देह अल्लाह इन्साफ़ करने वालों से मुहब्बत करता है।

इस्लाम ने दुश्मनों की तरफ़ से की जाने वाली ज़्यादतियों पर भी क़ियाम शांति की ख़ातिर बदी के बराबर बदला लेने की इजाज़त दी है और फ़रमाया है कि अगर तुम क्षमा और दरगज़र से काम लो तो अल्लाह तआला के नज़दीक तुम्हारा यह कर्म ज़्यादा पसंदीदा क़रार पाएगा। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ

(अल् शूरा : 41)

और बदी का बदला, की जाने वाली बदी के बराबर होता है। अतः जो कोई माफ़ करे बशर्ति कि वह इस्लाह करने वाला हो तो इसका अज्र अल्लाह पर है। निसन्देह वह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता।

अल्लाह तआला का इरशाद-ए-मुबारक है :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۭ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

(अल् हुजरात : 14)

हे लोगो निसन्देह हमने तुम्हें नर और मादा से पैदा किया और तुम्हें क़ौमों और क़बीलों में तक़सीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा सम्मानित वह है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। निसन्देह अल्लाह दाइमी इल्म रखने वाला (और) हमेशा बाख़बर है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह ऐलान फ़रमाया कि :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ لَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى

(मसनद अहमद बिन हनबल, भाग 5 पृष्ठ 411 लेखक अब्दुल्लाह वाहेद हन्बल, नाशिर दारुल फिकर बेरूत रिवायत : 23536)

हे लोगो तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ज़ीलत नहीं। और किसी काले को किसी सुर्ख़ पर और किसी सुर्ख़ को किसी काले पर कोई फ़ज़ीलत नहीं है सिवाए तक़्वा के

इस ज़िमन में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल फ़रमाते हैं :

"आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने अपने आख़िरी ख़ुत्बा में समस्त मुस्लमानों को हुक्म दिया कि वे हमेशा याद रखें कि किसी अरबी को ग़ैर अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। न ही किसी ग़ैर अरबी को अरबी पर कोई बड़ाई है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने सिखाया कि किसी गोरे को काले पर कोई फ़ज़ीलत नहीं है न ही किसी काले को गोरे पर कोई फ़ज़ीलत है। इसलिए इस्लाम की यह वाज़िह शिक्षा है कि समस्त क़ौमों और नसलों के लोग बराबर हैं। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह भी वाज़िह फ़रमाया कि सब लोगों को बिना भेदभाव और बिना द्वेष यकसाँ हुक़ूक़ मिलने चाहिऐं। यह वह बुनियादी और सुनहरी उसूल है जो विशव्यापी शांति और हम-आहंगी की बुनियाद रखता है।"

(आलमी बोहरान और शांति की राह, पृष्ठ : 75)

यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की मजालिस में हाज़िर होते तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम आन से हुस्न मुआमला फ़रमाते थे। इसलिए किसी यहूदी को हज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की मज्लिस में छींक आ जाती तो आप

सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से यह दुआ देते कि अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल अच्छा दे।

(अल् ख़सायस अल् कुबरा लिल सियूती भाग 2, पृष्ठ 167 प्रकाशन बेरूत उद्धारित उस्वा इन्सान-ए-कामिल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम)

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम यहूदियों में से किसी के बीमार होने की इत्तिला मिलती तो उसकी तीमारदारी के लिए जाते। इसलिए आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मदीना में एक यहूदी घरेलू ख़ादिम की बीमारी में उस के घर ख़ुद तशरीफ़ ले जाकर फ़रमाए।

(मस्नद अहमद बिन हन्बल, भाग 3 पृष्ठ 175)

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ग़ैर मज़ाहिब के मरहूमीन का भी एहतेराम फ़रमाते इसी तरह आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इन्सानी इक़दार व शरफ़ को क़ायम फ़रमाया। हज़रत अब्दुर्राहमान बिन अबी लैला वर्णन करते हैं कि सहल बिन हनीफ़ और क़ैस बिन साद क़ादसिया के मुक़ाम पर बैठे हुए थे कि उनके पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो वे दोनों खड़े हो गए। जब उनको बताया गया कि ये जिम्मीयों में से है तो दोनों ने कहा कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाज़ा गुज़रा तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम सम्मान में खड़े हो गए आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को बताया गया कि यह तो एक यहूदी का जनाज़ा है। इस पर रसूले करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि اَلَيْسَتْ نَفْسًا क्या वह इन्सान नहीं है? (बुख़ारी, किताबुल् जनायज़, बाब मन काम जनाज़ा यहूदी)

हमारे प्यारे इमाम सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने अपने ख़ुत्बा जुमा वर्णन फ़र्मूदा 10 मार्च 2006 में ऊपर वर्णित घटना का वर्णन करने के बाद फ़रमाया :

“अतः यह सम्मान है दूसरे धर्म का भी और इन्सानियत का भी। ये इज़हार और यह उदाहरण हैं जिनसे मज़हबी रवादारी की फ़िज़ा पैदा होती है। यह इज़हार ही हैं जिनसे एक दूसरे के लिए नरम जज़बात पैदा होते हैं और ये जज़बात ही हैं जिनसे प्यार, मुहब्बत और शांति की फ़िज़ा पैदा होती है न कि आजकल के दुनिया-दारों के कर्म की तरह कि सिवाए नफ़रतों की फ़िज़ा पैदा करने के और कुछ नहीं।”

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

“अतः जब कि अहल-ए-किताब और मुशरेकीन अरब निहायत दर्जा बद-चलन हो चुके थे और बदी करके समझते थे कि हमने नेकी का काम किया है और जराय म से बाज़ नहीं आते थे और शांति में ख़लल डालते थे तो ख़ुदा तआला ने अपने नबी के हाथ में हुकूमत देकर उन के हाथ से ग़रीबों को बचाना चाहा और चूँकि अरब का मुलक मुतलक़ उल-अनान था और वो लोग किसी बादशाह की हुकूमत का शासन के मातहत नहीं थे इसलिए प्रत्येक फ़िर्क़ा निहायत बे क़ैदी और दिलेरी से ज़िंदगी बसर करता था और चूँकि उन के लिए कोई सज़ा का क़ानून नहीं था इसलिए वे लोग रोज़ बरोज़ जरायम में बढ़ते जाते थे अतः ख़ुदा ने इस मुल्क पर रहम करके आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को इस देश के लिए न केवल रसूल करके भेजा बल्कि इस मुल्क का बादशाह भी बना दिया और क़ुरआन शरीफ़ को एक ऐसे क़ानून की तरह मुकम्मल किया जिसमें दीवानी, फ़ौजदारी, माली सब हिदायतें हैं अतः आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम बहैसीयत एक बादशाह होने के समस्त फ़िर्क़ों के हाकिम थे और प्रत्येक धर्म के लोग अपने मुक़द्दमात आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से फ़ैसला कराते थे। क़ुरआन शरीफ़ से साबित है कि एक दफ़ा एक मुस्लमान और एक यहूदी का आँजनाब की अदालत में मुक़द्दमा आया तो आँजनाब ने तहक़ीक़ात के बाद यहूदी को सच्चा किया और मुस्लमान पर उस के दावे की डिग्री की। अतः बाअज़ नादान मुख़ालिफ़ जो ग़ौर से क़ुरआन शरीफ़ नहीं पढ़ते वह प्रत्येक मुक़ाम को आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की रिसालत के नीचे ले आते हैं हालाँकि ऐसी सज़ाएं ख़िलाफ़त अर्थात बादशाहत की हैसियत से दी थीं।

बनी इस्राईल में हज़रत-ए-मूसा के बाद नबी जुदा होते थे और बादशाह जुदा होते थे जो उमूर सियासत के माध्यम से शांति क़ायम रखते थे परंतु आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के वक़्त में ये दोनों ओहदे ख़ुदा तआला ने आँजनाब ही को प्रदान किए और जरायम पेशा लोगों को अलग अलग करके बाक़ी लोगों के साथ जो बरताव था वह आयत निम्नलिखित से ज़ाहिर होता है और वह यह है

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ

(अल् भाग नंबर 3 सूरः आल-ए-इमरान : 21)

अनुवाद और हे पैग़ंबर अहल-ए-किताब और अरब के जाहिलों को कह कि क्या तुम दीन इस्लाम में दाख़िल होते हो। अतः अगर इस्लाम क़बूल करलें तो हिदायत पा गए और अगर मुँह मोड़ें तो तुम्हारा तो सिर्फ यही काम है कि हुक्म इलाही पहुंचा दो। इस आयत में यह नहीं लिखा कि तुम्हारा यह भी काम है कि तुम उन से जंग करो। इस से ज़ाहिर है कि जंग सिर्फ़ जराइमपेशा लोगों के लिए था कि मुस्लमानों को क़तल करते थे शांति में ख़लल डालते थे और चोरी डाका में मशग़ूल रहते थे और यह जंग बहैसियत बादशाह होने के थाना बहैसियत रिसालत। जैसा कि

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

(सूरः अल् बक़रः : 191)

तुम ख़ुदा के राह में इन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं। अर्थात दूसरों से कुछ ग़रज़ न रखो और ज़्यादती मत करो। ख़ुदा ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता।”

(चशमा-ए-मार्फ़त, रुहानी ख़ज़ायन, भाग 23 पृष्ठ 243-242)

ख़ुलासा कलाम यह कि क़ुरआन-ए-क़रीम ने मज़हबी रवादारी की शिक्षा और उसूल वर्णन फ़रमाए वह दुनिया में क़ियाम शांति के लिए काफ़ी और मुकम्मल हैं। इलावा अज़ीं शिक्षा क़ुरआन को व्यवहारिक तौर पर सय्यदना-ओ-मौलाना हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जो जामा पहनाया और रवादारी और हुस्न-ए-सुलूक की इमतेयाज़ी और उच्च उदाहरण क़ायम कीं वह भी तारीख़-ए-आलम का अनमोल ख़ज़ाना है जो रहती दुनिया तक इन्सानियत के लिए आफ़ियत का गहवारा है।

अल्लाह तआला हमें क़ुरआन-ए-क़रीम की ऊपर वर्णित शिक्षा पर अहसन रंग में कर्म करते हुए इस पृथ्वी को जन्नत नुमा बनाने की तौफ़ीक़ प्रदान फ़रमाए। आमीन।

★ ★ ★

क़ुरआन-ए-मजीद में विश्व शांति की शिक्षा
(विशेषतः न्याय की शिक्षा)

(जावेद अहमद लोन, नाज़िर दीवान कादियान)

प्रिय पाठकों हम जानते हैं कि किसी भी समाज में दुनियावी प्रगति और अख़लाक़ी इक़दार की मज़बूती की निर्भरता वास्तविक शांति के क़ियाम पर आधारित होता है। शांति क़ायम होगा तो लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी क़ायम रहेगा और वे समदृष्टि के साथ हर मैदान में प्रतियोगिता का प्रदर्शन कर सकेंगे। शांति का क़ियाम होगा तो करोबार और व्यापार का पहिया बाआसानी चल पाएगा। खोज की नई राहें भी क़ायम-ए-अमन से ही जुड़ी हैं। नई नसल की इल्मी प्रगति की बुनियाद भी शांति प्रिय समाज ही प्रदान कर सकती हैं। बदअमनी के समर्थक समाज न केवल आर्थिक, सामाजिक और नैतिक तौर पर तबाह-हाल हो जाते हैं बल्कि परिणामस्वरूप रुहानी गिरावट में भी अपनी मिसाल आप ठहरते हैं। अतः यह किस क़दर ज़रूरी है कि अपने माहौल में हर स्तर पर उपद्रव को बढ़ावा देने और व्यस्तवि शांति के क़ियाम के लिए हर संभव कोशिशें की जाएं।

दुनिया आज जिस अदल और इनसाफ़ की मुतलाशी है वे कैसे नसीब हो सकता है? यह एक अहम और मुश्किल प्रश्न है जिसका सादा जवाब यह है कि जिस तरह किसी भूखे की भूख केवल रोटी या खाने की रट लगाने से नहीं मिट सकती इसी तरह केवल इन्साफ़ के खोखले नारों या आलमी अदालत-ए-इन्साफ़ का इदारा बना देने से अदल क़ायम नहीं हो सकता। जब तक कि बिना भेद भाव के अदल और इसाफ़ पर आधारित क़वानीन और उन पर अमल-दरआमद के यक़ीनी ज़ाबतों के नतीजे में विशव्यापी इन्साफ का क़ियाम संभव है, जिसके शानदार उदाहरण आज से चौदह सौ वर्ष पूर्व इस्लाम के संस्थापक आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने दुनिया को दिखाए।

इलाही तक़दीर के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की आमद सरज़मीन अरब में हुई जहां हर किस्म की बेऐतदाली और ज़ुल्म और अत्याचार का दौरदौरा था। आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने ज़ुल्म-ओ-सितम से परिपूर्ण इस अरब द्वीप को अदल और इंसाफ का केंद्र बनाकर दुनिया के सामने इस्लामी रियासत का एक ख़ूबसूरत मॉडल पेश किया। जिसमें एक तरफ़ मज़लूम औरत को ज़ुल्म से रिहाई दिलवाई तो दूसरी मज़लूम ग़ुलामों को उनके हक़ दिलवाए। इन्साफ़ का आरंभ घर की इबतेदाई श्रेणी से किया जिसके बाद मुहल्ला, शहर, मुल्क और विशव्यापी स्तर पर इन्साफ़ क़ायम कर के दिखाया। घरेलू स्तर पर आप ने माता पिता, औलाद, रिश्तेदारों, बच्चों, औरतों, बूढ़ों और पड़ोसियों के हक़ क़ायम फ़रमाए तो समाज में रंग और नस्ल और धर्म की तमीज़ व तफ़रीक़ दूर करके समाजी, व्यवसाई और धार्मिक हर पहलू से अदल और इंसाफ क़ायम करके दिखा दिया। इन्साफ़ के इस मार्गदर्शक ने यह ऐलान किया कि اُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ (अल् शोरा : 16) (हे दुनिया के लोगो!) मैं तुम्हारे मध्य अदल क़ायम करने के लिए भेजा गया हूँ।

विशव्यापी शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक हुक्म अल्लाह तआला ने यह दिया कि اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (अल् नहल : 91) निसन्देह अल्लाह अदल का और उपकार का और परिजनों पर की जाने वाले अनुदान के समान अनुदान करने का हुक्म देता है और बे-हयाई और नापसंदीदा बातों और बग़ावत से मना करता है। वह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम सबक हासिल करो।

अतः इस्लाम एक ऐसा धर्म है, जिसको अल्लाह ने समस्त पृथ्वी पर बसने वाली सभी मख़लूक़ के साथ अदल और इंसाफ के लिए भेजा है, अल्लाह तआला ने क़ुरआन-ए-मजीद में समाजी, व्यवसाई और धार्मिक हर पहलू से और हर स्तर पर क़ियाम-ए- अदल के उसूल क़ायम फ़रमाए हैं।

पहला उसूल इन्सान की बुनियादी हुक़ूक़ से संबंध रखता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है।

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

(अल् मायदा : 33)

अनुवाद : जिसने भी किसी ऐसे नफ़्स को क़तल किया जिसने किसी दूसरे की जान न ली हो या ज़मीन में फ़साद न फैलाया हो तो मानो उसने समस्त इन्सानों को क़तल कर दिया। और जिसने उसे ज़िंदा रखा तो मानो उसने समस्त इन्सानों को ज़िंदा कर दिया।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ इस आयत की रोशनी में फ़रमाते हैं :

"अतः दुनिया में क़ियाम शांति के लिए यह ज़रूरी है कि हर स्तर पर और दुनिया के हर मुल्क में इन्साफ़ के दरुस्त मयार क़ायम किए जाएं। क़ुरआन-ए-क़रीम ने एक मासूम जान के क़तल को समस्त इन्सानियत के क़तल के बराबर बताया गया है। अतः एक मर्तबा फिर मुस्लमान होने के नाते मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस्लाम किसी भी नौ, शक्ल या तरीक़ से किए जाने वाले ज़ुल्म और ज़्यादती की कदापि इजाज़त नहीं देता। इस्लाम का यह हुक्म बिल्कुल अटल है और इस में कोई परिवर्तन नहीं। क़ुरआन-ए-क़रीम इस बारे में मज़ीद फ़रमाता है कि कोई मुल्क या क़ौम जो तुमसे दुश्मनी करता है उनसे भी मुआमला करते वक़्त पूर्ण इन्साफ़ और अदल के तक़ाज़ों को समक्ष रखो। ऐसा न हो कि उनमें दुश्मनी और करीब होने की वजह से उनसे बदला लेने के लिए आप बे-एतेदालियों की तरफ़ चले जाएं। एक और बहुत अहम हिदायत जो क़ुरआन-ए-क़रीम ने हमें दी है यह है कि दूसरों की दौलत और माध्यम की तरफ़ हसद और ललचाई हुई नज़रों से मत देखो। मैंने सिर्फ़ कुछ एक उसूल आपके सामने पेश किए हैं लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह समाज में और बाक़ी दुनिया में शांति और इन्साफ़ के क़ियाम की बुनियाद प्रदान करते हैं। मेरी दुआ है कि दुनिया उन अहम मामलों की तरफ़ ध्यान दे ताकि हम इस तबाही से बच जाएं जिस तबाही की तरफ़ ज़ालिम और झूठे लोग हमें ले जा रहे हैं।"

(ख़िताब नौवां सालाना शांति कानफ़रस लंदन तिथि 24 मार्च 2012 ई., उद्धारित पुस्तक आलमी बोहरान और शांति की राह पृष्ठ नंबर : 49)

इसी तरह अल्लाह तआला फ़रमाता है कि हर इन्सान के बुनियादी हुक़ूक़ खाना, पीना, लिबास और घर उसे प्रदान किए जाएं। इसलिए फ़रमाता है :

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۝ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ۝

(ताहा 119 से 120)

अनुवाद : तेरे लिए निश्चित है कि न तू इस में भूखा रहे और न नंगा। और यह (भी) कि न तू इस में प्यासा रहे और न धूप में जले।

समाजी के अदल का बुनियादी तक़ाज़ा ख़ानदानी यूनिट में अदल का क़ियाम है। माता पिता के उपकारात के समक्ष ओलादा उन से नरमी और प्रेम और उपकार के सुलूक के साथ उनके लिए रहम की दुआ करे। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया :

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا ۖ وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

(अल् ईनाम : 152)

अनुवाद : तू कह दे आओ मैं पढ़ कर सुनाऊँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम कर दिया अर्थात यह कि किसी चीज़ को उसका भागीदार न ठहराओ और (लाज़िम कर दिया है) कि माता पिता के साथ उपकार से पेश आओ और रिज़्क़ की तंगी के ख़ौफ़ से अपनी औलाद को क़तल न करो। हम ही तुम्हें रिज़्क़ देते हैं और उनको भी। और तुम बे-हयाइयों के जो उन में ज़ाहिर हों और जो अंदर छिपी हुई हों (के) क़रीब न फटको। और किसी ऐसी जान को जिसे अल्लाह ने हुर्मत बख़शी हो क़तल न करो परंतु हक़ के साथ। यही है जिसकी वह तुम्हें सख़्त ताकीद करता है ताकि तुम अक़ल से काम लो।

परिवारिक जीवन में अदल की मांग यह है कि पति पत्नी दोनों फ़ह्शा और बे-हयाई से बचें और उसके क़रीब तक न जाएं। अल्लाह तआला फ़रमाता है।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۭ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۭ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا ○ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا

(बनी इस्राईल 32 से 33)

अनुवाद : और अपनी औलाद को कंगाल होने के डर से क़तल न करो। हम ही हैं जो उन्हें रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी। उनको क़तल करना निसन्देह बहुत बड़ी गल्ती है।

समाज के समस्त लोगों के लिए रिश्तेदारों, यतीमों, क़रीबी और दूर के मसाकीन, पड़ोसियों, दोस्तों और मुसाफ़िरों से भी न सिर्फ अदल बल्कि उपकार का सुलूक करना लाज़िम है।

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـــًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا

(अल् निसा : 37)

अनुवाद : और अल्लाह की इबादत करो और किसी चीज़ को उसका भागीदार न ठहराओ और माता पिता के साथ उपकार करो और क़रीबी रिश्तेदारों से भी और यतीमों से भी और मिस्कीन लोगों से भी और रिश्तेदार पड़ोसियों से भी और ग़ैर रिश्ता दार पड़ोसियों से भी। और अपने साथ बैठने उठने वालों से भी और मुसाफ़िरों से भी और उनसे भी जिनके तुम्हारे दाहने हाथ मालिक हुए। निसन्देह अल्लाह उसको पसंद नहीं करता जो घमंड (और) शेख़ी बघारने वाला हो।

हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं :

"इस्लाम पड़ोसियों के हुक़ूक़ का भी निर्धारित करता है। क़ुरआन-ए-क़रीम इस सिल्सिला में तफ़सील से मार्गदर्शन करता है कि पड़ोसी कौन है और उसके हुक़ूक़ क्या हैं? जो आपके साथ बैठता है वह भी पड़ोसी है और जो आस-पास के घरों में हैं चाहे आप उन्हें जानते हैं या नहीं जानते। दर-हक़ीक़त पड़ोसी की सीमा चालीस घरों तक बड़ी है। वे लोग भी पड़ोसियों में शामिल हैं जो आप के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसलिए आपको हुक्म दिया गया है कि उनका ख्याल रखो।

(ख़िताब बैतुल रशीद मस्जिद, हैमबर्ग जर्मनी 2012 ई., उद्धारित पुस्तक आलमी बोहरान और शांति की राह पृष्ठ नंबर : 111)

समाज के अदल के क़ियाम के लिए कमज़ोर वर्ग और यतीमों और विधवाओं के धन की हिफ़ाज़त और गरीबों और ग़ुलामों के अधकारों की अदायगी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۗىِٕكُمْ ۭ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۗءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

(अल् नूर : 33)

अनुवाद : और तुम्हारे मध्य जो विधवाएं हैं उनकी भी शादियां कराओ और इसी तरह जो तुम्हारे ग़ुलामों और लौंडियों में से नेक-चलन हों उनकी भी शादी कराओ। यदि वे ग़रीब हों तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें धनी बना देगा और अल्लाह बहुत बढ़ा कर देने वाला (और) दाइमी इल्म रखने वाला है।

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ ۡ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ۡ وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَهُمْ اِلٰٓى اَمْوَالِكُمْ ۭ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا

(अल् निसा : 3)

अर्थात : और अनाथों को उनके अम्वाल दो और ख़बीस चीज़ें पाक चीज़ों के बदलने में न लिया करो और उनके अम्वाल अपने अम्वाल से मिला कर न खा जाया करो। निसन्देह यह बहुत बड़ा गुनाह है।

हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं :

" इस्लाम की एक और महान् शिक्षा गरीबों और महरूम लोगों के हुक़ूक़ की अदायगी के बारे में है। इस में हमें यह ऐसे अवसर की जुस्तजू की शिक्षा देता है जिनमें हमें वंचित लोगों की बेलौस अंदाज़ में मदद करनी चाहिए और उनका किसी रूप में शोषण नहीं करना चाहिए। बदक़िस्मती से आज के समाज में जहां महरूम लोगों की बज़ाहिर मदद करने के लिए नुमायां तौर पर योजना और अवसर पैदा किए जाते हैं, वह क्रेडिट सिस्टम पर आधारित हैं। जहां उनकी वापसी सूद के साथ की जाती है।

इस्लाम पर एक इल्ज़ाम अक्सर लगाया जाता है कि इस में औरत को समान अधिकार हासिल नहीं। यह इल्ज़ाम बिल्कुल बे-बुनियाद है। इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त-ओ-वक़ार दिया है। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। इस्लाम ने इस वक़्त औरत को पति के ग़लत रवैय्या रखने पर ख़ुला का हक़ दिया जब औरत सिर्फ मिल्कियती चीज़ या वस्तु ख़रीद-ओ-फ़रोख़त समझी जाती थी। जबकि तरक़्क़ी प्राप्त देशों में औरत का यह हक़ मुनासिब तरीक़ से अभी पिछली सदी में ही स्वीकार किया गया है। मज़ीद इसके इस्लाम ने औरत को इस वक़्त विरासत का हक़ बख़्शा जब औरत का कोई मर्तबा और अहमियत नहीं समझी जाती थी। यूरोप में औरत को यह हक़ निस्बतन वर्तमान ही में मिला है।" ख़िताब बैतुल रशीद मस्जिद, हैमबर्ग जर्मनी 2012 ई., उद्धारित पुस्तक आलमी बोहरान व शांति की राह पृष्ठ नंबर : 110-111)

समाज में क़ियाम-ए-अदल के लिए गुफ़्तगु में भी अदल और सच्ची बात करने का हुक्म है।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

(अल् अहज़ाब : 71)

अनुवाद : हे वे लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह का तक़्वा धारण करो और साफ़ सीधी बात किया करो।

इन्साफ़ के क़ियाम के लिए सच्ची गवाही की बुनियादी हैसियत है। चाहे वह सच्च अपने माता पिता और क़रीबी रिश्तों के ख़िलाफ़ ही क्यों न हो अल्लाह तआला फ़रमाता है :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۗءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

(अल् निसा : 136)

अनुवाद : हे वे लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की ख़ातिर गवाह बनते हुए इन्साफ़ को मज़बूती से क़ायम करने वाले बन जाओ चाहे ख़ुद अपने ख़िलाफ़ गवाही देनी पड़े या माता पिता और क़रीबी रिश्तेदारों के ख़िलाफ़। चाहे कोई अमीर हो या ग़रीब दोनों का अल्लाह ही बेहतरीन निगहबान है। अतः अपनी इच्छाओ की पैरवी न करो अदल से गुरेज़ करो। और अगर तुमने गोल मोल बात की या अपना पहलू बचा गए तो निसन्देह अल्लाह जो तुम करते हो उससे बहुत बाख़बर है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अल् ख़ामिस् अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ इस आयत की रोशनी में फ़रमाते हैं :

अगर हम इस उसूल का मजमूई तौर पर जायज़ा लें तो हमें एहसास होगा कि ग़ैर मुंसिफ़ाना तजावीज़ को मनवाने के तरीक़ जो दौलत और असर-ओ-रसूख़ के बलबूते पर धारण किए जाते हैं छोड़ देने चाहिऐं। इस के सिवाए हर देश के नुमाइंदगान और सफ़ीरों को ख़ुलूस-ए-नीयत के साथ और इन्साफ़ और बराबरी के उसूलों की हिमायत की ख़ाहिश के साथ आगे आना चाहिए। हमें हर किस्म के द्वेष और इमतेयाज़ को पूर्णतः मिटाना होगा क्योंकि क़ियाम शांति का यही एक रास्ता है। अगर हम

अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की जनरल असैंबली या सलामती कौंसल का जायज़ा लें तो अधिकतर हम देखते हैं कि वहां की जाने वाली तक़ारीरों और जारी किए जाने वाले बयानात की बहुत प्रशंसा की जाती हैं और सराहा जाता है लेकिन यह प्रशंसा बेमानी है क्योंकि वास्तविक फ़ैसले तो पहले ही हो चुके हैं।

अतः जहां फ़ैसले बड़ी ताक़तों के दबाव और असर के तहत और इन्साफ़ और हक़ीक़ी हक़ स्वभाग्यनिर्णय के तक़ाज़ों के ख़िलाफ़ किए जाएं तो ऐसी तक़ारीर खोखली और बेमानी हो जाती हैं और सिर्फ दुनिया को धोखा देने के काम ही आती हैं। जबकि उसका यह मतलब कदापि नहीं है कि हम आजिज़ आकर अपनी कोशिशें तर्क कर दें। इस के विपरीत मुल्की क़वानीन की पाबंदी करते हुए हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम हुकूमत को यह याद करवाते रहें कि हालात हम से क्या मांग कर रहे हैं। हमें ज़ाती मुफ़ादात रखने वाले गिरोहों को भी नियमित नसीहत करनी चाहिए ताकि विश्वीय सतह पर इन्साफ़ का क़ियाम हो। केवल उसी सूरत में हम इस दुनिया को अमन-ओ-आश्ती का केंद्र बना सकेंगे जो हम सबकी इच्छा है।

(ख़िताब नौवीं सालाना शांति लंदन तिथि 24 मार्च 2012 ई., उद्धारित पुस्तक आलमी बोहरान व शांति की राह पृष्ठ नंबर : 42)

समाजिक अदल के क़ियाम के लिए ज़रूरी है कि माप तौल पूरा हो और इस में इन्साफ़ से काम लिया जाए। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْا ۚ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

(अल् ईनाम : 153)

अनुवाद : और सिवाए ऐसे तरीक़ के जो बहुत अच्छा हो अनाथ के माल के क़रीब न जाओ यहां तक कि वह अपनी बालिग़ की आयु को पहुंच जाए और माप और तौल इन्साफ़ के साथ पूरे किया करो। हम किसी जान पर इस की शक्ति से बढ़कर ज़िम्मेदारी नहीं डालते। और जब भी तुम कोई बात करो तो अदल से काम लो चाहे कोई क़रीबी ही (क्यों ना) हो। और अल्लाह के (साथ किए गए) अहद को पूरा करो। यह वह बात है जिसकी वह तुम्हें सख़्त ताकीद करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो।

अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-क़रीम में दुश्मनों के साथ भी अदल का हुक्म देता है यह अदल और इंसाफ की ऐसी आलातरीन मिसाल है कि कोई और पुस्तक ऐसी नज़ीर पेश नहीं कर सकती। अल्लाह तआला फ़रमाता है।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۚ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (अल् मायदा : 9)

अनुवाद : हे वे लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की ख़ातिर मज़बूती से निगरानी करते हुए इन्साफ़ के समर्थन में गवाह बन जाओ और किसी क़ौम की दुश्मनी तुम्हें कदापि इस बात पर आमादा न करे कि तुम इन्साफ़ न करो। इन्साफ़ करो यह तक़्वा के सबसे ज़्यादा क़रीब है और अल्लाह से डरो। निसन्देह अल्लाह इससे हमेशा अवगत रहता है जो तुम करते हो।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं :

"यह वह शिक्षा है जो समाज में शांति स्थापति करती है। फ़रमाया कि अपने दुश्मन के मुआमला में भी अदल को न छोड़ो। आरंभिक तारीख़-ए-इस्लाम बताती हैकि इस शिक्षा पर अनुकरण किया गया था और अदल और इंसाफ के समस्त तक़ाज़े पूरे किए गए थे तारीख़ इस हक़ीक़त पर शाहिद है कि फ़तह मक्का के बाद हज़रत-ए-अक़दस मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उन लोगों से कोई इंतेक़ाम नहीं लिया था जिन्होंने आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम को शदीद तकालीफ़ दी थीं। आपने न सिर्फ उन्हें माफ़ कर दिया था बल्कि इजाज़त दी थी कि वे अपने अपने दीन पर क़ायम रहें। आज भी शांति सिर्फ़ ईसी सूरत में क़ायम हो सकता है जब दुश्मन के लिए भी अदल के समस्त तक़ाज़े पूरे किए जाएं। और ऐसा केवल मज़हबी इंतेहापसंदी के ख़िलाफ़ जंगों में ही नहीं बल्कि अन्य समस्त जंगों में भी किया जाना चाहिए। इसी तरह जो शांति हासिल होगा दरह क़ीक़त वही सदा रहने वाली शांति हो सकती है।

(तारीख़ी ख़िताब बर्तानवी पार्लीमैंट के हाउज़ आफ़ कामनज़ मे तिथि 22 अक्तूबर 2008 ई., उद्धारित पुस्तक आलमी बोहरान व शांति की राह पृष्ठ नंबर : 14)

इस्लाम में हाकिमों को प्रजा से अदल करने का हुक्म है और प्रजा की ज़िम्मेदारी है कि वह हुकूमत की अमानत केवल उसके योग्य के ही सपुर्द करें और फिर वह अपने इन हाकिमों की आज्ञाकारिताा के पाबंद हैं। जैसा कि सूरः अल् निसा आयत नम्बर 59 से 60 में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا

(अल् निसा : 59)

अनुवाद : निसन्देह अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हक़दारों के सपुर्द किया करो और जब तुम लोगों के मध्य हुकूमत करो तो इन्साफ़ के साथ हुकूमत करो। निसन्देह बहुत ही उम्दा है जो अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। निसन्देह अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) गहरी नज़र रखने वाला है।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

(अल् निसा : 60)

अनुवाद : हे वे लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की आज्ञाकारिताा करो और रसूल की आज्ञाकारिता करो और अपने हुक्काम की भी। और अगर तुम किसी मुआमला में (बड़े आदेश देने वालों) से मतभेद करो तो ऐसे मुआमले अल्लाह और रसूल की तरफ़ लौटा दिया करो अगर (फ़िल-हक़ीक़त) तुम अल्लाह पर और यौम आख़िरत् पर ईमान लाने वाले हो। यह बहुत बेहतर (तरीक़) है और अंजाम के लिहाज़ से बहुत अच्छा है।

अंतरधार्मिक अदल के क़ियाम के लिए बुनियादी उसूल यह है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है :

لَاۤ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

(अल् बक़रः : 257)

अनुवाद : दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। निसन्देह हिदायत गुमराही से खुल कर सामने आ चुकी है। अतः जो कोई शैतान का इंकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो निसन्देह उसने एक ऐसे मज़बूत कड़े को पकड़ लिया जिसका टूटना संभव नहीं। और अल्लाह बहुत सुनने वाला (और) दाइमी इल्म रखने वाला है।

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ इस आयत के बारे में फ़रमाते हैं :

"यह हुक्म न सिर्फ इस इल्ज़ाम को दूर कर रहा है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला है बल्कि मुस्लमानों को यह बता रहा है कि ईमान लाना एक ऐसा मुआमला है जो बंदा और उसके ख़ुदा के मध्य है जिस में किसी तरह से भी मुदाख़िलत नहीं होनी चाहिए। हर इन्सान को अपने धर्म के अनुसार ज़िंदगी गुज़ारने और इबादत करने की आज्ञा है लेकिन यदि धर्म के नाम पर जारी सरगर्मीयां दूसरों के लिए हानिप्रद हो जाएं और मुल्की क़ानून के ख़िलाफ़ हों तब इस देश के क़ानून नाफ़िज़ करने वाले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि अगर किसी धर्म में कोई ज़ालिमाना

शेष पृष्ठ 17 पर

पृष्ठ 1 का शेष

बदी (की बात) बनाई।

फिर आयत नंबर : 117 में फ़रमाता है :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًۢا بَعِيْدًا ﴿۱۱۷﴾

(अल् निसा : 117)

अनुवाद : अल्लाह उस (गुनाह) को कदापि नहीं बख़्शेगा कि उसका (किसी को) भागीदार बनाया जाए और जो (गुनाह) उससे छोटे होगा (उसे) जिसके हक़ में चाहेगा माफ़ कर देगा और जो शख़्स (किसी को) अल्लाह का भागीदार बनाए तो (समझो कि) वह (सीधे रास्ता से) बहुत दूर जा पड़ा।

दूसरी जगह अल्लाह तआला फ़रमाता है कि मुशरिक का ठिकाना जहन्नुम है इसलिए फ़रमाया :

اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿۷۳﴾

(अल् बक़रः : 73)

अनुवाद : जो (शख़्स किसी को) अल्लाह का भागीदार बनाए तो (समझो कि) अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है और उसका ठिकाना दोज़ख़ है और ज़ालिमों का कोई (भी) मददगार नहीं (होगा)।

शिर्क और विशेषता अल्लाह तआला के बेटा होने का अक़ीदा इस क़दर खराब और बुरा अक़ीदा है कि अल्लाह तआला ने इस अक़ीदा से सख़्त नाराज़गी का इज़हार फ़रमाया है। इसलिए अल्लाह तआला फ़रमाता है :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿۸۹﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا اِدًّا ﴿۹۰﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿۹۱﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿۹۲﴾ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿۹۳﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿۹۴﴾

(मर्यम : 89 से 94)

अनुवाद : और ये (लोग) कहते हैं कि (ख़ुदा-ए) रहमान ने बेटा बना लिया है। (तू कह दे) तुम एक बड़ी सख़्त बात कह रहे हो। क़रीब है कि (तुम्हारी बात से) आसमान फट कर गिर जाएं और ज़मीन टुकड़े-टुकड़े हो जाएगी और पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो कर (ज़मीन पर) जा पड़ें। इसलिए कि इन लोगों ने (ख़ुदा-ए) रहमान का बेटा क़रार दिया है। और (ख़ुदा-ए) रहमान की शान के यह बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि वह कोई बेटा बनाए क्योंकि प्रत्येक जो आसमानों और ज़मीन में है वह (ख़ुदा-ए) रहमान के हुज़ूर ग़ुलाम की सूरत में हाज़िर होने वाला है।

इन्सान बेटे की ख़ाहिश इसलिए करता है ताकि नसल और ख़ानदान की हिफ़ाज़त हो, क्योंकि हर बाप के लिए एक दिन फ़ना है इसलिए वह अपना क़ायम मक़ाम चाहता है। और इसलिए कि ताकि बेटा बाप का काम सँभाले, जायदाद की देख-भाल करे, उसका हाथ बटा कर उसके काम को आसान करे, बूढ़ापे में उसका मददगार हो इत्यादि। लेकिन اللّٰهُ الصَّمَدُ अल्लाह तआला इन सब बातों से पाक और बेनयाज़ है। अल्लाह वह (हस्ती) है जिसके सब मुहताज हैं (और वह किसी का मुहताज नहीं) जबकि हर चीज़ अल्लाह तआला की ग़ुलाम है तो फिर उस को बेटा बनाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह तआला तो फ़ना होने वाली हस्ती नहीं जो उसे बेटा बनाने की ज़रूरत हो। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सूरः बक़रः आयत नंबर : 117 में अल्लाह तआला फ़रमाता है।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ۭ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

और वे कहते हैं कि अल्लाह ने (अपने लिए) एक बेटा बना लिया है (उनकी बात दरुस्त नहीं) वह (तो हर कमज़ोरी से) पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है उसी का है, सब उसके फ़रमांबर्दार हैं। जब कायनात के कण-कण का वह मालिक है और हर चीज़ उसकी फ़रमांबर्दार भी है तो फिर उसे बेटा बनाने की ज़रूरत ही क्या है?

शिर्क के सिवाए जो गुनाह भी हो और जिस क़दर भी हो अगर अल्लाह चाहे तो माफ़ फ़र्मा सकता है इसलिए उसने सूरः जुमर में अपनी इस महान रहमत-ओ-मग़फ़िरत का ऐलान फ़रमाया है। अल्लाह तआला फ़रमाता है :

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۴﴾

(जुमर : 54)

अनुवाद : तू (उनको हमारी तरफ़ से) कह दे हे मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर (गुनाह करके) ज़ुल्म किया है अल्लाह की रहमत से मायूस न हो अल्लाह सब गुनाह बख़श देता है, वह बख़शने वाला (और) बार-बार रहम करने वाला है।

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ - हर चीज़ का अंत है सिवाए ख़ुदा के :

अतः : ख़ुदा कोई फ़ना होने वाली हस्ती नहीं जो उसे बेटा बनाने की ज़रूरत पेश आए। अल्लाह तआला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"फिर दूसरा हिस्सा इस एकेश्वरवाद का यह है कि जैसा कि कोई चीज़ सिवाए ख़ुदा के स्वयं मौजूद नहीं ऐसा ही प्रत्येक चीज़ सिवाए ख़ुदा के अपनी ज़ात में फ़ानी और हलाक होने से पाक नहीं जैसा कि अल्लाह तआला क़ुरआन शरीफ़ में फ़रमाता है

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ

अर्थात : प्रत्येक चीज़ मारज़ हलाकत में है और मरने वाली है सिवाए ख़ुदा की ज़ात के कि वह मौत से पाक है और इसी तरह एक और आयत में फ़रमाया كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ अर्थात : प्रत्येक जो ज़मीन पर है आख़िर मरेगा अतः जैसा कि ख़ुदा ने इस आयत में कि وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ है शब्द कुल्ला के साथ जो पूर्णतः समस्त वस्तुओं के लिए आता है प्रत्येक चीज़ को जो उसके सिवाए है मख़लूक़ में दाख़िल कर दिया। ऐसा ही इस शब्द कुल्ला के साथ इस आयत में जो كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ है और तथा इस आयत में कि كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ है प्रत्येक चीज़ के लिए सिवाए अपनी ज़ात के मौत ज़रूरी कर दी।" (चशमा मार्फ़त रूहानी ख़ज़ायन भाग 23 पृष्ठ 165)

क़ुरआन-ए-क़रीम एकेश्वरवाद के मज़मून से भरा पड़ा है जैसा कि वह एक स्थान पर फ़रमाता है :

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۭ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

(فُصِّلَتْ:38) ﴿۳۸﴾

अनुवाद : और उसके निशानों में से रात भी है और दिन भी और सूरज भी है और चांद भी। न सूरज को सजदा करो न चांद को बल्कि सिर्फ़ अल्लाह को जिसने इन दोनों को पैदा किया है, सजदा करो अगर तुम पक्के इबाद करने वाले हो।

समस्त अंबिया कराम अपनी अपनी क़ौम को प्रथम श्रेणी पर यही शिक्षा देते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की भी इबादत जायज़ नहीं। अल्लाह तआला ने अपने सिवा किसी भी और चीज़ की इबादत पर बहुत ही ताज्जुब और अफ़सोस का इज़हार किया है फ़र्माते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी क़ौम से कहा कि क्या तुम अल्लाह के सिवा ऐसी वस्तु की उपासना करते हो जो न तुम्हें लाभ देती है न हानी पहुंचाती है। हम तुम पर अफ़सोस करते हैं और इस पर भी जिसकी तुम अल्लाह के सिवाए इबादत करते हो, क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते?

(अल् अंबिया : 68) और सूरत अल्-साफ़ात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी क़ौम से फ़रमाते हैं क्या तुम उसकी इबादत करते हो जिसे तुम ख़ुद अपने हाथों से बनाते हो। मुशरिक का यह कार्य बड़ा अजीब उपहासजनक और अफ़सोस करने योग्य है कि एक चीज़ को ख़ुद अपने हाथों से बनाता है फिर उसी के आगे सिर झुकाता है और फिर उसे ले जाकर पानी में डुबो देता है। फिर सूरः मर्यम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से फ़रमाते हैं कि हे मेरे बाप तुम उसकी इबादत क्यों करते हो जो कि न सुन सकता है न देख सकता है और वह तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। अतः एक मुशरिक अल्लाह के सिवाए जिसको भी पुकारे और जितना मर्ज़ी पुकारे, उसकी पुकार उसको कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वह जिसको पुकारता है न तो वह देख सकता है न सुन सकता है और न किसी काम आ सकता है। इसलिए मुशरिक की सब पुकार, सब इबादत और सब दुआ ज़ाए चली जाती है। وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝ और काफ़िरों की चीख़-ओ-पुकार सब ज़ाए चले जाएगी। (राद : 15)

ख़ुदा एक प्यारा ख़ज़ाना है इस की क़दर करो।

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"हमारा ख़ुदा तो अगण्य चमत्कारों वाला है, पर वे ही देख पाते हैं जो पूर्ण सच्चाई और आस्था से उसी के हो गए हैं। वह ऐसे मनुष्यों पर अपने अलौकिक चमत्कार प्रदर्शित नहीं करता जो उसकी शक्तियों पर विश्वास नहीं करते और उसके सच्चे परम भक्त नहीं है। कितना दुर्भाग्यशाली है वह मनुष्य जिसे अब तक यह ज्ञात नहीं कि उसका ख़ुदा है जो समस्त शक्तियों से परिपूर्ण है। हमारा स्वर्ग हमारा एक ख़ुदा है। हमारा परमानन्द हमारा ख़ुदा है क्योंकि हमने उसका अनुभव किया है। हर प्रकार का सौन्दर्य उसमें विद्यमान है। यह दौलत लेने योग्य है यद्यपि कि जीवन देकर प्राप्त हो, यह रत्न ख़रीदने योग्य है यद्यपि समस्त अस्तित्व खोकर प्राप्त हो। हे वंचित रहने वालो! इस झरने की ओर दौड़ो कि यह तुम्हें सींचेगा। यह जीवनदायी झरना है जो तुम्हें सुरक्षित रखेगा। मैं क्या करूँ और किस प्रकार इस शुभ सन्देश को हृदयों तक पहुँचाऊँ, किस ढपली से मैं बाज़ारों में मुनादी करूँ कि तुम्हारा ख़ुदा यह है ताकि लोग सुन लें, किस औषधि से मैं उपचार करूँ ताकि सुनने के लिए लोगों के कान खुलें।

यदि तुम ख़ुदा के हो जाओ तो निस्सन्देह ख़ुदा तुम्हारा ही है। तुम सोए हुए होगे, और ख़ुदा तुम्हारे लिए जागेगा। तुम शत्रु से बेख़बर होगे पर ख़ुदा उसे देखेगा और उसके प्रयत्नों को विफल करेगा। तुम्हें अभी तक ज्ञात नहीं कि तुम्हारे ख़ुदा में कौन-कौन सी शक्तियां विद्यमान हैं। यदि तुम्हें ज्ञात होता तो तुम पर कोई दिन ऐसा न आता कि तुम संसार के लिए सख्त दुखी होते। एक मनुष्य जो अपने पास एक खज़ाना रखता है क्या वह एक पैसे के व्यर्थ हो जाने से विलाप करता है, चीखें मारता है और मरने लगता है। यदि तुम को उस खज़ाने की सूचना होती कि तुम्हारा ख़ुदा प्रत्येक आवश्यकता के अवसर पर काम आने वाला है, तो तुम सांसारिक वस्तुओं के लिए इतने आपे से बाहर न होते। ख़ुदा एक प्यारा खज़ाना है उसकी क़द्र करो कि वह तुम्हारे प्रत्येक पग पर तुम्हारी सहायता करता है, उसके बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, तुम्हारे साधन, प्रयास और प्रयत्न महत्त्वहीन हैं।"

(कश्ती-ए-नूह, रुहानी ख़ज़ायन भाग 19 पृष्ठ 21)

ब्रहमो समाज ने जो भी एकेश्वरवाद से हिस्सा लिया, क़ुरआन की बदौलत लिया क़ुरआन-ए-क़रीम का यह उपकार है कि उसने एकेश्वरवाद पर इस क़दर ज़ोर दिया है कि इसका दुनिया की समस्त ग़ैर क़ौमों पर एक ख़ास असर और छोड़ा है। आज सनातन धर्म वाले जो बेशुमार देवी देवताओं की इबादत करने वाले हैं वे भी एक ख़ुदा के क़ायल हैं। ईसाई जो तीन ख़ुदाओं को मानते हैं वे भी इस बात का इक़रार करते हैं कि ख़ुदा एक है। उद्देश्य कि उनका कर्म जो भी हो लेकिन उनके दिल एक ख़ुदा के क़ायल हैं और यह क़ुरआन-ए-क़रीम की एकेश्वरवाद की शिक्षा का असर है। सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी पुस्तक बराहीन अहमदिया में तहरीर फ़रमाया है कि ब्रहमो समाज वाले जो एकेश्वरवाद की तरफ़ मायल हैं यह एकेश्वरवाद की शिक्षा भी उन्होंने क़ुरआन-ए-क़रीम से ही अख़ज़ की है। और आप इस ज़िमन में ऐसे दलायल वर्णन किए कि ब्रहमो समाज के लिए कोई चारा नहीं कि वह यह साबित कर सकें कि उन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षा क़ुरआन-ए-क़रीम के सिवा कहीं और से ली है। आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"मैं ने बख़ूबी तहक़ीक़ की है कि ब्रहमो समाज वालों की एकेश्वरवाद की तरफ़ मायल होने की भी यही वास्तविकता है कि जो उनके कुछ बुज़ुर्गों में से वे शख़्स जो संस्थापक इस धर्म का था, उसने क़ुरआन शरीफ़ ही से किसी क़दर एकेश्वरवाद का हिस्सा हासिल किया था परंतु अपनी बदनसीबी से पूरी एकेश्वरवाद हासिल न कर सका। फिर वही बीज एकेश्वरवाद जो ख़ुदा की कलाम से लिया गया था ब्रहमो समाज वालों में फैलता गया। अगर किसी साहिब को हज़रात-ए-ब्रहमो में से हमारी इस तहक़ीक़ में कुछ कलाम हो तो लाज़िम है कि वह हमारे इस सवाल का ठोस उत्तर दें कि उनको मसला एकेश्वरवाद का क्योंकर हासिल हुआ? जबकि सुन सुन कर पहुंचाया उनके किसी बानी ने सिर्फ अपनी अक़ल से ईजाद किया। अगर यदि यह सुन सुन कर पहुंचा तो खोल कर वर्णन करना चाहिए कि सिवाए क़ुरआन शरीफ़ और कौन सी पुस्तक थी जिसने ख़ुदा का वाहिद लाशरीक होना और बच्चों और परिवार से पाक होना और ईश्वर के शरीर धारण करने से रहित और अपनी ज़ात और समस्त सिफ़ात में कामिल और यगाना होना इस ज़माना में ख़ित्ता हिंदुस्तान में मशहूर कर रखा था जिससे यह मसला एकेश्वरवाद उनको हासिल हुआ, इस पुस्तक का नाम बतलाना चाहिए। और अगर यह दावा है कि इस बानी को एकेश्वरवाद की ख़बर यदि सुन सुन कर नहीं पहुंची बल्कि उसने सिर्फ अपनी ही अक़ल के ज़ोर से इस मसला को पैदा किया तो इस सूरत में यह साबित करके दिखलाना चाहिए कि वर्णित संस्थापक के वक़्त में अर्थात जिस ज़माना में ब्रहमो धर्म का अस्ल संस्थापक एक धर्म जारी करने लगा, उस वक़्त हिंदुस्तान में बमाध्यम क़ुरआन शरीफ़ अभी एकेश्वरवाद नहीं फैली थी क्योंकि अगर फैल चुकी थी तो फिर एकेश्वरवाद का दरयाफ़त करना एक ईजाद ख़्याल नहीं किया जाएगा बल्कि यक़ीनी तौर पर यही समझा जाएगा कि इस ब्रहमो धर्म के संस्थापक ने क़ुरआन शरीफ़ से ही मसला एकेश्वरवाद को हासिल किया था।"

(बराहीन-ए-अहमदिया भाग 3, रुहानी ख़ज़ायन भाग 1 हाशिया नंबर 11 पृष्ठ 218)

सूरः इख़लास क़ुरआन-ए-क़रीम की शान है और इसका फ़ख़र है। यह एक मुख़्तसर सूरत है परंतु एकेश्वरवाद से लबरेज़ है। इसका अनुवाद यह है (हम हर ज़माना के मुस्लमान को हुक्म देते हैं कि) तू (दूसरे लोगों से) कहता चला जा कि (असल) बात यह है कि अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला है। अल्लाह वह (हस्ती) है जिसके सब मुहताज हैं (और वह किसी का मुहताज नहीं) न उसने किसी को जना है और न वह जना गया है। और (उसकी सिफ़ात में) इसका कोई भी भागीदार कार नहीं।

तौहीद के मज़मून से लबरेज़ होने की वजह से आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उसे एक तिहाई क़ुरआन-ए-क़रीम के बराबर क़रार दिया है। सय्यदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "जमा हो जाओ, मैं तुम पर एक तिहाई क़ुरआन की तिलावत करने लगा हूँ। जमा होने वाले जमा हो गए, आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ की तिलावत करके वापिस चले गए। हम एक

दूसरे को कहने लगे ऐसा लगता है कि आसमान से कोई (नई) ख़बर आई है जिसने आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को घर दाख़िल कर दिया है, फिर नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए फ़रमाया : मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम पर एक तिहाई क़ुरआन की तिलावत करूँगा। आगाह हो जाओ! (सूरः ईख़लास) एक तिहाई क़ुरआन के बराबर है (जिसकी तिलावत में कर चुका हूँ)

कामिल एकेश्वरवाद जो मिदार-ए-नजात है :

अब हम निम्न में सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कुछ पुरमारफ़ इर्शादात और आप अलैहिस्सलाम के कुछ महान् चैलेंज का वर्णन करेंगे। एकेश्वरवाद की तारीफ़ करते हुए आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"तौहीद सिर्फ यही नहीं है कि अलग रह कर ख़ुदा को एक जानना। इस एकेश्वरवाद का तो शैतान भी क़ायल है बल्कि साथ उसके यह भी ज़रूरी है कि व्यवहारिक रंग में अर्थात मुहब्बत के कामिल जोश से अपनी हस्ती को महू करके ख़ुदा की वहदत को अपने पर वारिद कर लेना यही कामिल एकेश्वरवाद है जो मदार-ए-नजात है जिसको अल्लाह वाले पाते हैं।"

(बराहीन-ए-अहमदिया हिस्सा 5, रूहानी ख़ज़ायन भाग 21 पृष्ठ 64)

तौहीद-ए-हक़ीक़ी जिससे निजात जुड़ी है :

कोई मुस्लमान बुतों की पूजा तो नहीं करता, मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुकाता, लेकिन और तरह के शिर्क में मुस्लमान खुल्लम खुल्ला मुबतला हो रहे हैं। उदाहरणतः क़ब्रों और मज़ारों के आगे सज्दे करना, फ़ौत शूदा बुज़ुर्गों से माँगना इत्यादि। इसी तरह मुस्लमान मख़फ़ी शिर्क में भी आज हद से ज़्यादा मुबतला हैं। मख़फ़ी शिर्क यह है कि किसी की वह अज़मत और ताज़ीम की जाए जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हक़ है या किसी पर वह भरोसा किया जाए जो सिर्फ अल्लाह का हक़ है। अतः आज ज़रूरत है इस बात की कि मुस्लमान क़ब्र परस्ती और भिन्न भिन्न प्रकार की मख़फ़ी शिर्क से अपने आपको महफ़ूज़ करें। सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"याद रहे कि हक़ीक़ी एकेश्वरवाद जिसका इक़रार ख़ुदा हमसे चाहता है और जिसके इक़रार से निजात वाबस्ता है यह है कि ख़ुदा तआला को अपनी ज़ात में प्रत्येक भागीदार से ख़ाह बुत हो ख़ाह इन्सान हो ख़ाह सूरज हो या चांद हो या अपना नफ़्स या अपनी तदबीर और मकर फ़रेब हो पवित्र समझना और उस के मुक़ाबिल पर कोई क़ादिर तजवीज़ न करना, कोई राज़िक़ न मानना, कोई ईश्वर ख़्याल न करना कोई नासिर और मददगार न देना और दूसरे यह कि अपनी मुहब्बत उसी से ख़ास करना, अपनी इबादत उसी से ख़ास करना, अपना रोना गिड़गिड़ाना उसी से ख़ास करना, अपनी उम्मीदें उसी से ख़ास करना, अपना ख़ौफ़ उसी से ख़ास करना, अतः कोई एकेश्वरवाद बग़ैर इन तीन किस्म की तख़सीस के कामिल नहीं हो सकती। (1) अव्वल ज़ात के लिहाज़ से एकेश्वरवाद अर्थात यह कि इसके वजूद के मुक़ाबिल पर समस्त मौजूदात को मादूम की तरह समझना और समस्त को हलाकत अल-ज़त और मिथ्यात्व ख़्याल करना। (2) दोम सिफ़ात के लिहाज़ से एकेश्वरवाद अर्थात यह कि रबूबियत और उलूहियत की सिफ़ात बजुज़ ज़ात बारी किसी में क़रार न देना। और जो बज़ाहिर रब्बुल अन्वा या फ़ैज़ रसान नज़र आते हैं यह उसी के हाथ का एक निज़ाम यक़ीन करना। (3) तीसरे अपनी मुहब्बत और सिदक़ और सफ़ा के लिहाज़ से एकेश्वरवाद अर्थात मुहब्बत इत्यादि शआर उबूदियत में दूसरे को ख़ुदा तआला का भागीदार न गर्दाना और इसी में खोए जाना।"

(सिराजुद्दीन ईसाई के चार सवालों के उत्तर, रूहानी ख़ज़ायन भाग 12 पृष्ठ 349)

तीसरी श्रेणी एकेश्वरवाद जिस से रूहानी ज़िंदगी जुड़ी है :

इसी तरह एकेश्वरवाद के तीन दर्जे वर्णन फ़रमाए। इसलिए आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

याद रहे कि एकेश्वरवाद के तीन दर्जे हैं (1) सबसे अदना दर्जा यह है कि अपने जैसी मख़लूक़ की उपासना न करें न पत्थर की न आग की न आदमी की न किसी सितारे की। (2) दूसरा दर्जा यह है कि अस्बाब पर भी ऐसे न गिरें कि मानो एक किस्म का उनको रबूबियत के कारख़ाना में मुस्तक़िल दख़ील क़रार दें बल्कि हमेशा मुसब्ब पर नज़र रहे न अस्बाब पर। (3) तीसरा दर्जा एकेश्वरवाद का यह है कि तजल्लियात-ए-इलाही का कामिल मुशाहिदा कर के हरेक ग़ैर के वजूद को खत्म क़रार दें और ऐसा ही अपने वजूद को भी। उद्देश्य हरेक चीज़ नज़र में फ़ानी दिखाई दे सिवाए अल्लाह तआला की ज़ात कामिल सिफात के। यही रुहानी ज़िंदगी है कि यह मुरातिब सलासा एकेश्वरवाद के हासिल हो जाएं।

(आईना कमालात-ए-इस्लाम रूहानी ख़ज़ायन भाग 5 पृष्ठ 223)

क़ुरब पाने के लिहाज़ से एकेश्वरवाद के तीन दर्जे हैं :

अल्लाह तआला की एकेश्वरवाद से फ़ायदा उठाने और इसका क़ुरब पाने के लिहाज़ से भी सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एकेश्वरवाद के तीन दर्जे वर्णन फ़रमाए हैं। आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

तौहीद तीन दर्जा पर मुनक़सिम है दर्जा अव्वल अवाम के लिए अर्थात उनके लिए जो ख़ुदा तआला के ग़ज़ब से निजात पाना चाहते हैं। दूसरा दर्जा ख़वास के लिए अर्थात उनके लिए जो अवाम की निसबत ज़्यादा-तर क़ुरब-ए-इलाही के साथ ख़ुसूसीयत पैदा करनी चाहते हैं। और तीसरा दर्जा ख़वास अल्ख़वास के लिए जो क़ुरब के कमाल तक पहुंचना चाहते हैं। अव्वल मर्तबा एकेश्वरवाद का तो यही है कि ग़ैरुल्लाह की उपासना न की जाए। (किताबुल बरिया, रूहानी ख़ज़ायन भाग 13 पृष्ठ 83)

अब हम निम्न में सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तरफ़ से एकेश्वरवाद के बारे में ग़ैर मज़ाहिब को दीए गए कुछ महान् चैलेंज का वर्णन करेंगे। आप ग़ैर मज़ाहिब को यह चैलेंज दिया कि क़ुरआन-ए-क़रीम ने जिस क़दर अल्लाह तआला की वहदानियत वर्णन की है और इस को उयूब-ओ-नक़ायस से मुबर्रा क़रार दिया है ऐसा किसी और मज़हबी पुस्तक ने नहीं वर्णन किया। जिस क़दर क़ुरआन-ए-क़रीम एकेश्वरवाद के मज़ामीन से लबरेज़ और लबालब है किसी और पुस्तक में एकेश्वरवाद का ऐसा मज़मून वर्णन नहीं हुआ बल्कि उसका हज़ारवां लाखवां हिस्सा भी वर्णन नहीं हुआ।

जिस क़दर सूरः इख़लास की एक सतर में मज़मून एकेश्वरवाद भरा हुआ है :

वे समस्त तौरेत बल्कि सारी बाईबिल में नहीं पाया जाता सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने सूरः फ़ातेहा के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प चैलेंज ईसाई दुनिया को अपनी पुस्तक बराहीन-ए-अहमदिया में दिया है। आपने अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया है कि जिस क़दर सूरः इख़लास की एक सतर में मज़मून एकेश्वरवाद भरा हुआ है वह समस्त तौरेत बल्कि सारी बाईबल में नहीं पाया जाता। और अगर है तो कोई ईसाई हमारे सामने पेश करे। आप अलैहिस्सलामफ़रमाते हैं :

"अगर आपका मसीह के कथन पर ईमान ही नहीं और बज़ात-ए-ख़ुद चाहते हैं कि इंजील का क़ुरआन शरीफ़ से मुक़ाबला करें तो बिस्मिल्लाह आए और इंजील में से वे कमालात निकाल कर दिखलाए

कि जो हमने इसी पुस्तक में क़ुरआन शरीफ़ की निसबत साबित किए हैं, ता मुंसिफ़ लोग आप ही देख लें कि मार्फ़त-ए-इलाही का सामान क़ुरआन शरीफ़ में मौजूद है या इंजील में। जिस हालत में हमने इसी फ़ैसला के लिए की ताकि इंजील और क़ुरआन शरीफ़ के संबंध में फ़र्क़ मालूम हो जाएगी दस हज़ार रुपया का विज्ञापन भी अपनी पुस्तक के साथ शामिल कर दिया है तो फिर आप जब तक रास्त बाज़ों की तरह अब हमारी पुस्तक के मुक़ाबला पर अपनी इंजील के फ़ज़ायल न दिखलावें तब तक कोई बुद्धिमान ईसाई भी आपकी कलाम को अपने दिल में सही नहीं समझेगा।

(बराहीन-ए-अहमदिया हिस्सा 3, रुहानी ख़ज़ायन भाग 1 पृष्ठ 301 हाशिया दर हाशिया नंबर : 2)

फिर फ़रमाया अगर तौरेत में इलाहियात् और आलिम-ए-मुआद के बारे में वह तफ़सीलात होतीं कि जो क़ुरआन शरीफ़ में हैं तो ईसाइयों और यहूदियों में इतने झगड़े क्यों पड़ते। सच्च तो यह है कि जिस क़दर सूरः इख़लास की एक लाईन में अकेश्वराद का मज़मून भरा हुआ है, वह समस्त तौरेत बल्कि सारी बाईबिल में नहीं पाया जाता और अगर है तो कोई ईसाई हमारे सामने पेश करे।

(इसी से पृष्ठ 303)

क़ुरआन शरीफ़ से एकेश्वरवाद के मआरिफ़ आसमान से उतरते हुए अर्थों की तरह ज़ाहिर होते हैं :

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक और ज़बरदस्त चैलेंज हम पेश करते हैं जो एकेश्वरवाद के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने सनातन धर्म वालों, विशेषता आर्यों को दिया।

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

वेद अजीब किस्म का इल्हाम है कि आरंभ से अंत तक सिवाए मख़लूक़ परस्ती के बात नहीं करता। पण्डित दयानंद ने तावीलात में बहुत कोशिश की परंतु कोई विषय को सीधा ज़ाहिर करने में कहाँ तक टक्करें मारीं अंततः कुछ भी न हो सका। वैदिक शिक्षा मख़लूक़ परस्ती के एक-आध मुक़ाम में तो नहीं कि छुप सके, वह तो सारा इन्ही ख़्यालात से भरा हुआ है। समस्त दुनिया के पर्दे में घूम आओ समस्त क़ौमों को पूछ कर देख लो कोई क़ौम ऐसी नहीं पाओगे कि जो वेद को पढ़े और इसको एकेश्वरवाद की शिक्षा समझे। हम सच्च-सच्च कहते हैं और ज़्यादा बातों में वक़्त खोना नहीं चाहते कि जो कुछ क़ुरआन शरीफ़ के दस पृष्ठों से एकेश्वरवाद के मआरिफ़ सूरज से उतरते हुए निशान की तरह ज़ाहिर होते हैं अगर कोई शख़्स वेद के हज़ार पृष्ठों से भी निकाल कर दिखलावे तो हम फिर भी मान जाएं कि हाँ वेद में एकेश्वरवाद है और जो चाहे हसब-ए-इस्तिताअत हम से शर्त के तौर पर निर्धरित भी करा ले। हम कसम खा कर वर्णन करते हैं और ख़ुदाए वाहिद लाशरीक की क़सम खा कर कहते हैं कि हम बहरहाल निर्धारित शर्त अदा करने पर जिस तौर से फ़ैसला करना चाहें हाज़िर हैं।

(सुर्मा चशम आर्या रूहानी खज़ायन भाग 2 पृष्ठ 215)

क़ुरआन की एकेश्वरवाद ने यूरोप के मुल्कों में हलचल डाल दी, नामी अंग्रेज़ों ने क़ुरआन की अज़मतों और उसकी पाक एकेश्वरवाद पर शहादतें दीं कि फ़ुर्क़ान, मज़ामीन-ए-तौहीद में एक बेमिसल पुस्तक है :

इंगलैंड अमरीका जर्मन फ़्रांस में वेदों का अनुवाद हज़ारों बल्कि लाखों लोगों की नज़र से गुज़रा है परंतु किसी की बला को भी ख़बर नहीं कि वेद में एकेश्वरवाद भी है। उन्हें अंग्रेज़ों ने क़ुरआन शरीफ़ का अनुवाद किया तो क़ुरआन की एकेश्वरवाद ने यूरोप के मुल्कों में हलचल डाल दी यहां तक कि लायल साहिब और जून डेविन पोर्ट इत्यादि नामी अंग्रेज़ों ने जिनकी किताबें हिमायत इस्लाम इत्यादि में छप कर हिंदुस्तान में भी आ गई हैं क़ुरआन की अज़मतों और इस की पाक एकेश्वरवाद पर ऐसी शहादतें दीं कि बावजूद बहुत से द्वेष की रुकावट के उन्हें कहना पड़ा कि फ़ुर्क़ान मज़ामीन-ए-तौहीद में और उयूब से पवित्र होने में एक बेमिसल पुस्तक है जिसके अक़ायद बिल्कुल अक़ल के अनुसार और एक हकीम का धर्म हो सकता है। ऐसा ही एक फ़ाज़िल अंग्रेज़ ब्लंट नाम जिन्हों ने वर्तमान में इस्लाम के बारे में एक पुस्तक लिखी है वह इस बात के क़ायल हैं कि एकेश्वरवाद को दुनिया में दुबारा क़ायम करने वाले पैग़ंबर इस्लाम के हैं। उन्होंने एकेश्वरवाद को इस उच्च दर्जा पर फैलाया है कि अरब के रेगिस्तान में अब तक एकेश्वरवाद की ख़ुशबू आती है।

(शहन-ए-हक़ रूहानी ख़ज़ायन भाग 2 पृष्ठ 403)

ख़ुदा की हस्ती और एकेश्वरवाद के दलायल जो क़ुरआन शरीफ़ में लिखे हैं, किसी में नहीं।

हम तो उस फ़ैसला पर भी राज़ी हैं कि जिस क़दर क़ुरआन शरीफ़ ने बद अक़ीदों और बदआमाल का हाल वर्णन किया है या वह अक़ीदे जो क़ुरआन शरीफ़ ने वर्णन फ़रमाए परंतु वेद की दृष्टि से बद अक़ीदे हैं, ऐसा ही वे बद आमाल जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाते हैं जिनका वर्णन क़ुरआन शरीफ़ में विस्तार के साथ वर्णित है आर्या लोग वेद में से हम को निकाल दें, ऐसे तौर से कि जैसे ग़ैर फ़िरक़े क़ुरआन शरीफ़ को पढ़ कर उसके क़ायल हैं कि ये सब बातें इस में वर्णित हैं, वेद की निसबत भी यही इक़रार कर सकें, ऐसा ही ख़ुदा की हस्ती और एकेश्वरवाद के दलायल जो क़ुरआन शरीफ़ में लिखे हैं, जो मुख़ालिफ़ फ़िरक़े उसके क़ायल हैं, ये सब आर्या साहिबान वेद में से निकाल कर हमको दिखलाएं तो हम हज़ार रुपय नक़द उनको देने को तैयार हैं।

(चशमा मार्फ़त रूहानी ख़ज़ायन भाग 23 पृष्ठ 143)

अल्लाह तआला हमें हर किस्म की छोटे और गुप्त से गुप्त शिर्क से बचाते हुए सच्ची एकेश्वरवाद को अपनाने की तौफ़ीक़ प्रदान फ़रमाए। आमीन।

(मंसूर अहमद मसरूर, संपादक बदर उर्दू)

★ ★ ★

अख़बार बदर के अंकों की रक्षा करें

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की यादगार अख़बार "अख़बार बदर" 1952 ई.से लगातार क़ादियान दारुल अमान से मुद्रित हो रहा है, और जमआत की दीनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इस में क़ुरआन-ए-क़रीम की आयात, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसे, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मलफ़ूज़ात और लेखनी के इलावा सय्यदना हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के ताज़ा ख़ुत्बात जुमा और खिताबात, अध्याम्त्पूर्ण संदेश, ख़ुत्बा जुमा प्रश्न उत्तर के रूप में और हुज़ूर के दौराजात की निहायत ईमान अफ़रोज़ और दीनी और दुनियावी इल्म के ख़ज़ानों से भरपूर रिपोर्टस प्रकाशित होती हैं। इनका अध्यन करना, उनको दूसरों तक पहुंचाना, इन पर कर्म करना और उनके माध्यम से अपनी और अपने बच्चों की शिक्षा-और-तर्बीयत करना हम सब का फ़र्ज़ है। इन समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अख़बार बदर के शुमारों को हिफ़ाज़त के साथ अपने पास सुरक्षित रखना हम सब की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है।

दीनी शिक्षा-ओ-तर्बीयत पर आधारित यह मुक़द्दस अख़बार तक़ाज़ा करता है कि इसका सम्मान किया जाए। इसलिए उसको रद्दी में बेचना यह सम्मान का उल्लंघन करने के समान है। यदि इस को सँभालना मुम्किन न हो तो सावधानी के साथ इस को नष्ट करें ताकि इन पवित्र लेखनियों का अपमान न हो। उम्मीद है कि जमआत इस तरफ़ विशेष ध्यान फ़रमाएँ गी और इस से भरपूर लाभ प्राप्त करते हुए इन विषयों को समक्ष रखेंगे। (संस्थान)

★ ★ ★

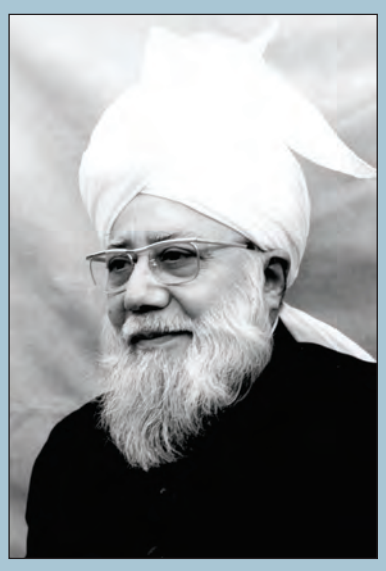

संसार में किसी माँ की सन्तान ने ऐसी परोपकारी पुस्तक प्रस्तुत नहीं की

सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सालिस रहमहुल्लाह फ़रमाते हैं :

यह पुस्तक अहसान से परिपूर्ण है। संसार का कौन सा व्यक्ति है जिस पर पवित्र क़ुरआन ने अहसान नहीं किया। यदि मुसलमान क़ुरआन-ए-करीम पर पूरी तरह अमल करने वाले हों तो संसार के प्रत्येक इंसान को उसके अहसान के ज़ंजीरों के अंदर जकड़ लेता है। हमारा अपना आलस्य है, अहसान के तरीके तो मौजूद हैं, दयालुता का स्रोत मौजूद है, अहसान की शिक्षा और मार्गदर्शन मौजूद है, अहसान के मार्ग पर चलने की ताकत और क्षमता मानव स्वभाव में मौजूद है, हम आलस करते हैं संसार को इसके अहसानों से वंचित कर देते हैं तो जहां तक क़ुरआन की शिक्षा का संबंध है, पवित्र क़ुरआन मानव जाति का इतना उपकारी है कि दुनिया में किसी भी मां के बच्चे ने इतनी परोपकारी पुस्तक प्रस्तुत नहीं की।

(खुत्बात-ए-नासिर, भाग 2,पृष्ठ 555)

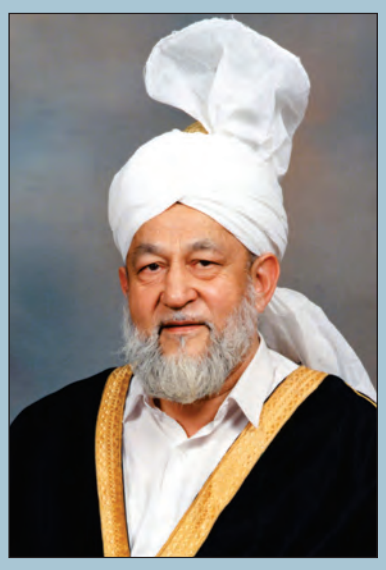

आध्यात्मिक जगत की वैज्ञानिक पुस्तक - अद्भुत ज्ञान की पुस्तक

सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबे रहमहुल्लाह اِنَّ الۡحَسَنٰتِ یُذۡہِبۡنَ السَّیِّاٰتِ की व्याख्या करते हुए फ़रमाते हैं :

पवित्र क़ुरआन अद्भुत ज्ञान और बुद्धि की एक ऐसी किताब है जो मानव स्वभाव की ग़लतियों को सुधारती है और उसके निष्कर्षों को सही करती है और फिर उसे सही रास्ते पर भी निर्देशित करती है। अल्लाह तआला फ़रमाता हैं कि अच्छे कर्म मजबूत होते हैं और बुरे कर्म कमज़ोर होते हैं। वे कौमें जिन में तुम्हें बुराइयाँ दिखाई देती हैं, वास्तव में उनमें सबसे पहले गुण और सद्गुण लुप्त होने शुरू हुए ... आध्यात्मिक जगत की यह वैज्ञानिक पुस्तक आश्चर्यजनक रूप से ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है और ऐसे विषयों पर प्रकाश डालती है कि मानव की बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। क़ुरआन के दृष्टिकोण को जानने के बाद जब आप चिंतन और ध्यान करेंगे तो आप क़ुरआन की बातें को आश्चर्यजनक रूप से सत्य पर पाएंगे। तो यह बुनियादी बात है कि नेकी एक सकारात्मक पहलू है और बुराई नेकी के अंत होने का नाम है।

(खुत्बात-ए-ताहेर, भाग 2, पृष्ठ 404)

यह शिक्षा अब विश्व को सुधारने की , विश्व में नेकी प्रचलित करने की, विश्व में शांति स्थापित करने की विश्व में ईबादत करने वाले पैदा करने की, विश्व के हर वर्ग के अधिकार स्थापित करने की गारंटी है

सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ फ़रमाते हैं :

पवित्र क़ुरआन जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर अवतरित हुआ, अल्लाह उसके बारे में गवाही देता है कि यह एक शुद्ध किताब है और हर प्रकार के संभावित दोषों से मुक्त है और न केवल शुद्ध है बल्कि इसमें हर प्रकार की सुंदर और ख़ूबसूरत शिक्षा पाई जाती है। जिसका कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है और पहले के ग्रंथों में जिन गुणों की कमी थी, उन्हें इसमें शामिल कर दिया गया है और अब यह एक ऐसी शिक्षा है जो हर तरह की कमी से शुद्ध है बल्कि इस शिक्षा का अनुसरण कर के हर बुराई से बचा जा सकता है और न केवल बचा जा सकता है, बल्कि उनकी शिक्षाओं का पालन करने और इस की शिक्षा को लागू करने से ही अपना और दुनिया का सुधार संभव है। दूसरे शब्दों में, यह शिक्षा जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम पर उतरी, यही अब दुनिया में सुधार करने की, दुनिया में अच्छे कर्म स्थापित करने की, दुनिया में शांति स्थापित करने की, दुनिया में ईबादत करने वाले पैदा करने की और संसार के हर वर्ग के अधिकारों की स्थापना की गारंटी है।

(ख़ुत्बात-ए-मसरूर, भाग 3, पृष्ठ 127)

EDITOR
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Editor : +91-9915379255
e-mail : badarqadian@gmail.com
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF THE NEWSPAPERS FOR INDIA AT NO RN PUNHIN/2016/70553

The Weekly **BADAR** *Qadian*

Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Postal Reg. No. GDP/45 /2023-25 | Vol .7 21 - 28 December 2023 issue no 51-52

MANAGER :
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91-9915379255
e-mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIBTION: Rs. 600/- Per Issue: Rs. 10/- WEIGHT- 20-50 gms/ issue

क़ुरआन-ए-क़रीम के दस उद्देश्य

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद-ओ-महदी माहूद अलैहिस्सलाम का उपदेश

क़ुरआन-ए-क़रीम के उद्देश्यों में से एक यह है कि वह ख़ुदा तआला की सम्पूर्ण कीर्तियों और प्रशंसाओं का वर्णन करता है। अतः यह उद्देश्य सूरह फ़ातिहा में اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ में बतौर संक्षेप आ गया क्योंकि उसके अर्थ ये हैं कि सम्पूर्ण प्रशंसाएं ख़ुदा के लिए प्रमाणित हैं जो सम्पूर्ण विशेषताओं का संग्रहीता और सम्पूर्ण उपासनाओं के योग्य है।

दूसरा उद्देश्य क़ुरआन-ए-क़रीम का यह है कि वह ख़ुदा का पूर्ण स्रष्टा होना तथा समस्त लोकों का स्रष्टा होना प्रकट करता है तथा संसार के प्रारंभ का हाल वर्णन करता है और जो संसार की परिधि में प्रवेश कर चुका उसे सृष्टि ठहराता है और जो लोग इन बातों के विरोधी हैं उनका झूठ सिद्ध करता है। अतः यह उद्देश्य रब्बुल-आलमीन (समस्त संसारों के प्रतिपालक) में बतौर संक्षेप आ गया।

क़ुरआन-ए-क़रीम का तीसरा उद्देश्य ख़ुदा के वरदान को बिना पात्रता के सिद्ध करना तथा उसकी सामान्य दया का वर्णन करना है। अतः यह उद्देश्य शब्द 'रहमान' में बतौर संक्षेप आ गया।

क़ुरआन-ए-क़रीम का चौथा उद्देश्य ख़ुदा का वह वरदान सिद्ध करना है जो परिश्रम और प्रयास के परिणामस्वरूप होता है। अतः यह उद्देश्य शब्द 'रहीम' में आ गया।

क़ुरआन-ए-क़रीम का पांचवां उद्देश्य परलोक की वास्तविकता का वर्णन करना है, अतः यह उद्देश्य 'मालिके यौमिद्दीन' में आ गया।

क़ुरआन-ए-क़रीम का छठा उद्देश्य निश्छलता, बन्दगी, अल्लाह के अलावा से आत्मा को पवित्र करना, अध्यात्मिक रोगों का निदान, अधमतापूर्ण नैतिकता का सुधार तथा उपासना में एकेश्वरवाद का वर्णन करना है। अतः यह उद्देश्य 'इय्याका ना 'बुदो' में बतौर संक्षेप आ गया।

क़ुरआन-ए-क़रीम का सातवां उद्देश्य-प्रत्येक कार्य में वास्तविक कर्ता ख़ुदा को ठहराना और समस्त सामर्थ्य, आनन्द, सहायता, आज्ञाकारिता में दृढ़ता, पाप से पवित्रता, नेकी के सम्पूर्ण संसाधनों की प्राप्ति तथा दीन (धर्म) और दुनिया की योग्यता का उसी की ओर से ठहराना तथा उन समस्त बातों में उसी के सहयोग की इच्छा हेतु सतर्क करना। अतः यह उद्देश्य 'इय्याका नस्तईन' में बतौर संक्षेप आ गया।

क़ुरआन-ए-क़रीम का आठवां उद्देश्य सदमार्ग की बारीकियों का वर्णन करना है तत्पश्चात उसकी इच्छा हेतु चेतावनी देना कि दुआ और गिड़गिड़ाने से उसे मांगें। अतः यह उद्देश्य 'इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम' में बतौर संक्षेप के आ गया।

क़ुरआन-ए-क़रीम करीम का नौवां उद्देश्य उन लोगों के मार्ग और आचरण का वर्णन करना है जिन पर ख़ुदा की कृपा और इनाम हुआ ताकि सत्याभिलाषियों के हृदय सन्तोष धारण करें। अतः यह उद्देश्य 'सिरातल्लज़ीना अनअम्ता अलैहिम' में आ गया।

क़ुरआन-ए-क़रीम का दसवां उद्देश्य उन लोगों के सदाचार और मार्ग का वर्णन करना है जिन पर ख़ुदा का प्रकोप हुआ अथवा जो मार्ग से भटक कर नाना प्रकार की बिदअतों (धर्म में नई बातों का समावेश करना) में पड़ गए ताकि सत्याभिलाषी उनके मार्गों से भयभीत हों। अतः यह उद्देश्य 'गैरिल मग्दूबे अलैहिम वलद्ज़ाल्लीन' में बतौर संक्षेप आ गया है। ये दस उद्देश्य हैं जिनका क़ुरआन-ए-क़रीम में उल्लेख है जो समस्त सच्चाइयों का मूल आधार हैं। अतः ये समस्त उद्देश्य सूरह फ़ातिहा में संक्षिप्त तौर पर आ गए।

(बराहीन अहमदिया (भाग -4) हिन्दी पृष्ठ 766 से 768)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor:Shaikh Mujahid Ahmad
जमील अहमद नासिर प्रिंटर एवं पब्लिशर ने फ़ज़्ल-ए-उमर प्रिंटिंग प्रेस क़ादियान में छपवा कर दफ़्तर अख़बार बदर से प्रकाशित किया। प्रौपराइटर - निगरान बदर बोर्ड क़ादियान